खण्ड-200, अंक-6
मंगलवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(16 दिसम्बर, 1958 ई0)

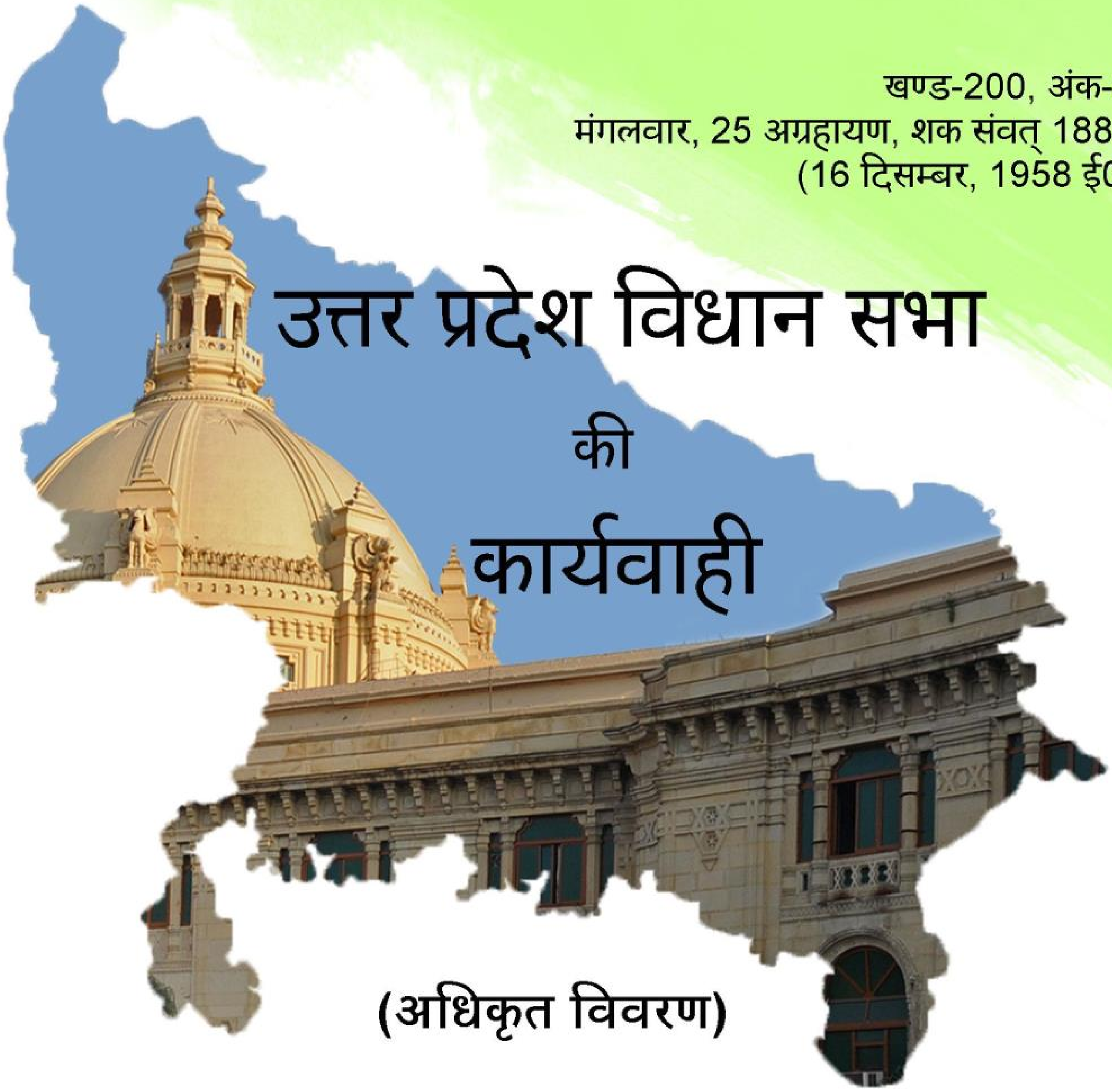

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९९–५०३
प्रश्नोत्तर	५०३–५२५
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५२५
मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५२६
आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५२६–५२७
नियम ५२ के अन्तर्गत चीनी मिलों में हड़ताल की ओर ध्यान आकृष्ट करने की सूचना	५२७–५३१
खाद्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण	५३१
एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स पर एकाउन्टेन्ट जेनरल की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितता पर विचारार्थ नियम १०७ के अन्तर्गत प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३२–५३३
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (विचार जारी) ..	५३३–५४१
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५४१
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) ..	५४१–५८७
नत्थियां	५८८–५९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायणभारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरत चन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किया गया।]

*२—श्री मुक्ति नाथ राय—[हटा दिया गया।]

जल-कर ऋण की वसूली के संबंध में आजमगढ़ नगरपालिका का आवेदन-पत्र

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आजमगढ़ नगरपालिका ने सरकार के पास आवेदन किया है कि Water-tax loan जो सरकार द्वारा नगरपालिका को दिया गया है उसकी वसूली की किस्त कुछ सालों के लिये बढ़ा दी जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। वह अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त आवेदन पत्र अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले जब यह रुपया दिया गया था तो शर्त यह थी कि उसकी अदायगी ३० साल में होगी और यह रुपया प्रादेशिक सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिला है जिसकी अदायगी हमें केन्द्रीय सरकार को करना है। लिहाजा यह संभव नहीं था कि नगरपालिकाओं का समय बढ़ा दिया जाय, केवल यही नगरपालिका नहीं थी और नगरपालिकायें भी ऐसा चाहती थीं, इस वजह से यह संभव नहीं हुआ कि देर में वसूली की जाय।

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल योजना

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल योजना प्रचलित किये जाने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम स्वरूप यादव—जी हां, कुछ गांवों की योजनायें सिंचाई विभाग ने बनाकर शासन को भेजी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

*५—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इन योजनाओं में नैनीताल जिले की सूपी पेय जल योजना भी शामिल की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किन किन गांवों की योजनायें सिंचाई विभाग ने बनाकर भेजी हैं और वे कितनी लागत की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, गांव के नामों के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन उसूल यह बना दिया गया है कि ५० प्रतिशत रुपया केन्द्रीय सरकार से आयेगा, २५ प्रतिशत प्रादेशिक सरकार देगी और २५ प्रतिशत जो गांव के लोग अपनी ओर से व्यय करने के लिये तैयार होंगे वहीं पर यह योजना चालू की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह योजनायें विचार समाप्त होने के बाद कब तक कार्यान्वित हो जाने का आदेश दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--उन पर तो जल्दी विचार हो जायगा, इस साल भी ४० लाख रुपया इस संबंध में है और जल्द ही विचार कर के काम आरम्भ किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी के लिये कुल कितनी योजनायें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने अभी निवेदन किया कि इन चारों जिले के लिये ही विचार किया जा रहा है और जहां जहां पर सिंचाई ट्यूबवेल्स हैं वहां पर जिलाधीश जिला अन्तरिम परिषद् से परामर्श कर के जो योजना भेज रहे हैं उसी पर विचार करके उसे कार्यान्वित किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो योजना बनाई जा रही है कुछ गांवों के लिये उनमें क्या वह सब गांव शामिल हैं जहां पेय जल का अभाव है ? या वह कुछ के लिये ही बनाई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सब गांव जहां कि पानी की दिक्कत है उनके लिये सरकार प्रबन्ध करना चाहती है लेकिन जो बजट में प्राविधान है उसके अनुसार जितने इस साल हो सकेंगे हो जायंगे और बाकी अगले साल होंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिठौरागढ़ की पेय जल योजना इसमें शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह सूची तो मेरे पास नहीं है, नोटिस चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूपी पेयजल योजना का एस्टीमेट कितने का है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने निवेदन किया कि वह बहुत जल्द कार्यान्वित हो जायगी और एस्टीमेट बताने के लिये तो नोटिस चाहिये ।

ग्राम चुनाव में बाराबंकी जिले के पंचायत मंत्रियों का भत्ता

*६--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में सन् १९५७ ई० के ग्राम चुनाव का पंचायत मंत्रियों का एलेक्शन संबंधी टी० ए० दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जिला बाराबंकी में सन् १९५७ ई० के विधान सभा तथा लोक सभा के ग्राम चुनावों में १२१ पंचायत मंत्रियों ने काम किया । उनमें से केवल ९९ मंत्रियों के भत्ता बिल प्राप्त हुए । इनमें से ८७ बिलों का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष १२ बिलों की स्थिति निम्नांकित है ।

तीन पंचायत मंत्रियों के बिल जिला नियोजन अधिकारी के पास तैयार रक्खे हैं। पंचायत मंत्रियों को भत्ता ले जाने की इत्तिला भेजी गई, पर अभी तक वे लोग पया लेने नहीं आये हैं। शेष ९ बिलों में से ७ बिल जिला नियोजन अधिकारी के पास ६ महीने का समय व्यतीत होने के बाद आये इसलिये एकाउन्टेन्ट जेनरल को प्री-आडिट के लिये भेजे जा रहे हैं। उनका भुगतान एकाउन्टेंट जेनरल द्वारा प्री-आडिट किये जाने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र किया जायगा। शेष दो बिलों में से एक बिल जो कि सही फार्म पर नहीं था, पंचायत मंत्री को वापस कर दिया गया था। उन्होंने बिल को सही फार्म पर अभी तक नहीं भेजा है। दूसरा बिल ब्लाक डेवलपमेंट अफसर, हैदरगढ़ ने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा ११ अप्रैल, १९५८ को बाराबंकी ट्रेजरी भेजा था किन्तु ट्रेजरी अफसर ने यह सूचित किया कि वह बिल ट्रेजरी में नहीं प्राप्त हुआ उसके संबंध में पोस्ट मास्टर, बाराबंकी से पूछताछ की गई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो ३४ मंत्रियों का टी० ए० मिलना बाकी है यह सब काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जब पहले यह सब कार्यवाही पूरी हो जायगी तभी पेमेंट किया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी मंत्रियों के संबंध में जो कागजात आने वाले हैं पंचायत अफसरों के द्वारा उनकी पूर्ति के लिये जल्द लिखा-पढ़ी करेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---जिन लोगों ने टी० ए० बिल नहीं भेजे हैं वह भेजें तब ही कार्यवाही की जायगी।

*७---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिगणित जाति के ड्राफ्ट्समेन तथा ट्रेसर

*८---**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० उत्तर प्रदेश में कुल कितने ट्रेसर कार्य कर रहे हैं। उनमें से कितने ट्रेसर पिछड़ी जाति के तथा परिगणित जाति के हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल १४ ट्रेसर कार्य कर रहे हैं। इनमें से परिगणित जाति के ३ हैं और पिछड़ी जाति का कोई नहीं है।

*९---**श्री मूलचन्द** (अनुपस्थित)---उपर्युक्त ट्रेसर्स में कितने ट्रेंड हैं और कितने अनट्रेन्ड तथा उनका वेतन-क्रम क्या है ?

श्री गिरधारी लाल---उपरोक्त ट्रेसरों में कुल २ ट्रेसर ट्रेन्ड हैं और शेष अन्ट्रेन्ड हैं। इनका वेतन-क्रम रु० ४५-२-६५ है।

*१०---**श्री मूलचन्द** (अनुपस्थित)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० उत्तर प्रदेश में कुल कितने ड्राफ्ट्समैन हैं ? उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं।

श्री गिरधारी लाल---उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल १८८ ड्राफ्ट्समैन हैं। इनमें परिगणित या पिछड़ी जाति का कोई नहीं है।

*११---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

दुधवा, जिला खीरी की नर्सरी पर व्यय

*१२—श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत दुधवा रेंज में जो सरकार ने एक नर्सरी फार्म निर्माण किया है उसमें सन् १९५२ से जनवरी सन् १९५८ तक कितना रुपया खर्च हुआ है और कितना लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—दुधवा रेंज में नरसरी फार्म नहीं है बल्कि दुधवा में जंगल विभाग की एक नर्सरी है जो १९५५-५६ में स्थापित की गई थी। उस पर १९५७-५८ तक कुल ३४,२०० रु० खर्च हुआ है। इस नर्सरी से कुछ लाभ नहीं है क्योंकि उसमें उगाये गये पौद और कलम प्लान्टशनों में काम आते हैं। अनुमान किया जाता है कि २५-३० वर्ष बाद इन दरख्तों से २ लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी हो जावेगी।

*१३—श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दुधवा रेंज (खीरी) में जो सरकारी फार्म है वहां जमीन पहले से परती थी, या जंगल काट कर फार्म बनाया गया है ? यदि परती थी, तो कितनी एकड़ जमीन खेती योग्य थी और आज कितनी है ?

श्री सैयद अली जहीर—नरसरी की जमीन न परती थी और न जंगल काट कर बनाई गई। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

बस्ती जिले में ईंट के भट्ठों के लिये कोयला

*१४—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ में बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में ईंटों के भट्ठों को अधिक कोयले का कोटा देने के विषय में सरकारी आदेश भेजा गया था ? यदि हां, तो इसके मातहत बस्ती जिले में कितने भट्ठों को कहां-कहां और अधिक कोटा कितना-कितना दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी हां। बस्ती जिले में सन् १९५७ में जिन ईंट के भट्ठों को बाढ़पीड़ित क्षेत्रों को सहायतार्थ कोयले का कोटा दिया गया है, उनकी सूची संलग्न तालिका १ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८८-५९० पर)

राज्य में ईंटों का भट्ठा लगाने के लिये कोयला

*१५—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ईंटों का भट्ठा लगाने के लिये सन् १९५७ में कितने लोगों को कितना कितना कोयला दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न तालिका २ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८८-५९० पर)

इलाहाबाद नगर में परती भूमि

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में कितनी जमीन ऐसी है जो परती पड़ी है और उसमें न तो खेती होती है और न अब तक मकान बने हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—३२ एकड़ भूमि, जिसमें ६ एकड़ गवर्नमेंट स्टेट की संपत्ति है तथा २६ एकड़ कैन्टूनमेंट बोर्ड की है।

*१७—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगर में कितनी जमीन ऐसी है जिसमें मकान बनाने तथा खेती करने की आज्ञा नहीं है परन्तु प्रत्येक वर्ष जानवरों के चरने के लिये नीलाम की जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१६० एकड़ भूमि है, जिसका प्रबन्ध कैन्टूनमेंट बोर्ड करता है और जो भारत सरकार के सरक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जमीन एक ही प्लाट में है या कई प्लाटों में है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो कैन्टूनमेंट बोर्ड इलाहाबाद के प्रबन्ध में है, यह कई जगह है, एक जगह नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि नगर में जमीन की कमी होने के कारण वहां जमीन की छूट देंगे कि लोग मकान बनावें ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस भूमि का संबंध सुरक्षा मंत्रालय से है उसमें प्रदेश को कोई हक नहीं है और न उस संबंध में कुछ किया जा सकता है। जहां तक इस चीज का संबंध है कि ३२ एकड़ जमीन में जो गवर्नमेंट इस्टेट की है तो उसमें ६ एकड़ में से ८ बीघा १२ बिस्वा पर नाला है और २ बीघा १ बिस्वा पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है जिस पर पशु बधते हैं और जिसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है और ७ बिस्वा भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है जिसको पट्टों में लेने के लिये किसी व्यक्ति ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार या वहां का इम्प्रूवमेंट बोर्ड, या बोर्ड अपनी ओर से कोई योजना बना रहा है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस भूमि के बारे में बोर्ड कोई योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि किसी ने मकान बनाने के लिये इच्छा ही जाहिर नहीं की।

खीरी जिले में पेय जल योजना पर व्यय

*१८—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखीमपुर म्युनिसिपैलिटी, जिला खीरी को पिछले तीन वर्षों में कितना धन पेय जल की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—पिछले तीन वर्षों में लखीमपुर नगरपालिका को कोई धन पेय जल के निमित्त सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। केवल राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने उक्त नगरपालिका को परीक्षण नलकूप के निर्माण के कुल व्यय के बराबर दो किस्तों में निम्न प्रकार के अनुदान दिये हैं—

	रु०
सन् १९५४–५५	१९,७००
सन् १९५७–५८	३,२००
	२२,९००

*१९—**श्री जगन्नाथ प्रसाद**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस पीने के पानी की योजना पर कितना रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है ? कितना सरकारी तथा कितना म्युनिसिपैलिटी का ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब तक इस योजना पर कुल ३४,६०० रुपया जिसमें से राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड से स्वीकृत अनुदान द्वारा २२,९०० रुपया परीक्षण नलकूप के लिये तथा नगरपालिका द्वारा ११,७०० रुपया चीफ इंजीनियर की फीस योजना बनाने के लिये खर्च हुआ है।

*२०–२१—**श्री किशन सिंह** (जिला मुरादाबाद)—[स्थगित किये गये।]

दालों के भाव

*२२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इस मास में Essential Commodities Act, 1955 की धारा ३ की उप-धारा (३ ए) के अन्तर्गत सरकार को चना, चना की दाल तथा अन्य दालों और जौ के भाव मुकर्रर करने के लिये जो आदेश दिया है उसके अनुसार उन्होंने उनके क्या-क्या भाव मुकर्रर किये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---केन्द्रीय सरकार द्वारा Essential Commodities Act, 1955 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों के प्रयोग में, राज्य सरकार ने केवल चना तथा मटर ही व्यापारियों से लिया है जिनके भाव सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, द्वारा उक्त ऐक्ट के sub-clause (*c*) of clause (iii) of sub-section 3-A के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं । ये भाव सम्बन्धित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की विज्ञप्ति दिनांक ११ सितम्बर, १९५८ से तीन महीने पूर्व का औसत बाजार भाव के अनुसार, अनाज की quality को ध्यान में रखते हुये नियत किये जाते हैं । अतएव ये भाव अलग-अलग क्षेत्रों में तथा भिन्न-भिन्न व्यापारियों के संबंध में अलग-अलग नियत हुये हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जबकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त विज्ञप्ति के अनुसार दालों का भाव भी मुकर्रर करने के लिये आदेश दिया था तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उसका पालन कैसे नहीं किया गया ? उसका पालन तो किया गया है ?

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी उनका भाव बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने बता दिया कि अलग-अलग जगहों के भिन्न-भिन्न चीजों के भिन्न-भिन्न भाव हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने जो भाव मुकर्रर किये हैं ये अपने प्रोक्योरमेंट करने के लिये किये हैं या किसी दूसरे उद्देश्य से ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो जो गल्ला जब्त किया गया, चना या गेहूं, उनके भाव से इसका सम्बन्ध है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरकार ने दालों के जो भाव मुकर्रर किये हैं उनमें मूंग की दाल का क्या भाव मुकर्रर किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसमें तो सिर्फ चना, मटर इत्यादि चीजें हैं और कोई हमने जब्त नहीं किया ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार चना और चने की दाल, मटर और मटर की दाल को इस प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगाने का विचार कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये केन्द्रीय सरकार से बातें हुई थीं मगर वे इसकी स्वीकृति नहीं देते हैं । वे कहते हैं कि अगर बाहर से आने पर भी हम प्रतिबन्ध लगा देंगे तो इससे शायद फायदा नहीं होगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके सरकार धान का भी भाव मुकर्रर करने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---धान के भाव मुकर्रर करने में बड़ी कठिनाइयां हैं और काश्तकारों को उससे विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि अगर धान का भाव मुकर्रर किया गया तो खरीद तो कुछ भाव से करें और कागज में कुछ दिखायें तो उसको पकड़ने के लिये बड़ी व्यापक मशीनरी की जरूरत होगी, इसलिये फिलहाल यह तय किया गया है कि धान का भाव मुकर्रर किया जाय ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या केन्द्रीय सरकार के यह आदेश हैं कि जो गल्ला जब्त किया गया उसी के भाव मुकर्रर किये जांय या जिन चीजों का जिक्र किया गया उनके भी भाव मुकर्रर किये जांय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने बतला दिया कि इस समय तो केन्द्रीय सरकार ने केवल चावलों का ही भाव मुकर्रर किया है और बाकी जो चीजें फ्रीज की गयी हैं उन्हीं के भाव हैं ।

सात बीघा से अधिक जमीन जोतने वालों को राशन देने के संबंध में जानकारी

*२३---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार से कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है कि जिनके पास सात बीघा या उसके ऊपर जोत हो उनको राशन की दुकानों से गल्ला न दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यहां से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में किसानों के लिये राशन की दुकानें खोलने की प्रार्थना

*२४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में सस्ते गल्ले की खुलने वाली दुकानों पर ऐसे आदेश हैं कि गल्ला केवल गैर किसानों को ही दिया जावे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसे कोई आदेश यहां से नहीं दिये गये हैं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*२५---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में जहां लगातार कई वर्ष से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहां भी दुकानों पर ऐसे ही आदेश हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं, वहां के लिये भी ऐसे कोई आदेश नहीं हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल---क्या कोई ऐसे आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं कि किसान भी सस्ती दूकानों से गल्ला ले सकें ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हर आदमी ले सकता है । जैसा मैंने कहा, उसमें किसानों को वंचित थोड़े ही किया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल---किसानों को सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज नहीं मिल सका यह जांच किसके द्वारा की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जो देहात में दुकानें हैं वहां पर किसानों के अलावा और लेगा कौन और जो सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला उठाया जाता है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि वही लेते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो डेढ़ सौ रुपये वाली कैद सस्ते गल्ले की दुकानों में लगाई गई क्या वह देहाती क्षेत्र वाली दुकानों में भी लागू है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बेहाती क्षेत्रों में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या कोई ऐसे आदेश भी जारी किये गये हैं कि केवल खेतिहर मजदूरों को ही सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला दिया जाय और जो खेती करने वाले किसान हैं उनको न दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई हिदायत नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या कोई ऐसे सरकारी आदेश भेजे गये हैं कि बेहातों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं न देकर केवल मक्का और मिलो दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, आजकल यह है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इसकी सूचना भी सरकार को मिली है कि जो दुकानें इस वक्त खोली गयी हैं उनमें अनाज की कमी है और जितने लोग दुकानों पर आते हैं वे अनाज नहीं पा सकते ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं, आजकल गल्ला तो बहुत कम उठ रहा है ।

उन्नाव जिले की टाउन एरिया कमेटी, बांगरमऊ के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*२६---श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार को सन् १९५८ में बांगरमऊ टाउन एरिया कमेटी, जिला उन्नाव के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां ।

*२७---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जांच टाउन मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई और शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

दुदरा जंगल, जिला बहराइच की लकड़ी की चोरी

*२८---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बहराइच के दुदरा के सरकारी जंगल से जनवरी सन् १९५७ से अब तक कितने रुपयों की लकड़ी चोरी से काटी गई ?

श्री सैयद अलीजहीर---१,९११ रुपये की ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लकड़ी जो चोरी गई वह एक बार में गई या कई बार में गई ?

श्री सैयद अलीजहीर---कई बार में चोरी गई है । एक-एक दो-दो करके दरख्त काटे गये हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---इसका पता कब लगा कि लकड़ी चोरी जा रही है ?

श्री सैयद अलीजहीर---यह कंजरवेटर आफ फारेस्टस ने तहकीकात की और डी० एफ० ओ० को मालूम हुआ कि लकड़ी चोरी जा रही है तो उन्होंने कार्यवाही की और ३७१ रुपये ८७ नये पैसे की लकड़ी जिन्होंने चोरी की थी उनके यहां से पकड़ी और मुआवजा भी वसूल किया । बकिया के लिये तलाश हो रही है कि कौन लोग काट ले गये हैं । यदि मालूम हो गया तो उनसे भी दाम वसूल किये जायेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि चोरी के माल के मूल्य का जो अनुमान किया गया है उसका आधार क्या है ?

श्री सैयद अलीजहीर---जो दरख्त गैर-कानूनी तरीके से काटे गये हैं उनकी जो कीमत थी वह करार दी गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चोरी की शुरुआत कब हुई थी और सूचना कितने दिनों बाद प्राप्त हुई ?

श्री सैयद अलीजहीर---यह तो जाहिर है कि अगर हमें मालूम होता कि चोरी हो रही है तो नहीं होने देते ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतायेगी कि कितने व्यक्तियों का चालान किया गया, कितनों को सजा हुई और कितने छूट गये ?

श्री सैयद अलीजहीर---व्यक्तियों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह मालूम है कि ४७ दरख्त काटे गये हैं और १८ पकड़े गये हैं ।

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों को एलाउन्स न मिलना

*२९---श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने अन्तरिम जिला परिषदों में उपाध्यक्षों को एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सदस्य महोदय का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। भूतपूर्व जिला बोर्डों में उपाध्यक्षों को कोई भी एलाउन्स नहीं मिलता था । यदि सदस्य महोदय का मतलब उस फिक्स्ड एलाउन्स से है जो जिला बोर्डों के अध्यक्षों को मासिक रूप से दिया जाता था, तो वैसे कोई एलाउन्स अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों को नहीं मिलता ।

*३०---श्री देवीप्रसाद मिश्र---जिन परिषदों में नहीं दिया जाता उसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील में भट्ठों के लिये कोयला

*३१---श्री किशन सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में कितने भट्ठों को कोयला दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में २ ऐसे ईंट के भट्ठे हैं जिनको नियमितरूप से कोयले का कोटा दिया जाता है।

श्री किशन सिंह---क्या सरकार भट्ठों को बढ़ाने के लिये कोयले का कोटा बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मेरे खयाल से दो भट्ठे तो ऐसे हैं और ५ एप्रूव्ड चलते हैं जिनको कोयला गवर्नमेंट से मिलता है, तो सात भट्ठे हैं इसलिये और ज्यादा भट्ठे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

सस्ते अनाज की दुकानों पर बिक्री-कर न लेने का आदेश

*३२---श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाले गल्ले पर सेल्स टैक्स न लिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां । सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाले गल्ले पर १ नवम्बर, १९५८ से सेल्स टैक्स न लेने के आदेश दे दिये गये हैं ।

रायबरेली जिले में महाराजगंज तहसील की गांव सभायें

*३३—श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली में कितनी गांवसभाओं में मन्त्री नहीं हैं और वह कब से ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांव सभाओं में जो न्याय पंचायत समरौता के अन्तर्गत हैं केवल एक पंचायत मंत्री का स्थान १ जुलाई, १९५७ से रिक्त है।

*३४—श्री चन्द्रिका प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली में कुल कितने पंचायतघर बन चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हैं तथा कितने ऐसे हैं जिनमें नींव भी नहीं पड़ी है ? उनमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—२७ पंचायत घर बन चुके हैं तथा २४ अधूरे हैं एवं २५९ ग्राम पंचायतों में अभी नींव भी नहीं पड़ी है। इन में से ६ में, जिनके लिए अनुदान स्वीकृत हो चुका है, नींव डलवाने का प्रयास हो रहा है।

श्री चन्द्रिका प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि अधूरे पंचायतघरों के पूरा न होने के क्या कारण हैं और कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायतघरों को ग्राम पंचायतें बनाती हैं। उन के पास धन नहीं है। सरकार उस समय सहायता देती है जब कि वह इमारत किसी और काम में आया करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पंचायतघरों को रुपया न दिया जाय इसका एक कारण यह है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन की नयी नीति यह हो गयी है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स से पंचायतघरों पर रुपया खर्च न किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो जवाब में ही निवेदन किया है कि अगर पंचायत घर किसी और काम में उपयोग किया जा सकता हो जैसे वाचनालय या स्कूल के लिए तो उस सूरत में प्लानिंग से रुपया दिया जाता है। अगर केवल पंचायतघर हो तो उसके लिए अनुदान मिलने में दिक्कत होती है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पंचायत-घर अभी अधूरे पड़े हैं उनका शिलान्यास गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव सभा में मन्त्री नहीं मौजूद हैं, १९५७ से, उसका काम किस तरह से चल रहा है और उसका स्थान कब पूरा किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस गांव सभा का काम जो निकट क्षेत्र का पंचायत सेक्रेटरी है वह संभाल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ऐसे सभी पंचायतघरों को पूरा कराने का कष्ट करेगी जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के आदेश से पहले जिला प्लानिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किये जा चुके थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे पंचायतघरों को पूरा करना सरकार के कर्त्तव्यों में से नहीं है। सरकार सिर्फ सहयोग देती है जो अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पंचायत भवन जो स्कूल या वाचनालय के प्रयोग में लिये जाते हैं उनमें सरकारी सहायता का कितना अनुपात होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो जिले की प्लानिंग कमेटी के ढंग पर मुनहसिर होता है। कुछ इधर प्लानिंग कमीशन की तरफ से, शिक्षा विभाग से भी अनुदान पाठशालाओं को दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिले में ऐसे स्थानों को ३३ फीसदी भी सरकार से अनुदान मिल जाता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—जो दूसरे पंचायत क्षेत्र के सेक्रेटरी काम कर रहे हैं इस के लिए उनको अलग से कोई पारिश्रमिक मिल रहा है या उनकी तनख्वाह वही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे चाहे ९ ग्राम सभाएं हों या १०, एक पंचायत सेक्रेटरी उतना ही काम करता है। लेकिन एक नियम बना हुआ है कि प्रति गांव सभा से २ रुपये पंचायत सेक्रेटरी को भत्ता मिलता है। वह मिलता होगा उनको जो पंचायत सेक्रेटरी काम करते होंगे।

श्री नजर अली, प्रधान, पंचायत रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी के विरुद्ध आरोप

*३५—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६, दिनांक २३ सितम्बर, १९५८ के पूरक प्रश्नोत्तर के प्रसंग में प्रधान गांव पंचायत रामपुर कटरा के विरुद्ध आरोपों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। वांछित सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९१ पर)

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाये गये ९ आरोपों में से कोई भी आरोप ऐसा जिससे उक्त प्रधान, प्रधान के पद के योग्य सिद्ध हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन आरोपों के सम्बन्ध में जिला सरकारी सलाहकार की राय ली गयी थी कि प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के आधार पर उन के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। उनकी राय थी कि आरोप संख्या ३ और ७ जिन-में १४० रुपये रिश्वत लेने तथा कर वसूली के ६० रुपये खजाने में न जमा करने का अभियोग है, के आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा तो चलाया जा सकता था परन्तु रिश्वत के मामलों को साबित करने के लिए काफी मजबूत गवाही के अभाव में मुकदमे की कामयाबी में सन्देह है। साथ ही यह मामला बहुत पुराना होने के कारण भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जहां तक अन्य आरोपों का सम्बन्ध है उन पर वैभागिक कार्यवाही चल रही है। पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार परगनाधीश को प्रतिनिहित कर दिये गये हैं। अतः श्री नजर अली, प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही परगनाधीश, रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के यहां चल रही है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९४९ से अब तक की कैश बुक प्रयोग की गयी और रसीद बहियां गायब हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह शिकायत तो थी लेकिन जो मैंने निवेदन किया कि यह शिकायत नम्बर ५ थी। इसके बारे में क्या फाइन्डिंग है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस प्रधान के विरुद्ध आरोपों की बात है और जिस पर कोई मुकदमा नहीं चल सका, तो क्या प्रधान पद से भी उसको सरकार अलग करने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने अभी निवेदन किया था कि उस पर कार्यवाही हुई है और एस० डी० ओ०, रामसनेही घाट, बाराबंकी में वह चल रही है। वह इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध जो आरोप निकले, यह किसी गैर-सरकारी दरख्वास्त के उपरान्त निकले अथवा सरकारी जांच के उपरान्त निकले हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव--यह आरोप तो वहां के रहने वालों ने लगाये थे, लेकिन जांच तो सरकारी अफसरों द्वारा हुई है।

हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच

*३६--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)----क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई कोर्ट बेंच, लखनऊ का इलाहाबाद स्थानान्तरण जो सरकार के विचाराधीन है वह कब तक हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ऐसा कोई प्रश्न स समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि बार एसोसिएशन ने इसके बारे में कोई सुझाव दिया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लखनऊ बेंच के तोड़ने का कोई सुझाव हमारे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार की यह नीति है कि जैसा ऐग्रीमेंट हुआ था कि अवध चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच लखनऊ बेंच बनी रहेगी और हाई कोर्ट तो है ही?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसे हटाने का सवाल नहीं है तो नीति साफ है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि लिटिगेन्ट्स की सुविधा के लिए लखनऊ बेंच में बजाय इन १२ जिलों के कुछ और जिले शामिल किये जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इस मसले पर तो चीफ जस्टिस को अख्तियार है।

गोरखपुर जिले के फरेंदा क्षेत्र में जंगली पशुओं से फसल को हानि

*३७--**श्री गौरीराम गुप्त**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा रेंज के अन्तर्गत गोपलापुर, घोड़सारे, कम्हरिया, जोगियाबारी, निरनाम और नैनसर आदि ग्रामों की फसलें हर साल जंगलों के पशुओं द्वारा नुकसान से बचाने के लिए क्या कोई व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय कोई ऐसी व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि फरेंदा रेंज के अन्तर्गत ग्रामों की फसल हर साल जंगल के पशुओं द्वारा चर ली जाती है ?

श्री सैयद अलीजहीर---जहां तक जंगल के पशुओं का ताल्लुक है वह बहुत पुरानी समस्या, जो ऐसे गांव हैं, जो जंगल के नजदीक होते हैं, है। उस में हमेशा जंगल के पशु आते थे और चर लिया करते थे और वह समस्या पैदा हो जाती थी लेकिन आज कल यह है कि बहुत से जानवर जो गांव वालों के होते हैं, जब वह बेकार हो जाते हैं जंगल में छोड़ दिये जाते हैं तो वे बिलकुल जंगली हो जाते हैं। उस से ज्यादा नुकसान होता है। बहरहाल उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम बन रही है और जहां तक हो सकेगा उसकी रोक थाम की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे स्कीमें क्या हैं जो उन्होंने बतलायी हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर---एक तो यह है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट कुछ लोगों को ठेका देता है कि वे सेमी वाइल्ड कैटिल को पकड़ लें और ले जाकर फिर से पालने की कोशिश करावें। थोड़ी बहुत वे पकड़ लेते हैं लेकिन इन के अलावा मेरा खयाल है कि एनिमल हस्बैन्डरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम बन रही है कि इनको पकड़ करके पालने और दुरुस्त करने की कोशिश करें।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि जंगली जानवरों से बहुत अधिक नुकसान हो रहा है इस डिपार्टमेंट की तरफ से भी आदेश जारी करेंगे कि जंगलों के पास के ग्रामों की फेंसिंग विभाग की ओर से करा दी जाय ?

श्री सैयद अलीजहीर---अध्यक्ष महोदय, फेंसिंग कराना मुमकिन नहीं है। असली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जंगली जानवर छोड़े ही न जायं और कहीं और भेज दिये जांय बजाय इसके कि जो गांवों में बेकार हो जायं उन को वहां के लोग जंगलों में छोड़ दें। अगर यह प्रैक्टिस रुक जाय तो बहुत सी तबाही बच जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार अभी इतनी व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि गोरखपुर जिले के फरेंदा रेंज के पड़ोसी गांव जिनका प्रश्न में जिक्र है, के निवासियों को सहूलियत के साथ हथियार के लाइसेंस दे दिये जावें, जिस से वे जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा कर सकें ?

श्री सैयद अलीजहीर---हथियार तो इन सेमी वाइल्ड कैटिल के लिए बेकार हैं और फिर यह तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इन को शूट कर दिया जाय। जहां तक जंगली जानवरों का सम्बन्ध है उनसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांवों में चारे की कमी की वजह से लोग पशुओं को छोड़ देते हैं तो चारे का इन्तजाम करने के लिए गांवों में सरकार कोई इन्तजाम करेगी ?

श्री सैयद अलीजहीर---इसका बन्दोबस्त तो गांव वाले ही कर सकते हैं।

डुमरियागंज, जिला बस्ती में राप्ती पर पीपे के पुल की निर्माण योजना

*३८---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी पर जिला बस्ती में डुमरियागंज में इस वर्ष प्रस्तावित पीपे का पुल कितना बन चुका है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महाबीरसिंह)---कार्य के लिये टेन्डर मांगे जा चुके हैं तथा लोहे का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*३९---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुल के कब तक निर्मित हो जाने की आशा है ?

श्री महाबीर सिंह--पुल का निर्माण-कार्य मार्च, १९६० तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कब तक आरम्भ हो जायगा ? लोहा लाने में कितनी देर है ?

श्री महाबीर सिंह--लोहा मिलते ही कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी, इस पुल के लिए कितने रुपये की धनराशि रखी गयी है, बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री महाबीर सिंह--इस पुल की लागत अनुमानतः डेढ़ लाख पये है और १२,००० रुपये का प्राविधान इस वर्ष है।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या माननीय मन्त्री जी जनता के कष्ट को देखते हुए उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य आरम्भ करने की कृपा करेंगे ?

श्री महाबीर सिंह--जी हां, ऐसा आदेश है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतलायेंगे कि यह जो टेन्डर्स मांगे गये हैं वह कब तक आ जाने की उम्मीद है और कब तक अन्तिम फैसला हो जायगा ?

श्री महाबीर सिंह--सम्भवतः जनवरी तक।

श्री गेंदा सिंह--इस पुल को तैयार करा देने का कब तक लक्ष्य है ?

श्री महाबीर सिंह--प्रश्न ३९ में इसका जवाब है।

*४०--**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**--[स्थगित किया गया।]

*४१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिले के फैब्रीकेटर्स को लोहा व इस्पात का वितरण

*४२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने व्यापारी ऐसे हैं जिन को ए-बी क्लास के लोहे का परमिट १९५६-५७ तथा १ अप्रैल, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक दिया गया और उन को लोहे का कितना-कितना कोटा दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी तालिका मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९२ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि ये परमिट्स जो दिये जाते हैं वे किसी की सिफारिश पर दिये जाते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपने जिले से कोटा एलाट करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय, जो सूची सदन में उन्होंने रखी है, उसकी जांच करायेंगे कि वे व्यापारी सही हैं या गलत हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह व्यापारी करीब-करीब सब ठीक हैं। एक श्री हाजी अब्दुल खालिक ए क्लास के व्यापारी थे, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने परमिट नहीं दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि बहुत से दूकानदार ऐसे हैं जिन के पास किसी प्रकार की दूकान नहीं है और उन को भी परमिट दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मुझ को पता नहीं। अगर आप को पता हो तो लिख कर दे दीजिये।

नगरपालिका जौनपुर के मेहतरों की हड़ताल

*४३—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, जौनपुर की मेहतर यूनियन अथवा मेहतरों ने काम बन्द करने की सूचना नगरपालिका के हेल्थ अफसर को दी है? यदि हां, तो क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां। नगरपालिका जौनपुर के मेहतरों ने उनकी कतिपय मांगें पूर्ति न किये जाने से दिनांक ९—११—५८ से काम करना बन्द कर दिया है। जिलाधीश, जौनपुर से शासन ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधीश की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि मेहतरों की कतिपय मांगें न्यायसंगत नहीं हैं तथा कुछ मांगों पर नगरपालिका आवश्यक कार्यवाही कर रही है। कतिपय मांगें जो मेहतरों के वेतन व प्राविडेंट फन्ड की सुविधा आदि से सम्बन्धित हैं, उस पर नगरपालिका को शासन ने आदेश दे दिया है कि वह उन मांगों की पूर्ति के हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

माचिस की डिब्बियों के दाम में वृद्धि

*४४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत आयी है कि वेस्टर्न इन्डिया माचिस कम्पनी पचास सीकों वाली माचिस की डिब्बियों पर कन्ट्रोल रेट से ज्यादा कीमत वसूल कर रही है? यदि हां, तो उस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माचिस के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और न सरकार के पास इस विषय में कोई शिकायत ही आयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी को पता है कि केन्द्रीय सरकार के एक्साइज रूल्स ७१/५ के अनुसार माचिस कम्पनियों को हर एक डिब्बी पर कन्ट्रोल की कीमत, सीकों की तादाद का सरकारी लेबिल लगाना लाजिमी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह नोटिफिकेशन नम्बर १८० तारीख ६ मार्च, १९५४ के द्वारा वापस हो गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इसका रेट फिर से मुकर्रर कर दिया जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तो कोई आवश्यकता दिखायी नहीं देती। अगर आप लिखेंगे तो विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि डिब्बी पर अब भी कीमत लिखी जाती है और लेबिल लगाया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसका मुझे पता नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इस नोटिफिकेशन के वापस लेने के बाद इस कम्पनी ने माचिस की कीमत बढ़ा दी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अकेले मुझ को ही नहीं, सभी खरीदारों को इसका पता होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी इसको सूचना मान कर इस बात की सिफारिश करेंगे कि वह नोटिफिकेशन फिर से लागू कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--इसका वे जवाद दे चुके।

टेहरी-गढ़वाल जिले में फारेस्ट पंचायत रूल्स लागू करने पर विचार

*४५--**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला गढ़वाल)----क्या यह सही है कि कुछ माह पहले यह हो चुका था कि जिला टेहरी-गढ़वाल में भी कुमायूं के अन्य जिलों के भांति फारेस्ट पंचायत रूल्स लागू किये जायं ? यदि हां, तो यह रूल्स कब तक लागू किये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बतायेगी कि यह मामला कितने अर्से से विचाराधीन है ?

श्री सैयद अलीजहीर--मेरे खयाल से ८ जुलाई, ५८ को यह रिजोल्यूशन पास हुआ था और उस के पहले एक रिजोल्यूशन पहले भी हो चुका था, उसकी तारीख मेरे पास नहीं है, तभी से यह विचाराधीन है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बतायेगी कि इस मामले का तस्फिया कब तक हो जायगा ?

श्री सैयद अलीजहीर--इस सिलसिले में फारेस्ट कमेटी के मेम्बरान के पास और बार एसोसिएशन के मेम्बरान के पास राय लेने को यह रिजोल्यूशन भेज दिये गये हैं। उनकी राय आ जाने पर सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह फारेस्ट पंचायत रूल्स किस आज्ञा के मातहत बने हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--मेरे खयाल में यह बहुत पहले से हैं। इस वक्त नहीं बने हैं।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कुमायूं फारेस्ट पंचायत ऐक्ट जो बहुत पहले ड्राफ्ट किया गया था, क्या सरकार उस को इस सदन में शीघ्र लाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अलीजहीर--इस वक्त इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि कोई पंचायत ऐक्ट नहीं है और यह रूल्स अवैधानिक है, कोई फारेस्ट पंचायत ऐक्ट पेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप इस चीज को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सामने पेश कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह रूल्स गवर्नमेंट के आदेशानुसार चल रहे हैं, लेजिस्लेशन इसका बेसिस नहीं है। तो फारेस्ट कमेटी की सिफारिश को मानकर फारेस्ट बिल को लाने की कृपा करें।

श्री सैयद अली जहीर--जब उनकी राय आयेगी तब ला डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट में उसको एक्जामिन करा कर देखेंगे।

आयरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर, कानपुर के कार्यालय में परमिट जारी करने में गड़बड़ी

*४६—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी प्राविन्शियल आयरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर, कानपुर के कार्यालय से इस वर्ष में लोहे के कितने जाली परमिट बनाये हुये पाये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में अक्तूबर, सन् १९५८ में यह पता चला कि उक्त कार्यालय से ३ सादे परमिट के फार्म परमिट बुक से गायब हैं। लोहे के स्टाकिस्टों को तुरन्त आदेश दिये गये कि यदि वे फार्म जिनका कि नम्बर दे दिया गया था पेश किये जायें तो उन पर कोई भी सामग्री न दी जाय। अभी तक इन खोये हुये फार्मों में से केवल एक परमिट फार्म पर उस लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के जाली हस्ताक्षर बनाकर कानपुर के एक लोहे के व्यापारी से माल लेने का प्रयत्न किया गया परन्तु इसको उचित समय पर पकड़ लिया गया और कोई माल नहीं दिया गया।

*४७—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जाली परमिटों का बनाना कब आरम्भ हुआ था और उनके अनुसार किस-किस किस्म का कितना कितना लोहा दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसका उत्तर उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के साथ दिया जा चुका है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने वह फार्म गायब किया था वह किस पद पर काम कर रहा था और वह गिरफ्तार हुआ है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, विभागीय जांच चल रही है और इस वक्त विभाग के दो क्लर्क्स सस्पेंडेड हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जाली परमिट का माल लेते हुए आदमी गिरफ्तार हुए हैं, वे कौन लोग हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नाम के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फार्म चुराये गये थे उन पर आयरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर की मुहर पहले ही से लगी हुई थी या बाद को लगायी गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जैसा मैंने बतलाया कि फार्म पर जाली दस्तखत बनाये गये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह के जाली परमिट फार्म जो पकड़े गये वे किसी इन्क्वायरी के फलस्वरूप पकड़े गये या किसी रिपोर्ट के फलस्वरूप पकड़े गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—रिपोर्ट तो कुछ नहीं हुई थी, उन को पता चला जब उन्होंने देखा होगा, इसके अलावा मैं आप को बतला दूं कि हमारा इस तरह का विचार है कि लोकल सी०आई० डी० से इस बात की जांच कराया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि आयरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर की मुहर फार्म पर पहले ही से लगी हुई थी या जाली दस्तखत होने के बाद लगायी गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जैसा मैं ने बतलाया कि इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

*४८---श्री गनेशचन्द्र काछी---[स्थगित किया गया।]

*४९---श्री गज्जू राम (जिला झांसी)---[स्थगित किया गया।]

*५०---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---[स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत कप्तानगंज-अहरौला सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*५१---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज-अहरौला सड़क पक्का करने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री महाबीर सिंह---कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री विश्राम राय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क बहुत पुरानी और बहुत उपयोगी है तो इसकी व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री महाबीर सिंह---यह जिला परिषद् के हाथ में है। उपयोगी जरूर है, तभी जिला परिषद् लिये हुई है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिला परिषद् के पास इतना पया नहीं है, वे अपने विभाग द्वारा इस सड़क को बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री महाबीर सिंह---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना नहीं है।

*५२---श्री प्रताप सिंह---[स्थगित किया गया।]

टाउन एरिया खीरी

*५३---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, खीरी में अक्तूबर, सन् १९५७ से पहले कितने कर्मचारी थे और इस समय कितने कर्मचारी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---टाउन एरिया खीरी में अक्तूबर, १९५७ से पहले १९ कर्मचारी थे और इस समय २३ कर्मचारी हैं।

*५४---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी भी कि टाउन एरिया खीरी में अक्तूबर, सन् १९५७ से पहले वार्षिक आय कितनी थी और इस समय कितनी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---टाउन एरिया खीरी में अक्तूबर, १९५७ से पहले वित्तीय वर्ष १९५६-५७ की आय मु० १२,९२५ पया थी और इस वर्ष १९५८-५९ की अनुमानित आय मु० ४७,०३१ पया है।

*५५---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया यह भी बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर सन् १९५७ के बाद अब तक कितने और कौन से नये टैक्सेज टाउन एरिया खीरी में लगाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---अक्तूबर, १९५७ के बाद अब तक टाउन एरिया खीरी में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ४ कर्मचारी किस किस पद पर हैं और इनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ क्लर्क तहबाजारी (स्थायी) श्री मुख्तार अहमद, २. क्लर्क तहबाजारी (अस्थायी) श्री बलबन्त सिंह, श्री कपिलदेव सिंह, ३. चपरासी तहबाजारी (स्थायी) श्री बुनियाद हुसेन, श्री सिद्दीक अहमद, ४. मेहतर---श्री जहूरी ।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब पिछले वर्ष १२,९०० रुपये की आमदनी हुई और उस वक्त से अब तक कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है तो इस वक्त, ४७,०३१ रुपये का अनुमानित बजट किस आधार पर बनाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास इसका विवरण भी मौजूद है जिससे उन्होंने ४७,००० का अनुमान लगाया है। हैसियत जायदाद टैक्स १९५८-५९ --- ४,२०० रु०, हैसियत जायदाद टैक्स बकाया---६,७७५ रु०, पौंड २,००० ०, शासकीय सहायक अनुदान---१२,५०६ रु०, जुर्माना ५०० रु०, जरपेशगी ५० रु०, मजबा ७,००० रु०, खाब १,००० रु०, तहबाजारी १२,००० रु० और मुत्तफर्रिक १,००० रु० । इस प्रकार कुल मिला कर ४७,०३१ पये हो जाते हैं।

मैं यह स्पष्ट कर दूं, शायद हमारे माननीय सदस्य की मंशा यह होगी कि यह तहबाजारी जो लगायी गयी है इसको वे टैक्स समझते होंगे जब कि तहबाजारी टैक्स नहीं होता । बाकी शासकीय अनुदान में १२,००० रुपये का अन्दाज लगाया गया है। उन्होंने यह सोचा होगा अच्छा प्रबन्ध कर सकने पर अच्छी आमदनी मदों से हो सकेगी । यह ठीक है कि जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि अनुमानित बजट जो है वह ज्यादा का है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---टाउन एरिया, खीरी को गन्ने की गाड़ियों पर टोल टैक्स वसूल करने की सरकार द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने बाईलाज बनाये होंगे । सरकार को अधिकार होगा तो सरकार ने स्वीकृति दी होगी और आयुक्त को अधिकार होगा तो आयुक्त ने दी होगी ।

लेबर कालोनी-हाथरस , जिला अलीगढ़ का मुआवजा

*५६---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस, जिला अलीगढ़ में जिस भूमि पर लेबर कालोनी आबाद की गई है उस भूमि का मुआवजा दे दिया गया है या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां, कलेक्टर, अलीगढ़ ने अक्तूबर, १९५८ में उक्त भूमि का मुआवजा दे दिया है ।

*५७---श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)---क्या सरकार को इस बात की भी सूचना है कि उक्त कालोनी के समीप जो गांव आबाद है उस गांव के गन्दे पानी व वर्षा के पानी के निकालने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं, इस कालोनी के बनने से समीप के गांव के गन्दे पानी व वर्षा के पानी निकलने का रास्ता बन्द नहीं हुआ है ।

सोन नदी के चोपन पुल पर टोल टैक्स बढ़ना

*५८---श्री आनन्द ब्रह्म शाह (जिला मिर्जापुर)---क्या यह सत्य है कि चोपन स्थित सोन नदी के पुल पर जो टोल टैक्स लिया जाता था वह अब दूना कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महाबीर सिंह---इस पुल पर पहले नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अनुसार टोल लिया जाता था परन्तु १५ अगस्त, १९५८ से इस पुल पर इंडियन टोल्स ऐक्ट के अनुसार टोल लिया जा रहा है। इन दोनों दरों में कुछ अन्तर अवश्य है।

श्री आनन्दब्रह्म शाह---क्या सरकार बतलायेगी कि नार्दर्न इंडिया फेरीज टैक्स के आने से टौल टैक्स न ले कर इंडियन टोल टैक्स के अनुसार टोल टैक्स लिया जा रहा है।

श्री महाबीर सिंह---जो पुल २१ जुलाई, १९५६ के बाद खोले गये हैं उन सब पर यह टोल टैक्स लिया जाता है।

श्री आनन्दब्रह्म शाह---क्या सरकार बतलायेगी कि इन दोनों टैक्सेज की दरों में क्या अन्तर है ?

श्री महाबीर सिंह---अलग-अलग चीज पर अलग-अलग दरें हैं और न दोनों में अन्तर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि इंडियन टोल टैक्स के हिसाब से जब टोल टैक्स वह वसूल कर रही है तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इंडियन टोल टैक्स में जो टोल की डेफिनीशन दी हुई है उसमें वह टैक्स नहीं आता है जो वह वसूल कर रही है ?

श्री महाबीर सिंह---माननीय सदस्य को गलत कानूनी इत्तिला मिली है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि शासकीय आदेश से जो अन्य पुल थे उन पर कुछ टैक्स कम कर दिया गया है तो क्या इस पर भी कुछ टैक्स उस दिन से कम हुआ है ?

श्री महाबीर सिंह---विज्ञप्ति देखने की कृपा करें।

शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील के कुछ ग्रामों में पानी की नई व्यवस्था

*५९---श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में वाटर सप्लाई योजना के मातहत कितने ग्रामों में पानी की व्यवस्था की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---२० गांवों में।

श्री रूर्मासिंह---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन ग्रामों को पानी की व्यवस्था कब से हुई है और उनको पानी मिल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की यही सूचना है कि वितरण का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है।

श्री रूर्मासिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कब से यह योजना लागू है और कब से पानी की व्यवस्था की गई और क्या उनको पानी मिल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, किस तारीख से की गई उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन बाद के हिस्से का उत्तर मैंने दे दिया कि वहां ठीक प्रकार से पानी का वितरण चल रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि वाटर सप्लाई का क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ? नल लगाये हैं अथवा कुएं बनाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो मैंने २० गांव बताये उनमें १९ जगह नलकूप द्वारा पानी है और १ जगह क्या प्रबन्ध किया गया है, या व्यक्तिगत कुछ लोगों ने ट्यूब वैल बना लिया है, इसकी ठीक सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो नलकूप लगाये गये हैं यह पीने के पानी के लिये लगाये गये हैं या सिंचाई के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह नलकूप तो सिंचाई वाले हैं उनसे ही पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त भी ३१ गांवों में प्रबन्ध किया गया है जहां वाटर सप्लाई ग्रान्ट से प्रबन्ध किया गया है ।

मुन्सफी देवरिया में पड़रौना व हाटा तहसीलों के मुकदमे

*६०--**श्री शिव प्रसाद** (जिला देवरिया)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना व हाटा के कितने मुकदमे मुन्सफी, देवरिया में सन् १९५६-५७ तथा जुलाई, सन् १९५८ तक दाखिल हुये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--मुन्सफी देवरिया, तहसील पडरौना और हाटा के ऐसे मुकदमों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

वर्ष	पडरौना तहसील से संबंधित दायर किए गये दावों की संख्या	हाटा तहसील से संबंधित दायर किए गये दावों की संख्या
१	२	३
१९५६	१,२६९	७३४
१९५७	८८४	५४२
१९५८ .. .. .. (जुलाई, १९५८ तक)	५९०	४०४

श्री शिव प्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में इस समय कितने मुन्सिफ काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री शिव प्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले की पडरौना और हाटा तहसील की दूरी को देखते हुये और दीवानी के मुकदमों की संख्या देखते हुये दूसरे कोर्टों की भांति कसेया में भी मुन्सिफ कोर्ट की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है जहां तक मुझे याद है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कसेया में मुन्सिफी बनाने के लिये वहां के विधायकों और जनता ने कई बार इसके लिये निवेदन किया है और इस पर सरकार के मंत्री लोगों ने विश्वास भी दिलाया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है । मुझे इसकी इत्तला नहीं है इस वक्त ।

इटावा जिले की दीवानी कचहरी में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के क्लर्क व चपरासी

*६१--श्री भजन लाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा की दीवानी कचहरी में कितने क्लर्क, हेडक्लर्क, एकाउन्टेन्ट हैं ? उनमें से कितने क्रमशः परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन-- दीवानी कचहरियों में हेड क्लर्क और एकाउन्टेंट नाम की कोई जगह नहीं है। इटावा जिले के दीवानी कचहरी में ४८ क्लर्क हैं जिनमें ५ परिगणित जातियों के और २ पिछड़ी जाति के हैं।

*६२--श्री भजन लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की दीवानी कचहरी में कुल कित चपरासी अलग-अलग हैं, उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इटावा की दीवानी कचहरियों में १२ अर्दली हैं जिनमें ७ पिछड़े वर्ग के हैं। परिगणित जाति का कोई अर्दली नहीं है। इनके अलावा ४० चपरासी हैं जिनमें से १ परिगणित जाति का और २१ पिछड़े वर्गों के हैं।

सीतापुर-शाहजहांपुर सड़क पर सरायन नदी के पुल का निर्माण

*६३--श्री गनेशी लाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर-शाहजहांपुर रोड पर सरायन नदी पर जो पुल बन रहा है उस पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारी लाल--इस पुल के निर्माण में अब तक १,८६,२०५ रु० ५० नये पैसे व्यय हो चुके हैं।

*६४--श्री गनेशी लाल चौधरी (अनुपस्थित)--यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--इस पुल के अक्तूबर, १९६० तक बन कर तयार हो जाने की आशा है।

*६५--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--अब तक इस पुल में क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल--अब तक ८ कुओं में से ४ कुओं की गलाई पूरी हो चुकी है और बाकी ४ कुओं की प्रगति ७५ प्रतिशत है। अनुगमनों में मिट्टी लगभग भरी जा चुकी है।

मुरादाबाद जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नल लगना

*६६--श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में १९५७-५८ में पानी पीने के नल लगाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कितने नल लगाये गये ?

श्री राम स्वरूप यादव--जी हां, २२ नल लगाये गये थे।

श्री सुक्खन लाल--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद में १२० नल लगाने की योजना थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन सरकार की इच्छा ज्यादा से ज्यादा नल लगाने की है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---इस नल लगाने की योजना के लिये कितना रुपया स्वीकृत था ?

श्री राम स्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस चाहिये।

अन्तरिम जिला परिषदों का निर्माण

*६७---श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक किन-किन जिलों में अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी तथा उसके अन्तर्गत अन्य विभिन्न कमेटियों का चुनाव नहीं हो सका है ?

श्री राम स्वरूप यादव---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बुलाकी राम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सूचना कलेक्ट न होने में क्या दिक्कत रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव---हर जिले के जिलाधीश को लिखा गया है, कुछ जगह से अभी जवाब नहीं आये हैं, तार भी दिये गये लेकिन अभी कुछ जगह से नहीं आये, जब तक सब जगह से उत्तर न आ जायं तब तक कुछ नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने आदेश दिये हैं कि इन कमेटियों का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली से हो ?

श्री राम स्वरूप यादव---वह तो नियम में दिया हुआ है जिला बोर्ड ऐक्ट के, उसी के अनुसार चुनाव हुये हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के बहुत से जिलाधीश कार्यकारिणी बन जाने के बाद भी किसी कमेटी को बनाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव---यदि अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट पास होने के बाद उनको यह अधिकार होगा तो बनायेंगे नहीं तो नहीं बनायेंगे।

*६८-६९---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---[स्थगित किये गये।]

*७०---श्री रूर्मासिह---[स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष---अब एक सूचना विधान परिषद् की ओर से आई है वह सचिव पढ़ कर सुनायेंगे।

सचिव, विधान सभा---उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ जो विधान सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज वापस प्राप्त हो गया है।

मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब कुछ कामरोको प्रस्ताव हैं। एक श्री गेंदासिंह जी का है---

"मेरठ तथा मुजफ्फनगर के लगभग १ लाख किसानों ने गन्ने का मूल्य कम देने के कारण हड़ताल कर दी है। उपरोक्त जिलों की १० मिलों के बन्द होने के कारण दोनों जिलों के साधारण जीवन में हलचल पैदा हो गयी है। यह भी निश्चित सा है कि यह लहर सारे प्रदेश में फैलेगी। राज्य सरकार किसानों को अपना गन्ना मिलों को सप्लाई करने के लिए बाध्य कर रही है। शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न भी व्यापक रूप से खड़ा हो गया है। अतः सदन इस महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए आज का कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

अभी कुछ दिन पहले मूल्य का निर्धारण कौन करता है, इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और यह स्पष्ट हो गया था कि मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है, प्रदेशीय सरकार से सम्बन्ध नहीं है। गेंदासिंह जी ने प्रश्न उठाया था। तो उस विषय में कार्यवाही होने के सम्बन्ध में उन्होंने इस आदरणीय सदन में यह कहा था कि वह कुछ बातचीत मुख्य मंत्री जी से इस विषय में करेंगे। उस बातचीत का तो उन्होंने आदरणीय सदन को हाल नहीं सुनाया और कामरोको प्रस्ताव एक भेज दिया। मैं समझता हूं कि जब उस रोज निश्चित हो चुका था कि केन्द्रीय सरकार से संबंधित यह प्रश्न है, वही मूल्य निर्धारण करते हैं तो कामरोको प्रस्ताव का यह विषय बन नहीं सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मुझे स्पष्टीकरण का तो अवसर आप दें!

श्री अध्यक्ष---इसी तरह से मिलें बन्द होने के सम्बन्ध के विषय में एक कथन नियम ५२ के अनुसार सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये मेरे सामने आया है। उसके सिलसिले में मैं इस विषय को ले लूंगा और मैं समझता हूं, उस समय आप जो कहना है कह दीजियेगा। आपके कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप उस समय चर्चा नहीं कर सकेंगे। मैं उसको लेने वाला हूं, उस वक्त आपको मौका दूंगा कि आप अपने विषय पर उस सिलसिले में प्रकाश डालें।

आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह का है---

"यह सदन आज अपना कार्य निश्चित, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय पर विवाद करने हेतु आज का अपना कार्य स्थगित करता है।

आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न गम्भीर एवं विषम परिस्थिति इत्यादि।"

इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना किसी तरह की आयी उनके पास, कोई पत्र-व्यवहार ऐसा हुआ जिससे यह मालूमात हुई हैं, यह प्रस्ताव के साथ दिया नहीं है। कब विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हुई यह भी स्पष्ट इसमें नहीं है। जब यह कालेज राज्य सरकार का नहीं है और घटना केवल स्थानीय शासन से सम्बन्धित है और ऐसा अनिश्चित विषय है तो यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। लेकिन दो दफे माननीय सदस्य इसे मेरे पास भेज चुके हैं। एक दफा समय के बाद भेजा, अब समय के अन्दर भेजा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि अगर सचना उनके पास कोई हो---संबंधित मंत्री के पास-तो वह दे सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैंने नोटिस पाने के बाद कोशिश की कि पता लगाऊं, लेकिन मुझे कोई सूचना गिरफ्तारी की नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं कामरेडों को प्रस्ताव की इजाजत तो दे ही नहीं रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत चीनी मिलों में हड़ताल की ओर ध्यान आकृष्ट करने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार मेरे पास दो सूचनाओं के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रार्थना की गयी है।

पहला कथन आया है माननीय चन्द्रजीत यादव जी का और इस नियम में यह दिया हुआ है कि यदि एक से अधिक ध्यान आकृष्ट करने के लिये कोई विषय सामने आते हैं तो मैं यह निश्चित करूं कि कौन सा विषय लेना चाहिये। चन्द्रजीत यादव जी ने तो यही विषय लिया है कि ७ चीनी मिलें मेरठ में और ३ बिजनौर जिले में बन्द हो गयी हैं क्योंकि उनमें हड़ताल हो रही है। दूसरे कथन में सूचना मांगी गयी है उससे यादव जी का कथन अधिक महत्व का समझने के कारण मैं इसी के लिये मौका दूंगा कि इस विषय पर माननीय मन्त्री जी सूचना सदन को दें। पहले मैं इस कथन को उनके सामने रखता हूं—

"महोदय,

मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस विषय को उठाने की अनुमति प्रदान करें। कल तारीख १५ दिसम्बर, १९५८ से मेरठ जिले की ७ और बिजनौर जिले की ३ चीनी मिलों में पूर्णतया हड़ताल चल रही है। इसका कारण है कि गत सत्र में माननीय सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि गन्ने का मूल्य पौने दो रुपये प्रति मन निर्धारित किया जाय। इस प्रस्ताव को अमली रूप देने के लिये राज्य सरकार ने कोई निश्चित कदम नहीं उठाया। यह हड़ताल उसी का फल है।"

तो मैं माननीय चन्द्रजीत जी यादव को अनुमति देता हूं कि इस प्रश्न को वे उठावें। इस सम्बन्ध में मुख्यतः उन्होंने यह कहा है कि सदन के प्रस्ताव को अमली रूप देने के लिये राज्य सरकार ने कोई निश्चित कदम नहीं उठाया। जहां तक मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। इसलिये उस प्रश्न को आप अपनी बहस में कृपा करके न लायें। प्रदेशीय सरकार ने कोई अमली कदम नहीं उठाया इस विषय पर, अगर आप कोई प्रकाश डालना चाहें तो संक्षेप में ५ मिनट के अन्दर डाल सकते हैं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिये मुझे अनुमति दी। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और प्रदेश की करोड़ों जनता के जीवन का सम्बन्ध गन्ने के उत्पादन से है। गन्ना मुख्यतः हमारे प्रदेश की कैश क्राप है और उसी से जो आमदनी होती है उससे गरीब किसान अपना जीवन निर्वाह करता है। पिछले कई वर्षों में जहां चीनी के मूल्य में बराबर वृद्धि हुई है वहां गन्ने की कीमत इतनी कम है कि १ रुपया ५ आने और १ रुपया ७ आने .....

श्री अध्यक्ष—यह तो सदन ने प्रस्ताव ही पास कर लिया था। तो उसके औचित्य के ऊपर आप न कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव—तो श्रीमन्, इसलिये इस माननीय सदन ने एक मत हो कर यह प्रस्ताव पास किया था कि गन्ने का कम से कम मूल्य १ रुपया १२ आने मन होना चाहिये। केवल यही नहीं कि हमारे माननीय सदन ने ही ऐसा प्रस्ताव पास किया हो बल्कि बिहार, जहां भी गन्ने का उत्पादन बहुत काफी होता है वहां की विधान सभा ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया था। जब इस माननीय सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया तो इस राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता था कि वह पूर्ण रूप से प्रयत्न करती भारत सरकार से इस बात के लिये कि प्रदेश की जनता एक मत से न्याय चाहती है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिये भारत सरकार पर अधिक से अधिक प्रभाव डालती कि गन्ने की कीमत १ रुपये १२ आने मन निर्धारित की जाय। लेकिन आश्चर्य हुआ कि अभी पिछले कुछ दिन हुए जब यहां शुगरकेन बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें हमारी ओर बिहार प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बिहार सरकार ने जहां इस बात को मजबूती के साथ पेश किया था और इस बात पर अफसोस जाहिर किया था कि भारत सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है, उन्होंने हमारे प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का भी हवाला दिया था वहां हमारी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अन्दर ऐसी चीज थी जैसे इसको कोई महत्व न दिया गया हो और मामूली संकेत मात्र किया गया था। श्रीमन्, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार स्वयं केन्द्र के खाद्य मन्त्री की भांति इस बात को उचित नहीं समझती है कि गन्ने का मूल्य एक रुपये १२ आने निर्धारित किया जाय। मैं समझता हूं कि विधान सभा ने जिस विषय को इतना महत्व दिया था कि एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था उसको राज्य सरकार जान-बूझकर अमल में लाना नहीं चाहती है। इसलिये मेरा यह सरकार पर आरोप है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को गन्ने का मूल्य इतना दिया जाय।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसी के कारण आज दो जिलों में १० मिलें बन्द हो चुकी हैं और किसानों ने मिलों को गन्ना ले जाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के पूरे किसानों से यह प्रश्न संबन्धित है और प्रदेश की करोड़ों जनता उससे नत्थी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश का किसान एक बड़े पैमाने पर हड़ताल करेगा और वह गन्ना नहीं देगा जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता है। मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी से और सरकार से कि इसका क्या कारण है कि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया? मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करेगी जिससे हम समझ सकें कि जिस प्रस्ताव को इस सदन ने पास किया उसको अपनाने में क्यों हिचक रही है?

श्री अध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी के खड़े होने पर) मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य इस विषय पर नहीं बोल सकता है। मुख्य मन्त्री जी इस संबंध में यदि कोई संक्षिप्त वक्तव्य तैयार हो तो देने की कृपा करें।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, किन-किन मिलों में किसान लोग गन्ना नहीं दे रहे हैं इस के संबंध में मैं सूचना दे सकता हूं और मैं यह बता सकता हूं कि यदि वह मिलें बन्द हो गयीं तो कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे और कितने मन गन्ना पेराई से क जायगा। लेकिन शायद इसको जानने की कोई विशेष उत्कंठा सदन में किसी को नहीं है। यह जरूर है कि कुछ मिलों में गन्ना नहीं जा रहा है और इस बात की सम्भावना है कि आगे चलकर कुछ और मिलों में भी गन्ने का जाना बन्द हो जाये। इतना कहने के सिवाय मैं नहीं समझ सकता कि मैं और क्या कह सकता हूं।

जैसा कि आपने स्वयं कहा कि गन्ने का मूल्य निश्चित करना केन्द्रीय सरकार के हाथ की बात है अभी अपने विचार प्रगट करते हुए माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया कि एक कमेटी जो हाल ही में हुई थी उसमें वह पेश हुई थी। उनका कहना यह था कि बिहार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की ओर से जोरदार भाषा का प्रयोग हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कमजोर भाषा का प्रयोग हुआ । हो सकता है कि हमें अंग्रेजी कम आती हो, लेकिन रिपोर्ट में किस किस्म की अंग्रेजी लिखी गयी उससे सरकार क्या करती है और उसने क्या नहीं किया इसका उससे अंदाजा नहीं होता है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो दो सरकारों के बीच में पत्र-व्यवहार होता है उसका प्रगट करना न तो उचित ही है और न सम्भव ही है । जिस समय प्रस्ताव पेश हुआ उस समय सम्बन्धित मन्त्री ने सरकार का विचार पेश कर दिया था । लेकिन जब सदन का प्रस्ताव हो गया तो हमारा कर्तव्य था कि हम केन्द्रीय सरकार को इसमें लिखें, तो जैसा बना हमने लिख दिया । बिहार सरकार के जोरदार समर्थन का जिक्र किया गया, उसके बाद भी केन्द्रीय सरकार ने जो उचित समझा किया अब मैं नहीं समझता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या सम्भव है । अगर हड़ताल आगे बढ़ी तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी और जो किसानों के हितू होंगे वह इसको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह मामला ऐसा है कि अगर बहकावे में आ कर किसानों ने गन्ना देना बन्द किया जो हम समझते हैं कि देना बन्द नहीं करेगा । लेकिन यदि बन्द किया तो मिलमालिकों का तो नुकसान थोड़ा होगा और किसानों का भयंकर नुकसान हो जायगा । और इसके साथ ही देश का भी नुकसान होगा क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ने की उपज और शक्कर का बनाना उत्तर प्रदेश में होता है । अगर उत्तर प्रदेश में शकर कम बनी तो सारे देश का नुक्सान होगा । मैं नहीं समझता कि इसके सिवा मैं और कुछ कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--नियम में यह दिया हुआ है "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाय कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे ।" तो केवल प्रश्न पूछने की अनुमति मैं दे सकता हूं, कोई स्पष्टीकरण अगर सदस्य चाहते हों इसके ऊपर वाद-विवाद नहीं होगा ।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--मुख्य मंत्री जी ने उस दिन जरूर यह कहा था कि बातचीत की जायगी । मैंने हाउस में ही कहा था कि मिल मालिकान उस दिन आ रहे हैं और उनकी तरफ से बातचीत शुरू होनी चाहिए । मैंने चेष्टा कि की बातचीत हो, लेकिन उनकी दर्शन नहीं कर पाया और इसलिये बातचीत नहीं हुई । फिर भी मैं बातचीत करने के लिये उत्सुक हूं, लेकिन अगर उस तरफ से चेष्टा हो तभी बातचीत हो सकती है । हमारी तरफ से बातचीत करने में सफलता नहीं होगी ।

दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का संबंध है । हमारी विधान सभा के प्रस्ताव को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना । हमारी विधान सभा ने एक कानून बनाया है खरीद और बिक्री का और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि जो किसान मिलों को गन्ना न सप्लाई करें, जिसको रिजर्व और असाइन कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस काश्तकार के ऊपर ५,००० रुपये तक जुर्माना और ६ महीने तक की कैद हो सकती है । धारा दसवीं और बाईसवीं आप देखें । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दाम के संबंध में सलाह मानने को तैयार नहीं है तो फिर हम अपनी इस जिम्मेदारी से बरी हो जायं और किसानों को छूट दे दें कि जिस तरह से चाहें अपना गन्ना बाजार में बेंचे । अगर यह कर दें तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी केवल ला ऐंड आर्डर की रह जाती है, गन्ने के संबंध में ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी जब मैं यहां सदन में बैठा हुआ था तो माननीय गेंदासिंह जी ने कानून की वह धारायें दिखायी थीं । लेकिन अभी यकायक कहना मुश्किल है । देखना होगा, कानूनी सलाह लेनी होगी कि जो मौजूदा केस है उसमें धारा लागू होती है या नहीं और उनसे वह उद्देश्य जो उनको अभीष्ट है वह सिद्ध होता है या नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

साथ ही एक और पहलू भी देखना है। वह यह कि अगर इस किस्म की छूट हुई तो क्या परिणाम होगा। मान लिया कि किसान को इस तरह की आजादी हुई कि मिल में गन्ना न दे, तो अगर मिल मालिकों के ही नुक्सान की बात होती तो ठीक है। लेकिन सोचना होगा कि गन्ने का क्या होगा। पश्चिम के जिलों में कुछ हद तक खंडसारी बनती है। कुछ हद तक गुड़ बनाने के कारखाने हैं। पूर्व के जिलों में न तो खंडसारी और न गुड़ ही बनाने के साधन हैं और न यकायक कोल्हू लगाये जा सकते हैं। यह भी सोचना होगा। अगर आज से कुछ समय पहले यह बात उठी होती तो दूसरी बात होती, लेकिन अब जब क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है तो किसान के करोड़ों मन गन्ने का क्या होगा।

इस सदन में कल जिक्र हुआ कि गुड़ का भाव गिर गया है। एक तो गुड़ पूर्व के जिलों में बन नहीं सकता। पश्चिम के जिलों में जहां इसका थोड़ा-थोड़ा इंतजाम है, पूरा वह भी नहीं, अगर ज्यादा गुड़ बन गया तो गुड़ का दाम और ज्यादा गिरेगा। तो क्या होगा? इन सब बातों को सोचना होगा। इतना ही मैं वादा कर सकता हूं कि गौर करूंगा लेकिन यह वादा नहीं कर सकता कि यकायक जिस तरह से उन्होंने कहा है उस तरह से लागू कर दें जब तक इन सब पहलुओं पर गौर न हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुये कि सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने कर दिया जाय और इस बात को देखते हुये कि गन्ना हड़ताल आगे न बढ़े क्या यू० पी० की सरकार अविलम्ब केंद्रीय सरकार को लिखेगी कि वह पुनर्विचार करें इस गन्ना सीजन के संबंध में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो यहां की परिस्थिति है उससे केंद्रीय सरकार को अवगत करायें।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय खाद्य मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन के वक्तव्य के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा कि १ रुपया १२ आना मूल्य केंद्रीय सरकार निर्धारित करने में असमर्थ है तो उसके बाद राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता की भावनाओं को देखते हुये और इस सदन के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये कोई प्रत्युत्तर केंद्रीय सरकार के पास भेजा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनका बयान निकलने के बाद और गन्ने का मूल्य निर्धारित होने के बाद मुझको यह याद नहीं पड़ता कि यहां से कुछ लिखा गया है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या इस बात को देखते हुये कि यह सार्वजनिक हित का ऐसा प्रश्न है जिस से लाखों किसानों का संबंध है और जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, माननीय मुख्य मंत्री कोई ऐसा प्रयत्न करेंगे कि किसानों और मिल-मालिकों के बीच गन्ने की दर के संबंध में एक समझौता हो जाय और अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय सरकार की भी सहायता इस कार्य में प्राप्त कर ली जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जरूर इस बात के लिये उत्सुक था लेकिन किन्हीं लोगों की गलत सलाह की वजह से कुछ जगह जो गन्ना देना बन्द हो गया उससे कठिनाई हो गई। जहां तक मैंने सुना है गन्ने के जो मिल-मालिकों का एसोसियेशन है उसकी आज कोई बैठक हो रही है और उस बैठक में वह यह तय करने वाले हैं कि अगर गन्ना न मिला तो मिलें बन्द कर दी जायं। अगर मिलें बन्द हो गयीं तो जाहिर है कि इससे मिलमालिकों का उतना नुकसान नहीं होगा जितना मिलों में काम करने वालों का या ऐसे दूसरे लोगों का होगा। यह भी जाहिर है कि अगर कोई समझौता होगा तो उस पर इन बातों का असर होगा। मुझे अफसोस

है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई। फिर भी हमारी कोशिश है और हमारा यह कर्त्तव्य है कि किसी प्रकार से यह काम सुचारुरूप से चले।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सूचना है कि उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके दिया था कि इस गन्ने की कीमत की परिस्थिति को देखते हुये और इस सदन की राय को देखते हुये यदि वह ठीक स्तर पर नहीं की जायगी तो १५ दिसम्बर से एक भारी हड़ताल हो जायगी जिससे किसानों और उससे संबंधित सभी वर्गों की हानि होगी ? क्या यह सूचना उनको मिल चुकी है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी विशिष्ट पार्टी के प्रचार के लिये यह प्रश्न यहां पर उठाया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों विधान सभाओं ने स प्रस्ताव को पास किया था और वहां की जनता की भावना को व्यक्त किया था तो केंद्रीय सरकार ने उन कारणों को सरकार के पास भेजा है जिन कारणों के विशेष आधार पर यह प्रस्ताव उनको मान्य नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे ख्याल में कुछ तो उनकी विज्ञप्ति में जो निकली है उसमें दिये होंगे। कुछ कारण जरूर आये होंगे, इस समय वह मेरे सामने नहीं हैं।

खाद्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

***खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)**---अध्यक्ष महोदय, गुड़ की मूवमेंट के संबंध में किसी ने कल प्रश्न पूछा था कि क्या गुड़ के प्रदेश से बाहर जाने पर कोई प्रतिबन्ध है? मैंने कहा था कि जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा, लेकिन अखबार से मालूम हुआ है कि उस पर ऐसी चर्चा हुई और ऐसा आभास हुआ कि उस पर प्रतिबन्ध है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और गुड़ बाहर जा सकता है। हापुड़ में मीटर गेज से भेजने की कुछ दिक्कत थी लेकिन अब १७ तारीख से वह खुल रही है और अब बाहर जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, यह जो गुड़ के संबंध में मैंने प्रश्न किया था उस संबंध में मैं एक और महत्वपूर्ण बात को माननीय खाद्य मंत्री की नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो अभी यह चावल के स्टाक जब्त हो रहे हैं, उसकी खरीद के संबंध में तो जो ऐसे छोटे दो-दो और चार-चार मन बेचने वाले बनजारे या छोटे दूकानदार हैं उनके स्टाक भी जब्त हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो छोटे लोग हलवाहे या इसी तरह से छोटा काम करते हैं उनके चावल के बोरों को भी उन लोगों ने जब्त किया है। तमाम प्रदेश के लोगों से हमारे पास शिकायतें आई हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो स्टाक जब्त हुये हैं उस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, सौ मन से नीचे के जो व्यापार करने वाले हैं उनपर तो यह लागू नहीं होता। हां, अलबत्ता मिलों से कुछ लोग लाते हैं उन पर यह प्रतिबन्ध है। लेकिन इन बनजारों में और सही ट्रेड करने वालों में डिस्टिंक्शन करना मुमकिन नहीं हो पाता। इस मामले को आर०एफ०सी० के डिस्क्रीशन पर छोड़ना होगा, मगर इसमें दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। इन पर विचार करने की जरूरत है। वैसे नियम वही है जो मैंने बतलाया कि सौ मन से नीचे के व्यापारियों पर यह चीज लागू नहीं होती।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स पर एकाउन्टेंट जनरल की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितता पर विचारार्थ नियम १०७ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न नियम १०७ के अन्तर्गत विवाद के लिये भेजा है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं नियम १०९ के अनुसार।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---मैं गल्ले के सिलसिले में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठिये। आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते। अब उसके संबंध में आप प्रश्न नहीं उठा सकते, दूसरा प्रश्न उठ गया है।

तो एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स पर एकाउन्टेंट जेनरल की रिपोर्ट इस आदरणीय सदन के सामने रखी गयी।

श्री गौरीशंकर राय---उसका जिक्र तो उसमें नहीं है, जरा आप इसे देख लें।

श्री अध्यक्ष---जिक्र हो या न हो वह इस आदरणीय सदन के सामने रखी गयी। उस रिपोर्ट में कुछ इर्रेगुलेरिटीज हैं। उस संबंध में एक पैराग्राफ माननीय गौरीशंकर राय जी ने कल दिखलाया और उन्होंने कहा कि वह इर्रेगुलेरिटीज महत्व की हैं और इस कारण बहस के लिये समय दूं। नियम १०९ में दिया हुआ है कि ---

> "अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वे कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों को उल्लंघन करता हो।"

तो वह रिपोर्ट जो एकाउन्टेंट जेनरल की उपस्थित की जाती है या बांटी जाती है वह जाती है पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास। उसकी जांच होने के बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का प्रतिवेदन इस आदरणीय सदन के सामने आता है तब उसका निश्चय होता है आदरणीय सदन की उक्त समिति के द्वारा कि वे इर्रेगुलेरिटीज या अनियमिततायें कैसी हैं और तब कोई ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। उस वक्त तक नहीं जब तक कि उक्त समिति की रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि विचार करने में यह सब बातें उस समिति के सामने आती हैं और सरकार अपना स्पष्टीकरण उस समिति के सामने अपने आफिसरों द्वारा देती है और अगर उसमें सरकार का जवाब उचित मालूम होता है तो समिति उसमें यह भी अपनी राय दर्ज कर देती है कि जो अनियमितता हुई है वह आवश्यकीय परिस्थितियों के कारण हुई है, तो उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जह की जरूरत नहीं होती।

जब तक उक्त समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया है तब तक एकाउन्टेंट जेनरल की रिपोर्ट जो यहां सदन के सामने उपस्थित हुई है उसमें सूचित एक-एक इर्रेगुलेरिटीज के ऊपर, एक-एक अनियमितता के ऊपर अगर बहस छिड़ जाय तो सैंकड़ों विषयों पर बहस हो सकती है। एकाउन्ट्स आडिट होते हैं और उन आडिट रिपोर्टों के आते ही एकदम से उनपर बहस सदन में होने लगे तो सारे काम समाप्त हो जायेंगे और रिपोर्ट पर ही पूरे सत्र में बहस चलती रहेगी। मैं इसलिये यह समझता हूं ऐसी बहस करना इन नियमों का उल्लंघन करना है क्योंकि वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के अधिकारों को लांघ कर पार चला जाना होगा। इस समय इस सदन में इस विषय को उपस्थित कर देना, मैं समझता हूं, अनुचित होगा और इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गौरीशंकर राय--मैं एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। मेरे प्रस्ताव में ऐसा नहीं है....

श्री अध्यक्ष---कल जो प्रस्ताव आपने मेरे पास भेजा था उस विषय में मैंने अपना यह फैसला दिया। जो आपने आज दिया है उसे अब लेता हूं. वह इस प्रकार है---"मैं नियम १०७ के अन्तर्गत सामान्य लोकहित के निम्न विषयक प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं:

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जिला बनारस में अवस्थित सोडा ऐश व अमोनियम फैक्ट्री जिसको प्रदेशीय सरकार द्वारा दिये गये १ करोड़ ४५ लाख रुपये के ऋण को प्राप्त कर बनाया गया और जिसके प्रबन्धक मंडल ने सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया और अभी तक कर्ज की एक किस्त भी अदा नहीं की, का पावर हाउस सरकार द्वारा न खरीदा जाय"। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और उसके बाद प्रश्नोत्तर भी हुये थे और उसमें श्री पालीवाल जी ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार इसे लेने का अंतिम निर्णय करेगी तब इस सदन को कांफीडेंस में लेगी और बतायेगी कि उसका निर्णय क्या है और किन कारणों से निर्णय किया है। तो उस के ऊपर मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 'कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं सदन को खबर कर दूंगा'। तो सदन को कांफीडेंस में लेने के लिये उन्होंने स्वयं कहा था। उसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं कि इस प्रश्न को दुबारा फिर उठाया जाय और उस पर बहस छिड़े। वह सूचना दे देंगे और इसलिये मैं इस प्रकार के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा। वह विषय सरकार के विचार में शामिल है और वह जब तक सरकार उसे खरीद नहीं रही है तब तक बीच में इस प्रकार के प्रस्ताव की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--खबर देना और विश्वास में लेना क्या एक ही बात है?

श्री अध्यक्ष--जो प्रश्न पूछा गया था वह कांफीडेंस में लेने के बारे में था कि खरीदने के पहले वह सदन को सूचना देंगे। तो उस समय तक खरीदने का सवाल नहीं आता। जब सरकार अपने निश्चय की सूचना देगी तभी खरीद होगी। उस समय जिसको आक्षेप करना हो तो वह उस पर कर सकता है और उसी समय इस प्रश्न को उठाने का उचित मौका हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैंने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव साहू केमिकल्स के बारे में किया था....

श्री अध्यक्ष---आपका प्रस्ताव जो १० बजकर ५७ मिनट पर आया वह आपके दस्तखत से आया। उसमें नियम यह है कि तीन सदस्यों के दस्तखत होने चाहिये। दो सदस्यों द्वारा पुष्टि होनी चाहिये। उस के बाद जब अपनी गलती मालूम हुई तो ११ बजे के कुछ देर बाद, बल्कि ११ बजकर १२ मिनट पर, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदस्यों के दो दस्तखत होकर के फिर वह भेज दिया गया। उससे वह समय के अन्दर आया, ऐसा नहीं समझा जायगा। तो अब तक मैं उस पर विचार नहीं कर सका हूं। इस पर विचार करने के बाद यदि सदन कल बैठा तो इस पर मेरा निर्णय जरूर दिया जायगा। और अगर कल सदन की बैठक न हुई तो जिस वक्त सदन फिर बैठेगा तब मेरा निर्णय इस पर हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

खण्ड ३ (क्रमागत)†

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय गौरीशंकर राय जो प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में अपना भाषण दे रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई बड़े सिद्धांत की बात है। उन्होंने यह कहा था कि वे चाहते हैं कि कुलपति को

†१५ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

इस यूनिवर्सिटी का चांसलर न बनाया जाय . . . आदि-आदि । लेकिन श्रीमन्, जब मैंने इस संशोधन को पुनः पढ़ा और उस धारा को भी पढ़ा जिसमें वे संशोधन करना चाहते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे बाहर जायं तो शांतिपूर्वक जायं ताकि भाषण देने वाले के भाषण को हम लोग सुन सकें ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--जब मुझे ऐसा लगा कि जो भाषण माननीय गौरीशंकर राय जी दे रहे हैं उससे इस संशोधन का कोई संबंध ही नहीं है । मुझे विश्वास है कि माननीय गौरीशंकर राय जी अगर अपने संशोधन को पुनः पढ़ेंगे और उसको अपने भाषण की कसौटी पर देखेंगे तो वे भी इसी निश्चय पर आ जायेंगे । जो संशोधन माननीय गौरीशंकर राय जी ने पेश किया है उसके माने ये हैं कि धारा ३ में जहां शब्द आये हैं "विश्व विद्यालय के प्रथम कुलपति तथा प्रथम उप-कुलपति तथा बोर्ड . . . आदि-आदि" इसमें केवल इतना-सा अन्तर होगा कि उप-कुलपति से पहले जो शब्द 'प्रथम' आया है वह निकाल दिया जायगा । तो एक तरफ तो यह होगा कि 'विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा उप-कुलपति . . . .' तो मैं बड़े आदर के साथ यह कहूंगा कि यह बहुत भ्रमात्मक संशोधन दिया गया है । यह प्रत्यक्ष है कि यदि हम उप-कुलपति से पहले 'प्रथम' शब्द को निकाल दें तो उसकी मंशा ही खत्म-सी हो जायगी और दूसरी जगह 'प्रथम' शब्द रहता आये और एक जगह से निकाल दिया जाय तो वैसे भी विरोधाभास हो जायगा ।

इसके अतिरिक्त जो कार्पोरेट बाडी के कांस्टीट्यूयेन्ट्स होंगे उन में यह आवश्यक होगा कि प्रथम चांसलर और प्रथम वाइस-चांसलर के अतिरिक्त जो सदस्य अथवा पदाधिकारी होंगे वे सब इसके कांस्टीट्यूयेन्ट्स होंगे । इन सब के पहले भी यह 'प्रथम' शब्द विद्यमान है । इसलिये मैं समझता हूं कि कदाचित् माननीय गौरीशंकर राय जी, जो हमेशा रीजनेबिल बात के पोषक रहे हैं, पुनः विचार कर के कृपा पूर्वक अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र माननीय अग्रवाल जी के सारगर्भित भाषण को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था । जिस बात की ओर उन्होंने इशारा किया, जब तक इस पूरे विधेयक को नहीं पढ़ा जायगा उस शंका का होना आवश्यकीय और स्वाभाविक है । जो संशोधन माननीय गौरीशंकर राय जी ने खंड ३ में दिया है वह यह है कि "प्रथम उप-कुलपति" निकाल दिया जाय । मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान खंड ९ की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है "The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor of the university." तो इस संशोधन के द्वारा हम यह चाहते हैं कि गवर्नर इस विश्वविद्यालय का चांसलर नहीं हो सकता । गवर्नर यदि चांसलर हो तो फिर उप-कुलपति काहे को रहेगा? उप-कुलपति तब होगा जब कोई कुलपति होगा । तो गवर्नर को चांसलर न बनाया जाय तो जो उप-कुलपति है वही कुलपति हो जायगा । इसलिये हम यह चाहते हैं कि फर्स्ट वाइस-चांसलर को निकाल कर "फर्स्ट चांसलर" ही रहे । इस तरह से प्रथम उपकुलपति के बारे में जो संशोधन रखा गया है, इस विश्वविद्यालय का जो उप-कुलपति है वही कुलपति हो जायगा, इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय अग्रवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि संशोधन तो यह होना चाहिये कि इसके साथ साथ इसका समन्वय और संशोधनों से भी हो, इसलिये ऐसी शंका का होना स्वाभाविक है ।

मान्यवर, यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारी भावना से ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री जी जो एक अद्वितीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, मैं आपके द्वारा उनसे कहूंगा कि यह संशोधन भी अद्वितीय है और वह इस माने में कि इस प्रकार का संशोधन इस माननीय सदन में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के किसी भी माननीय सदन में आज तक नहीं आया है ।

जिन विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध केन्द्र की तरफ से है, उनमें भी ऐसा संशोधन नहीं आया। इसलिये माननीय कृषि मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं तो काफी छानबीन करने के बाद और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें गवर्नर महोदय को ही चांसलर माना जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत दफा बहुत-सी गलतफहमियां हो जायंगी। अगर गवर्नर साहब चांसलर माने जायेंगे और सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप विश्वविद्यालय में हो गया तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को और वहां के अध्यापकों को यह एहसास होता है कि गवर्नर साहब चांसलर होने के नाते ....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---कोरम नहीं है, यह तो स्पष्ट मालूम होता है।

(कोरम की घंटी बजायी गयी। कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष---माननीय प्रताप सिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके चांसलर जितने भी हमारे राज्यपाल हैं वे ही होते हैं। तो जब कभी विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में, विद्यार्थियों के अधिकारों पर और शिक्षकों के अधिकारों पर कुठाराघात होने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार का कोई हस्तक्षेप है। वे ऐसा इसलिये समझते हैं कि गवर्नर आज तक चांसलर रहे हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में सरकार से रहता है। इसीलिये इस चीज को दूर करने के लिये एक नया कदम और एक नयी रोशनी लाने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

और यही नहीं अपने कथन की पुष्टि में मैं पुनः अपने हिन्दुस्तान के एक महान् विचारक श्री राधाकृष्णन् के कुछ शब्दों को आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। रूरल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट के पेज ५८७ में लिखा है---

"Except for the Vice-Chancellor, none of the other usual elements of college governments, such as court or Chancellor, will be needed."

इसी को ध्यान में रखते हुये उन्होंने यह कहा है कि चांसलर और कोर्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी रिपोर्ट को हम भी मानते हैं और जब चांसलर की जरूरत नहीं होगी तो उप-कुलपति ही कुलपति हो जायेंगे। इसलिये खंड ३ में जो फर्स्ट वाइस-चांसलर है उस शब्द को निकाल दिया जाय ताकि वर्तमान उपकुलपति जिनको माना गया है उन्हीं को कुलपति माना जायगा, इस भावना से प्रेरित हो कर यह संशोधन लाया गया है।

जब यूनिवर्सिटी में सब एक से एक सुन्दर और अच्छी बातें रखने का प्रयास किया जा रहा है तो इस संशोधन का वास्ता विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता से भी है, इस मानी में कि जब वाइस-चांसलर एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा चुना जायगा तो जो खामियां व त्रुटियां हैं वे नहीं रह पायेंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय के भविष्य का प्रश्न है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस संशोधन पर सदन के माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसकी रूपरेखा अभी प्रारम्भ नहीं हुई है। इस विश्वविद्यालय में सात साल शिक्षा प्राप्त कर के ग्रेजुएटस निकलेंगे तो जब हम इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने जा रहे हैं तो हम इस प्रकार आधारशिला रखें जिसमें माननीय मंत्री को खेद प्रकट करने का अवसर न मिले कि जो विधेयक वे लायें उसे वे पूरा न कर सकें जैसे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि रूरल यूनिवर्सिटी वे उसे बनाना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से नहीं बना सके। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा सहयोग उनको प्राप्त हो और वह तभी हो सकता है जब हमारे उपयुक्त संशोधनों को वे मानें।

[श्री प्रताप सिंह]

यह जो संशोधन रखा गया है यह अपनी जगह एक विशेषता रखता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मसलों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होना चाहिये। वहां क्या पढ़ाई होगी, किस तरह से अध्यापकों को काम करना होगा इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिये। इससे शिक्षा-शास्त्रियों का मतलब है जो एकेडेमिक कौंसिल में रहेंगे, वहां लोग वाइस-चांसलर चुनें और वहां वाइस-चांसलर हमारे चांसलर हों तो खंड ३ में उपकुलपति की जरूरत नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ में गौरी शंकर राय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

सहायक शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अगर माननीय सदस्य मुझे इस बात में मदद करना चाहते हैं कि मुझे दोबारा इस सदन के सामने यह न कहना पड़े कि मैं रियाज करने पर भी कामयाब नहीं हो सका और शिक्षा मंत्री के वे शब्द मुझे दोहराना न पड़ें जो उन्होंने सुनाये हैं तो मैं विनम्र निवेदन उनसे करूंगा कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करें। जो तरमीम वे ले कर चले हैं वह बहुत साफ हैं। ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वह बनाना चाहते हैं, उसमें रिसर्च और एक्सटेंशन सब कुछ करना चाहते हैं। माननीय सदस्य का जो विचारधारा है और जिस तरह से वे सब चीजों को सामने रख रहे हैं उसके मुताबिक वे इसको एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जिसके बारे में कह सकें कि कुमायूं ने एक यूनिवर्सिटी प्राप्त कर ली और उसमें फाइन आर्ट्स, फोक डांसेज और मिलिटरी ट्रेनिंग वे सब दे सकें। फिर मुझे दोहराना पड़े कि मैं असफल रहा। इसलिये मुनासिब यही है कि इस संशोधन पर जोर न दें और माननीय सदस्य सहयोग देने की कृपा करें तो मुझे ये शब्द न दोहराने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष---क्या आप यह आश्वासन देते हैं कि शिक्षा मंत्री जी से सिफारिश कर देंगे कि वे ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटी खोलें ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक दूसरी यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है वह तो इस सदन में कहा जा चुका है कि उसकी जरूरत तो है ही, साधन न होने के कारण वह नहीं खुल सकती। इसलिये उसको इससे न मिलाया जाय। और नई यूनिवर्सिटी से वह निराश न हों बल्कि उसको फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिये जिसमें सब चीजें पढ़ाई जायं, उसके लिये अलग से लड़ें। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस सीमित यूनिवर्सिटी को ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही रहने दें।

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, उस का अर्थ यह है कि वाइस-चांसलर का शब्द हट जायगा और वाइस-चांसलर जो इसमें सब जगह है वह वाइस-चांसलर चांसलर कहलायेगा और चांसलर ही सब कंट्रोल करेगा जो कि वाइस-चांसलर के इसमें हैं। इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैं यह कह दूं कि मुझे कोई बहुत बड़ी आपत्ति इसमें नहीं है कि चांसलर न रहे और वाइस-चांसलर ही चांसलर कहलाये, लेकिन यह नई यूनिवर्सिटी है, वाइस-चांसलर बोर्ड से चुना जायगा, पहले टर्म में तो चांसलर नियुक्त करेंगे। अगर गवर्नर चांसलर न रहे तो चाहे गवर्नमेंट चुन दे, चाहे गवर्नर चुन दे, यह सवाल भी गौण है। लेकिन शुरू में अगर कुछ तंगदस्ती हुई, कुछ दिक्कतें हुईं तो उस समय के लिये चांसलर ही हमको सलाह मशिवरा देता रहे और जो इसके अलावा है क्योंकि गवर्नर जब चांसलर के तौर पर काम करते हैं तो गवर्नमेंट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। तो शुरू में जो कठिनाइयां आयेंगी उनमें हमको मदद मिलेगी।

दूसरी बात सब, जगह गवर्नर ही चांसलर है। तो ऐसा न मालूम हो कि यह ऐसी छोटी यूनिवर्सिटी है जिसमें गवर्नर ने अपने आपको ऐसोसिएट करना भी मुनासिब नहीं समझा। इससे भी इसकी हैसियत कुछ छोटी रहेगी और यूनिवर्सिटीज से। इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इसमें सहायक हों ताकि यूनिवर्सिटी सफल हो सके और इस पर जोर न दें, नहीं तो मुझे इसको मानने में आपत्ति है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का भाषण इस बात का साक्षी है कि सरकार का दावा बिल्कुल कपोल कल्पित है कि यह नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कम से कम इस चांसलर रखने के सम्बन्ध में तो वह दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो व्यवस्था रही है उसी को बड़े जोरों से रखना चाहते हैं और रादर विद वेनजियेंस रखना चाहते हैं। कई बार कल से कहा गया कि नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं। लेकिन आप देखें कि चांसलर को रखना और उसके हाथ में इतनी शक्ति देना कि वही वाइस-चांसलर को नामिनेट करेगा और स्टेट्यूट्स बनायेगा, तो सारी वही प्रणाली अपनायी जा रही है जो और जगह है। विधेयक में ओरिजिनल यह था कि गवर्नर चांसलर नहीं रहेगा, और मंत्री जी कहते हैं कि उनको कोई खास आपत्ति भी नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर कौन से ऐसे कन्सीडरेशन्स हुये कौन-सी ऐसी खास बात हुई कि बाद को गवर्नर की आवश्यकता पड़ी? अगर दिक्कतों की आशंका है तो उनको दूर करने के लिये मंत्री जी मौजूद हैं, उनके डायरेक्टर्स बोर्ड में रहेंगे और जो इलेक्टेड चांसलर होगा वह मौजूद रहेगा। यह थोड़े ही है कि हेड आफ दि आफिस समाप्त हो जायगा? सिर्फ गवर्नर नहीं रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज में हेड आफ दि स्टेट को डालना बड़ा डेरोगेटरी है। गवर्नर जैसे आदमी को जो सबसे ऊंचा रहता है और कैबिनट की ऐडवाइस पर काम करता है उसको ऐसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना देना, मैं समझता हूं किसी प्रकार वांछनीय नहीं है।

स्टेटस और पोजीशन की जो बात मंत्री जी कहते हैं तो वह गवर्नर के चांसलर होने से नहीं होती। यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो टीचर्स से जाना जाता है। अगर आज लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई स्टेटस है तो वह इसलिये नहीं है कि उसके चांसलर गवर्नर हैं और केवल इसी कारण से लड़के वहां नहीं जाते बल्कि वहां की टीचिंग की एक शोहरत है और वह विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसर्स के लिये और पठन-पाठन के लिये मशहूर है। इसी तरह से हमारा दून स्कूल है जो सब से ज्यादा मशहूर पब्लिक स्कूल है, वह भी अपने केरीकुलम और स्टेटस की वजह से मशहूर है। स्कूल तो और भी तमाम हैं लेकिन उनमें वह बात नहीं है। यह जो मिथ्या धारणा और प्रवंचना हो गई है कि गवर्नर चांसलर होगा तभी उस का रुतबा ऊंचा होगा, उससे मंत्री जी को मुक्त होना चाहिये और यह जो एक नई पाटी पर वह लिखना शुरू कर रहे हैं लेकिन अगर "अ आ इ ई" में ही गलती हो गई तो वह गलती आगे और होती ही जायगी। वैसे उनको कोई विशेष आपत्ति इसमें नहीं है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन पर विचार कर लें और उसको स्वीकार कर लें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को गौर से सुना। जहां तक मैं समझता हूं कुलपति और उप कुलपति का मामला कुमायूं डिवीजन में फाक डान्स की यूनिवर्सिटी आदि के मामले से सम्बन्धित नहीं है। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो वहां फाक डान्स की यूनिवर्सिटी बनायेंगे लेकिन वहां पर गवर्नर के कुलपति होने या न होने का कोई असर नहीं पड़ता। अगर वह समझते हैं कि गवर्नर या कोई दूसरा रहे तो वह ही जानें लेकिन मैं श्री नारायणदत्त तिवारी का समर्थन करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको मानने में कोई कठिनाई न होगी। किसी कलात्मक कार्यक्रम के लिये शायद कुछ सुविधा रहे, वह बात और है।

जहां तक श्री जगदीश शरण जी का प्रश्न है, मैं उनका उत्तर इसलिये नहीं देना चाहता कि मेरी मंशा वह समझ गये होंगे और मैंने उनके उत्तर से यह बात समझी कि वह कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। वह व्यावहारिक आपत्ति नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक आपत्ति है। मुझे माननीय मंत्री जी क्षमा करें यह कहने में कि यह तो एक बड़ा हीन-भावना-ग्रस्त विचार है कि गवर्नर के रहने से कोई बड़ी शान रहेगी और उनके रहने से कोई बड़ाई मालूम होगी। उनका तो कहना यह था कि पुराने विश्वविद्यालयों की परिपाटी से अलग रहकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

हमारी मंशा एक उपयोगिता के अनुसार यूनिवर्सिटी बनाने की है, लेकिन यह शान, रोब और रुतबा गवर्नर को चांसलर रखकर जो बढ़ाया जा रहा है यह तो एक परस्पर विरोधी कल्पना है। अगर वह पुराने विश्वविद्यालयों की परम्पराओं के अनुसार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पास नहीं आने देंगे, सरकार की कमेटी का रहना, यह सब बातें तो पुरानी परम्परा से अलग हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक शांति के लिये वही पुराने सामन्त युग के रोब के लिये कोई बात हो तो वह आधार ऐसा नहीं है जिस के कारण मंत्री जी को इसे मानने में दिक्कत हो। मैं समझता हूं कि वह इस पर फिर विचार कर लें, उन को इस में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और वह मेरे संशोधन को मान लें।

श्री मोहन लाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जो दलीलें इस से सम्बन्ध रखने वाली थीं उनका उत्तर तो मैं पहले दे चुका, उस को दोहराने की जरूरत नहीं है, अगर वह नहीं समझ पाते हैं तो मेरा कसूर है और उनकी समझ में नहीं आता तो भी शायद मुझ में समझाने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगर समझने के बाद भी कोई हठधर्मी करे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं।

जहां तक श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने सख्त अलफाज इस्तेमाल करने शुरू किये हैं, वह अल्फाज कि जिनका बिल से कोई ताल्लुक नहीं था जैसे 'मिथ्या धारणा', 'कपोलकल्पित बातें' और 'प्रवंचना' आदि कहकर वह आगे बढ़ रहे हैं, यह उनको मुबारक, लेकिन मुझे अफसोस होता है क्योंकि सख्त अलफाज का इस्तेमाल करने से दलील में ज्यादा जान नहीं आती है।

जहां तक इसकी दूसरी बातें हैं, मैं उनका उत्तर दे ही चुका हूं।

श्री अध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "प्रथम उप कुलपति" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४-५

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४---विश्वविद्यालय अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित समझा जायगा :

(क) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों, में शिक्षा देने के लिये व्यवस्था करना;

(ख) अनुसंधान-कार्य, विशेषकर कृषि तथा अन्य संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान-कार्य, को आगे बढ़ना; तथा

(ग) क्षेत्रीय तथा प्रसार कार्यक्रम (field and extension programmes) अपनाना।

विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिये होगा।

५---विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सभी व्यक्तियों के लिये खुला होगा किन्तु, इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करना अपेक्षित होगा।

*श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) की पंक्ति १ में शब्द "ग्रामीण" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मैं प्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से और जिस विचार को रखकर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। सहमत ही नहीं सदा से इस बात का उत्सुक रहा हूं। जब से राधाकृष्णन-कमीशन की रिपोर्ट निकली है और जब से उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि हमारी शिक्षा में जरूर परिवर्तन आना चाहिये, जिससे पढ़ने के बाद विद्यार्थी ग्रामीण वातावरण में रह सकें और ग्रामों की उन्नति और उत्थान में सहयोग दे सकें, तभी से मैं इस बात के लिये उत्सुक रहा हूं कि इस प्रदेश में ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो। जब 'ग्रामीण' का कोई प्रश्न आता है तो स्वभावतः कृषि का उससे विशेष सम्बन्ध होता है। इसी उद्देश्य को लेकर गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात चली थी कि वहां ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, किन्तु उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा न होने के कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। माननीय कृषि मंत्री जी अब इस उद्देश्य को लेकर चले हैं, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस प्रदेश की, जो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित होकर पूरी हो सकेगी। यह सब कुछ होते हुये भी मैं यहां से शब्द "ग्रामीण" निकाल देना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस विश्वविद्यालय का नाम कृषि विश्वविद्यालय हो या ग्रामीण विश्वविद्यालय हो, इसके बारे में भी मैं बहुत बढ़ना नहीं चाहता। मैं किसी बोतल की शक्ल या उसपर क्या लेबिल लगा है इस बात से सम्बन्ध नहीं रखता। मैं यह देखना चाहता हूं कि उसके अन्दर क्या भरा है और माननीय कृषि मंत्री जी को कोई कठिनाई थी केन्द्रीय गवर्नमेंट के कारण और उन्होंने इसीलिये उसका नाम कृषि विद्यालय रखा, इस पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई ऐसी हो जो ग्रामीण वातावरण में हो और कृषि उद्योग को और कृषि से सम्बन्धित उद्योगों को सहयोग दे सके जिससे कृषक जीवन में कोई उन्नति हो सके, ऐसा मैं चाहता हूं और वह तब हो सकता है जब कि वहां पढ़ाई का वातावरण एक ग्रामीण वातावरण हो। मेरा अपना खयाल है कि हमारे बहुत से विश्वविद्यालयों में कोई बहुत बड़ा पाठ्यक्रम तो नहीं है, लेकिन उस वातावरण को देखते हुए जिसमें वहां के विद्यार्थी रहते हैं और पढ़ाई होती है आप चाहे कृषक विश्वविद्यालय नाम रख लीजये या ग्रामीण विश्वविद्यालय रख लीजिये, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा भारी फर्क आ सकता है। जो कि आज कानपुर के कृषक महाविद्यालय से विद्यार्थी निकलता है उस का स्तर जिस प्रकार का होता है, वह सब पर विदित है। इसलिए वहां का वातावरण ग्रामीण अवश्य होना चाहिए। तो जहां तक वातावरण का सम्बन्ध है, मैं "ग्रामीण" शब्द से बिलकुल सहमत हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि इस विधेयक से यह "ग्रामीण" शब्द निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---'जनता' आप कहिये।

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, मेरा वही मतलब है। मैंने इसमें देखने की कोशिश की। इस विधेयक में दो जगह ग्रामीण जनता का प्रयोग किया गया है। पहले तो प्रस्तावना में ही प्रयोग किया गया है कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण जनता के लिये बनाया जा रहा है और फिर खंड ४ में ग्रामीण जनता का उपयोग हुआ है, किन्तु व्याख्या कि ग्रामीण जनता क्या है इस विधेयक में है नहीं। आम फहम ग्रामीण जनता की बात तो है, लेकिन जब हम विधेयक को देखते हैं तो उसकी तो एक निश्चित व्याख्या होनी चाहिये। व्याख्या के लिये जब हम टटोलते हैं तो ग्रामीण की और नागरिक की व्याख्या केवल स्वायत्त शासन विभाग में मिलती है जहां तक मेरी जानकारी है। और कहीं हो तो मुझे खुशी होगी, कृषि मंत्री जी बता दें, मेरी कठिनाई हल हो जायगी। स्वायत्त शासन विभाग में जो व्याख्या है उसके अनुसार तो यह होगा कि इस विश्वविद्यालय का फायदा केवल उन किसानों के बच्चों को मिल सकेगा जो पंचायतों के क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी और अब जो आप बनाने जा रहे हैं, कार्पोरेशन, इन सब की जनता उस व्याख्या के अनुसार नागरिक जनता में आती है। काफी संख्या हमारे प्रदेश में टाउन एरियाज की है, करीब-करीब ३०० और जहां तक मेरा खयाल है ७०--७५ फीसदी टाउन एरियाज की जनता कृषक है। नोटिफाइड एरियाज में भी काफी तादाद लोगों की किसानी का काम करती है। म्युनिसिपैलिटियों में प्रतिशत कम है लेकिन फिर भी वहां ऐसे लोगों की काफी तादाद है जो कृषक हैं। हम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें, मैं नहीं जानता कि कृषि मंत्री जी की मंशा यह होगी कि जो उन नगरों में किसान रहते हैं उनको या उनके बच्चों को इस विश्वविद्यालय का कोई लाभ न पहुंचे और क्योंकि वह मन्शा नहीं हो सकती इसीलिये मैंने इस संशोधन को उपस्थित करने का प्रयत्न किया।

एक बात मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं। आखिर हमको वर्गवाद की ओर अधिक जाना भी नहीं चाहिये क्योंकि हमें तो एक समाजवादी ढांचे का समाज बनाना है और कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है। कोई पुराने जमाने की बात तो रखनी नहीं है कि अगर जुलाहे का लड़का होगा तो जुलाहे का ही काम करेगा, लोहार का लड़का होगा तो लोहारी का ही काम करेगा, बढ़ई का लड़का होगा तो बढ़ई का ही काम करेगा और किसान का बेटा किसानी का ही काम करेगा। यह परिवर्तन चलता रहेगा तभी हम एक समाजवादी ढांचे के समाज के निर्माण की तरफ जा सकेंगे। तो यह तो मुझे व्याख्या सम्बन्धी कठिनाई मालूम होती है। यदि इसमें कोई व्याख्या होती तो मुझे इस बात की आवश्यकता न पड़ती कि मैं इस संशोधन को रखता।

श्रीमन्, इससे भी अधिक मुझे इसमें एक वैधानिक आपत्ति मालूम होती है। जो टिप्पणी संयुक्त प्रवर समिति के एक सदस्य महोदय ने दी है, वे ऐडवोकेट हैं, उन्होंने यह कहा है कि इसमें धारा ४ और ५ असंगत हैं। धारा ४ में आप यह कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई का प्रबन्ध ग्रामीण जनता के लिये होगा और धारा ५ में यह बात कही जाती है कि यह विश्वविद्यालय हर एक के लिये खुला हुआ होगा। तो उनके कहने के अनुसार---मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन उनके कहने के अनुसार---धाराएं ४ तथा ५ पारस्परिक विरोधी धाराएं हैं, क्योंकि वहां एक को सीमित कर दिया है और यहां यह कह दिया कि यह सब के लिये खुला हुआ है। इससे भी आगे श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इस तरह के शब्द "ग्रामीण जनता" रखना संविधान के भी खिलाफ है।

हमारे संविधान का सेक्शन १५ इस प्रकार है कि---

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

अब श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर ग्रामीण जनता की कोई व्याख्या हो सकती है तो वह क्षेत्र से करेंगे। अगर व्यवसाय से करते हैं तो कृषक का नाम लिखें। इसलिये क्षेत्र से ही व्याख्या होगी अगर क्षेत्र से नहीं होगी तो फिर कहीं व्याख्या नहीं होगी, तो फिर इस शब्द की आवश्यकता क्या है? और श्रीमन्, अगर क्षेत्र की कोई व्याख्या है तो इसमें एक शब्द खास है कि कोई किसी भी क्षेत्र में पैदा हुआ हो तो केवल उसके कारण उस को डिसक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता।

श्रीमन्, अगर कोई बच्चा या लड़का किसी नगर में पैदा हुआ है म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत और जो मैंने अपना खयाल बना रखा है कि इस शब्द की व्याख्या है जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं तो इस विद्यालय में शिक्षा नहीं पा सकता है। उसको डिसक्रिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि वह नगर के क्षेत्र में पैदा हुआ है। चाहे वह किसान का ही लड़का हो, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ सकता है इस विश्वविद्यालय में। और हमारा संविधान कहता है कि कोई कहीं पैदा हुआ हो, लेकिन उसको डिसक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इसमें किया गया है तो मुझे सन्देह मालूम होता है कि यह संविधान के खिलाफ पड़ता है।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि कृषि मंत्री जी ने कहा था कि यह विधेयक जल्दी से दिसम्बर से पहले पारित हो जाना चाहिये, क्योंकि हमें जहां से सहायता मिलने वाली है इसके शीघ्र पास होने पर मिल जायगी अन्यथा बात एक साल के लिये टल जायगी। मैं इससे सहमत हूं और इसी वजह से इस विधेयक में बहुत से परिवर्तनों की तरफ मैंने सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया है, लेकिन कहीं जल्दी में ऐसा न हो जाय कि आगे ज्यादा देर लगे और वह संविधान के भी खिलाफ हो और बाद में कोई कठिनाई या आपत्ति उठाई जा सके। इसका मैं ख्याल रखना चाहता हूं और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इस चीज को उपस्थित किया है। अगर इसमें से "ग्रामीण" शब्द निकाल दिया जाय तो उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्सिटी के बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नकशे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई जैसी चाहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो कठिनाई और आपत्ति उठाई जा सकती है या जो संदेह हो सकता है या आशंका हो सकती है, अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो दूर हो सकती है। अधिक आवश्यकता मुझे कहने की नहीं है। कृषि मंत्री जी बिलकुल उसी भाव से इसको लें जिस भाव से मैंने यह संशोधन रखा है। वह विचार करेंगे, और विचार करने पर शायद वह भी उचित समझें कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जितने संशोधन हैं खंड ४ के सम्बन्ध में वे सब एक साथ उपस्थित हो जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें समय बचेगा।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा---उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जो विधान सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९५८ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने, बिना किसी सिफारिश के आज वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री गौरीशंकर राय--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) का अन्तिम शब्द "तथा" निकाल दिया जाय।

और

खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में शब्द "तथा" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"कुमायूं तथा रुहेलखंड कमिश्नरियों में जहां पर कि विश्वविद्यालय स्थित है शिक्षा की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर यह विश्वविद्यालय स्थित होगा वहां शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या होना चाहिये। वहां की विशेष आवश्यकता से मेरा मतलब यह है कि यह सब जानते हैं कि मैदान में पढ़ाई का सेशन जो होता है वह मार्च, अप्रैल में परीक्षा का होता है और फिर बाद में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। पहाड़ों में जाड़ों में छुट्टियां होती हैं और फिर बाद को पढ़ाई हो कर परीक्षा होती है। अगर जाड़ों में परीक्षा होकर छुट्टी हो तो यह ज्यादा सूट करेगा। यह कृषि विश्वविद्यालय केवल पहाड़ों का ही नहीं है बल्कि सारे प्रदेश का है। इसका सम्बन्ध केवल कुमायूं और रुहेलखंड डिवीजनों से नहीं है बल्कि सारे प्रदेश से है। लेकिन चूंकि यह बीच के सीजन में स्थापित है तो अगर वहां की परिस्थिति के अनुकूल इसको बनाया जाय तो कोई गलत बात न होगी। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय खंड ४ के जितने संशोधन हैं वह सभी उपस्थित हैं इसलिये मैं थोड़ा सा जिक्र सब के बारे में कर देना उचित समझता हूं।

जहां तक कैलाशप्रकाश जी के संशोधन का सम्बन्ध है कि शब्द "ग्रामीण" निकाल दिया जाय, उसमें कई चीजें उन्होंने कहीं हैं। पहली बात तो उन्होंने प्रिएम्बिल की कही कि वहां 'ग्रामीण' शब्द है। मैं अंग्रेजी के लफ्ज आप की आज्ञा से पढ़ दूं—'For the benefit of the rural people' गांव के लोगों के लिये नहीं है गांव के लोगों के लाभ के लिये है। तो कृषि विश्वविद्यालय को अगर विस्तृत माना जाय तो गांव के लोगों के अलावा शहरों के लोगों को भी उससे फायदा होगा क्योंकि खेती से अन्न ज्यादा होगा तो शहर के लोगों को भी उससे फायदा होगा ही, लेकिन इसके विस्तृत माने नहीं लगाये जायंगे। यहां पर जो खेती से सम्बन्ध रखने वाले हैं उसी से मतलब है कि उनके फायदे के लिये है। उनको यहां पर भ्रम हो गया है कि रूरल पीपुल के लिये है, यह रूरल पीपुल के फायदे के लिये है।

दूसरे उन्होंने यह एतराज किया कि अगर यह लफ्ज रहे तो इसके माने तो कहीं साफ नहीं हैं। इसके माने यह हैं कि गांव के लोग, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के वे रहने वाले जो खेती करते हों वह निकल जायेंगे। मैं निवेदन करूं कि ऐसे माने इसके नहीं हैं। उसमें एक तो बात यह है कि यह किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। दूसरों को लागू नहीं करता, बल्कि यह एक ऐडीशन है दूसरी चीजों के अलावा। मैं आप की आज्ञा से अंग्रेजी के अल्फाज पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उससे मुझे समझाने में सहूलियत होगी:—

"The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purposes of among others. . . ."

तो इसमें दूसरी चीजों को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इसलिये यह कहना कि गांव के लिये है उसमें शहर के लोग नहीं आ सकेंगे ठीक नहीं है। उसमें एक और विशेष ध्यान दिलाया गया।

तीसरी बात यह है कि अगर हम खेती के सम्बन्ध में ऐसे विद्यार्थी लाना चाहें जो खेती से सम्बन्ध रखते हों, जो जा कर उसके सम्बन्ध में प्रचार कर सकें और अपने खेतों पर बाद में जाकर रह सकें, क्योंकि सब से बड़ा आक्षेप अब तक यही है कि इस तरह के शिक्षण से हम बाबू बनाते जा रहे हैं और नौकरी के लिये फैक्टरियां बनाते जा रहे हैं, तो अगर यह नहीं है और अगर हम चाहते हैं कि यहां नौकर न पैदा हों, बल्कि कुछ उस पर काम भी करें तो वह दूसरे जिनके पास जमीन न हो वह बाबू तो बनेंगे ही। जिनके पास एक चप्पा जमीन नहीं है और आगे जमीन मिलने वाली नहीं है वे अगर इसमें पढ़ाये जायंगे तो सिवाय नौकरी मांगने के और क्या करेंगे या अनएमप्लायड रहेंगे। यह हमारा इरादा नहीं है। तो अगर अनएमप्लायड की संख्या न बढ़ाई जाय और नौकरी की दरख्वास्तें देने वाले न हों तो फिर उनको तरजीह दी जाय कि जो खेत पर काम करते हैं और अगर वह इसके लिये तैयार हों तो हमारे इसके उद्देश्य के मुताबिक होगा।

तो पहली बात यह है कि वह उनको अलग नहीं करता और दूसरी बात यह है कि हम जिस उद्देश्य से यह विश्वविद्यालय बना रहे हैं उसमें यही उपयुक्त है। और तीसरी बात यह है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर कोई डेफनीशन हो, लेकिन जहां 'एमंग अदर्स' हो गया और एक्सक्लूड नहीं करते वहां पर नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के लोग उसमें नहीं आ सकेंगे ऐसा भ्रम है। इसमें वे एक्सक्लूडेड नहीं हैं और वे सब शामिल हो सकते हैं। शहरों के वे रहने वाले जो खेती करते हों उनको उसमें जाने का पूरा अधिकार है और इसके अलावा और भी कोई शहर का रहने वाला उसमें जाना चाहे तो वह जा सकता है यानी कोई होम साइंस का पढ़ने वाला शहर का रहने वाला पुरुष या शहर की रहने वाली स्त्री जाय तो उसमें मनाही नहीं है।

एक बात और कैलाशप्रकाश जी ने कही कि चौथा और पांचवां कंट्रेडिक्टरी है। मैं निवेदन करूं कि कंट्रेडिक्टरी नहीं है, क्योंकि पहली गलतफहमी जो कैलाशप्रकाश जी की है

उसको दूर करने के लिये पांचवां है और यह स्पष्ट है कि यह नहीं है कि किसी आधार पर किसी आदमी को अलग कर दिया जाय, जाति, मजहब या सेक्स या किसी और आधार पर। अगर ऐसा आदमी अलग किया जाय तो उसको साफ करने की जरूरत हो गई। इसलिये पांचवां खंड लाया गया। चौथे में जो जरूरत थी वह बता दी गयी और वह भी एक्सक्लूसिव नहीं है, दूसरों को नहीं रोकती, लेकिन कोई गलतफहमी न हो जाय इसलिये पांचवें की जरूरत हुई। पांचवां अगर न होता तो चौथे से भ्रम हो सकता था, इसलिये उसकी जरूरत हुई।

पेशों को हेरीडेटरी बनाने का जो सवाल उन्होंने उठाया, उस के लिये चाहे और कोई पेशा हेरीडेटरी हो या न हो, लेकिन इसमें होता यह है कि जिस के पास साधन होंगे वह अपने हेरीडेटरी पेशे को अख्तियार करेंगे और जिनको साधन उपलब्ध न होंगे वे छूट जायेंगे, उस पेशे को कर नहीं पायेंगे। अगर जमीन हेरीडेटरी चलेगी और हम किसान को शिक्षित बनाते जायेंगे, तो हम केवल उन्हीं को शिक्षा दे सकते हैं कि जिनके पास जमीन है। यह उस हद तक हेरीडेटरी होगा, लेकिन जैसे जुलाहे का काम है, लोहारी है, बढ़ईगीरी है, इसको हर एक कर सकता है। ये पेशे हेरीडेटरी भले ही न हों लेकिन किसानों के लिये यह जरूरी हो जायगा। या तो यह हो जाय कि जमीन उसी के पास जाय जो खेती करे, लेकिन उस तरह की व्यवस्था होते मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिये जमीन के सम्बन्ध में अगर शिक्षा देनी है, अगर यह समझाना है कि यह खोज हुई और इस तरह से गेहूं, चावल या गन्ना ज्यादा पैदा हो सकता है तो यह शिक्षा हमें उनको देनी चाहिये कि जो जमीन रखते हैं या जो जमीन से सम्बन्ध रखने वाले मजदूर हैं। तो उस हद तक यह हेरीडेटरी हो जायगा, लेकिन दूसरों के लिये जरूरी नहीं है।

एक सवाल उन्होंने किया था कि यह वर्गवाद फैलाता है, समाजवाद का विरोधी है। समाजवाद तो वर्गवाद पर आधारित है, जो असली समाजवाद है। हम भारतवर्ष में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम वर्ग संघर्ष को हटा कर समाजवाद या सर्वोदय लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्ग भी हैं और उनका संघर्ष भी है और मैं मानता हूं कि हम उनको कम कर सकते हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष है। हम कोई वर्गवाद नहीं फैला रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम खेती में उन्नति करना चाहते हैं, जिनके पास खेती है उनकी, तो हम वर्ग संघर्ष नहीं फैलाते। अगर हम यह कहें कि हम खेती में उन्नति नहीं करना चाहते तो हम को शायद कोई अक्लमंद आदमी नहीं कहेगा।

हम संघर्ष फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक संघर्ष रहेगा जब तक कि कन्फिलिक्ट आफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इसलिये कैलाश प्रकाश जी के संशोधन की आवश्यकता नहीं है और जो भावनायें उन्होंने प्रकट की हैं, मैं उनके भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं कि वह एक्सक्लूड नहीं होंगे। इसलिये जो उनकी असली दिक्कत थी वह हल हो जायेगी और जो इंटरप्रिटेशन है वह सही है।

जहां तक कुमायूं की बात है, गौरीशंकर जी ने वहां की परिस्थितियों के बारे में दलीलें दीं, लेकिन संशोधन पेश किया है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये। तो वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था नहीं है, उस के लिये एक अलग से रूपरेखा बननी चाहिये और उसके लिये साधन हों। वह सरकार बनाये, देश बनाये या प्रदेश बनाये, वह अलग बहस है। रुहेलखंड का जिक्र भी इसमें है। तो रुहेलखंड और कुमायूं दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। अगर दोनों की समस्याओं को आप मिला दें तो प्रदेश की शायद ही कुछ समस्याएं बच जायं अन्यथा सब उसी में आ जायेंगी। रुहेलखंड की समस्याएं प्रदेश के अन्य भागों की समस्याओं से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। हां, कुमायूं की समस्यायें अवश्य बिलकुल अलग हैं लेकिन जैसा कई अन्य दोस्तों ने कहा, यह तो बिलकुल पहाड़ की जड़ में है, इसलिये पहाड़ की जो तमाम समस्याएं हैं, खेतों में पानी पहुंचाने की, पीने के पानी की, वहां सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है, तो यह सब समस्याएं हैं जो बिलकुल अलग हैं। अगर इस संशोधन में केवल पहाड़ों की आवश्यकताओं को पूरी करने की बात कही होती तब तो बात समझ में आ सकती थी।

श्री गौरीशंकर राय—वहां शिक्षा की विशेष आवश्यकता है ।

श्री मोहनलाल गौतम—इस विधेयक को पेश करते वक्त ही यह चीज साफ कर दी गयी थी कि सब प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस विधेयक को पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल कृषि की उन्नति के लिये इसको रखा जा रहा है उस कसौटी पर यह संशोधन नहीं उतरता इसलिये असंगत है ।

दो महीने की छुट्टियों की बात कही गयी कि वहां पर इम्तहानों की तारीखें अलाहिदा हों, लेकिन यह बात समझ में नहीं आयी कि उसमें बरेली को क्यों जोड़ दिया गया । उनके विभाग में विरोध है या नहीं लेकिन इस प्रस्ताव में जरूर विरोध दिखाई पड़ता है । यदि आपको कुमायूं से हमदर्दी है तब तो बात दूसरी है लेकिन रुहेलखंड को इसमें जोड़ देने से वह बिलकुल गलत हो जाता है । हां, इसके द्वारा रुहेलखंड को हमदर्दी लेना चाहते हों तब बात दूसरी है । पहाड़ों की बातें तो अलाहिदा हो सकती हैं, लेकिन रुहेलखंड की समस्याओं से बाकी प्रदेश की समस्याएं अलाहिदा नहीं हो सकतीं । पहाड़ों से तो बरेली अलाहिदा हो सकता है, लेकिन फैजाबाद से बरेली कैसे अलाहिदा हो सकता है जब कि वहां से सीधी रेल फैजाबाद को जाती है । इसलिये इन दोनों को अलाहिदा कर देना ठीक नहीं है ।

इसलिये पहला जो संशोधन 'ग्रामीण' का है उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरा संशोधन असंगत है । तीसरे की जरूरत मालूम नहीं होती । इसलिये उनको मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कैलाश प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय मन्त्री जी ने अभी जो कुछ इस संबंध में सदन के सम्मुख कहा उससे भी स्थिति उतनी साफ नहीं हुई जितनी होने की आवश्यकता थी । मैं श्रीमन्, सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कैलाश प्रकाश जी ने केवल दो बातों पर विशेष जोर दिया । एक तो यह कि इस 'ग्रामीण' शब्द का रहना संविधान के प्रतिकूल हो जाता है ।

दूसरी बात जिसका उन्होंने सहारा लिया वह यह है कि समाजवादी व्यवस्था जिसको हम कायम करने जा रहे हैं उसमें यह डिस्क्रिमिनेशन करना कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण जनता के लाभ के लिये हो, शहरी जनता के लाभ के लिये न हो, किसी विशेष वर्ग के लिये लाभदायक हो, अमुक वर्ग के लिये न हो, यह न्याय संगत नहीं है ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि खंड ४ और ५ का विरोधाभास दूर होना चाहिये । मेरा कहना यह है कि जहां तक ऊंची शिक्षा का सम्बन्ध है उसके लिये बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनमें अच्छी से अच्छी योग्यता के विद्यार्थी दाखिल किये जाते हैं । बड़े-बड़े लोगों के लड़के पढ़ने जाते हैं और बहुत बड़ा खर्चा करके वे वहां पर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ऊंचे से ऊंची नौकरी तलाश करने के लिये वहां से निकलते हैं । यह उद्देश्य उन विश्वविद्यालयों का है जो हमारे देश में अब तक कायम हैं । लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने अनेकों बार इस सदन में यह कहा है कि वे एक नये प्रकार का विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और जिसका उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के बिलकुल विपरीत होगा जो कि इस समय हमारे प्रदेश में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं । यह कृषि विश्वविद्यालय जो खोलने जा रहे हैं इसका उद्देश्य केवल यह है कि ग्रामों की उन्नति हो, ग्रामीण जनता के बालक वहां पर शिक्षा पायें और ग्रामों की उन्नति में सहयोग दें । वहां पर बाबू लोग तैयार न हों, बेरोजगारी बढ़ाने वाले लोग तैयार न हों, बल्कि वे लोग तैयार हों जो इस विश्वविद्यालय से शिक्षा पाने के उपरान्त अपने-अपने ग्रामों में पहुंच कर अपने ग्रामीण जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने और उसे आदर्श बनाने का प्रयत्न करें । तो इस उद्देश्य को रखते हुए मैं समझता हूं कि "ग्रामीण" शब्द का रहना आवश्यक है और मैं माननीय कैलाश प्रकाश जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं ।

मैं श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी कृषि की पैदावार कम है। इसके बारे में एक आम धारणा है, सब का ख्याल है कि हमारी कृषि की पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि वह तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि इस विश्वविद्यालय से जो कि आप बनाने जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके ग्रामीण जनता के विद्यार्थी, वहां से लौट कर अपने-अपने ग्रामों की कृषि के पैदावार को उस नये ढंग से बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अभी स्पष्टीकरण किया, लेकिन मैं तो यह जरूरी समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी एक प्रतिबन्ध यह भी लगा दें कि केवल वे ही विद्यार्थी वहां पर दाखिल हो सकते हैं जो एक १२ साला नक्शा (खसरे का इन्तखाब) दाखिल करें कि उन विद्यार्थियों के नाम अथवा उनके पिता के नाम कम से कम १२ वर्ष से, पुश्तैनी न भी सही, हेरीडेटरी न भी सही, लेकिन कम से कम १२ वर्ष से ज्यादा नहीं तो साढ़े १२ एकड़ भूमि वह विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जोतने का अधिकारी होगा। अगर वे १२ साला नक्शा नहीं दाखिल करते हैं तो मेरी समझ में वे विद्यार्थी चाहे ग्राम के हों, चाहे नगर के हों, उनको प्रविष्ट होने की सुविधा प्रदान न की जाय, यह डिस्क्रिमिनेशन इसमें होना चाहिये। माननीय कैलाशप्रकाश जी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं और मैं डिस्क्रिमिनेशन चाहता हूं कि यह होना चाहिये कि केवल वे ही विद्यार्थी इसमें प्रवेश पा सकें जिनका पुश्तैनी पेशा खेती हो, जिनके पास खेती के लिये उपयुक्त साधन हों।

इसके अलावा माननीय मन्त्री जी ने यह सुविधा प्रदान की है कि उसमें केवल हाई स्कूल पास विद्यार्थी लिये जायेंगे, और विश्वविद्यालयों की भांति फर्स्ट डिवीजन या सेकेण्ड डिवीजन की कोई कैद इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं होगी, लेकिन मैं यह प्रतिबन्ध भी जरूरी समझता हूं कि केवल वे ही विद्यार्थी लिये जायं जिनके पास पुश्तैनी तरीके से या कम से कम १२ साल से इतनी भूमि हो जिसमें वे वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस भूमि को जोत करके कृषि की पैदावार को बढ़ा सकें और ग्रामीण जीवन ही निर्वाह कर सकें।

इसके अलावा श्रीमन्, ग्रामीण उद्योग का भी सवाल है। श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि वे उद्योग के सम्बन्ध में भी यह प्रतिबन्ध लगावें कि जो वहां से शिक्षा प्राप्त करेंगे वे बाबू नहीं तैयार होंगे, वे बेरोजगारी के दफ्तरों में अपने नाम लिखाने नहीं जायेंगे, बल्कि वे अपने-अपने ग्रामों में रह कर के ही उस उद्योग को जिसमें वे शिक्षा प्राप्त करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसकी उन्नति करने के साथ-साथ उसका प्रचार भी करेंगे तथा उसकी शिक्षा ग्रामीणों को भी देंगे। तो चाहे वे कृषि की शिक्षा प्राप्त करें या किसी ग्रामीण व्यवसाय या उद्योग की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में प्राप्त करें, मैं चाहता हूं कि उनके दाखिले के समय यह भी प्रतिबन्ध हो कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो कृषि अथवा उद्योग सीखें उसका ग्राम में जा कर प्रचार करेंगे और उसके द्वारा ही अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, बेरोजगारी के दफ्तर में जा कर अपना नाम नहीं लिखायेंगे और नौकरी की तलाश नहीं करेंगे।

इसके अलावा जहां तक खंड ४ व ५ के विरोधाभास का प्रश्न माननीय कैलाशप्रकाश जी ने उठाया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस विरोधाभास को स्पष्ट कर दें कि हमारा यह मतलब नहीं है कि नगर के या ग्राम के ही लोग इसमें शिक्षा पायेंगे। माननीय मन्त्री जी इस विरोधाभास को दूर करने के लिये यह शर्त लगा दें कि वही विद्यार्थी जिनके पास ग्रामीण जीवन बिताने और ग्रामीण जीवन में जीविकोपार्जन करने के साधन होंगे वे ही वहां प्रविष्ट हो सकेंगे और वे ग्राम उद्योग की शिक्षा पाने के बाद ग्राम में ही रह कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

मेरा विचार है कि आज प्रत्येक नगर की उन्नति हो रही है और वह इसलिये हो रही है कि जितने भी वर्तमान विद्यालयों से शिक्षा पा कर विद्यार्थी निकलते हैं वे प्रायः नगर के निवासी होना चाहते हैं या बड़े-बड़े आदमियों के बालक होते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे शहर में ही नौकरी के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं और शहरी उन्नति के ही हामी होते हैं और शहर की उन्नति के लिये ही साधन ढूंढते हैं और सरकार पर भी शहरी जीवन का ही प्रभाव डालते

[श्री देवनारायण भारतीय]

हैं और उसका नतीजा यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में न सड़कें बनती हैं, न शिक्षा के साधनों का प्रसार होता है और न ऐसी बातें होती हैं जिनसे ग्रामीणों के जीवन का स्तर ऊंचा हो सके ।

मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि वे ऐसा विधेयक लाये हैं जो ग्रामों और ग्रामीणों से सम्बन्ध रखता है । जिन प्रतिबन्धों की कमी है वे उनको लगाने की कृपा करें जिससे जब यह अधिनियम बन जाय और जब यह विश्वविद्यालय हमारे प्रान्त में खुल जाय तो उसके द्वारा हमारे प्रान्त के ग्रामीण क्षेत्र का कल्याण हो या उन लोगों का कल्याण हो जिनकी तरफ सरकार का आज तक ध्यान नहीं गया है । इसलिये माननीय कैलाशप्रकाश जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका विरोध करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे प्रतिबन्धों को स्पष्ट कर दें और खंड ४–५ में जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिये इन प्रतिबन्धों को स्पष्ट रूप से बतला दें कि किन कारणों से इन प्रतिबन्धों की आवश्यकता है ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कैलाश प्रकाश तथा नवल किशोर जी इस संशोधन को वापस ले लें । मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी जो बनायी जा रही है इस प्रकार की यूनिवर्सिटियां खुलने की प्रेरणा जो है वह शायद भारत सरकार की तरफ से है और भारत सरकार ही शायद अधिक धन इसमें देने की व्यवस्था करेगी । मैं नहीं जानता, यह तो शायद कृषि मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा यहां दी जाय । इस प्रकार की कोई वहां से हिदायत या सलाह-मश्विरा मिला है या नहीं मिला है । लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी उन गांव वालों की समस्याओं को सुलझाने के लिये बनायी जा रही है जो आज तक एक तरह से नेगलेक्टेड हैं, बैकवर्ड हैं ।

अब इतनी बात जरूर है कि मुझे भी यह कान को कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता कि इसमें कुछ खास तरह के लोग ही प्रवेश पा सकें, लेकिन यह बात हमने नामुनासिब होते हुए भी मानी । अपने मन में सोचते हैं कि यह बात न रहे, तो अच्छा है कि अपने देश के पिछड़े हुए लोगों के लिये रिजरवेशन, कुछ सुविधायें रखी जायं जिससे देश की समान तरक्की हो सके । जरूरी है कि कुछ लोगों को कुछ देर के लिये रोकना पड़ेगा । बगैर कुछ लोगों के रुके हुए जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको बराबरी में नहीं लाया जा सकता है । जब हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, और प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है जिसमें गांव वालों के लिये विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है, ग्रामीण समस्याओं को समझने के लिये प्रयास किया जा रहा है और उसमें एसे ही लोगों का प्रवेश भी हो सके जो इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखते हों तो मैं समझता हूं कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये ।

मैं अपने अनुभव की एक बात कहूं । पिछली मर्तबा ए० डी० ओ० एग्रीकलचर के लिये मुझे एक रोज बैठना पड़ा और करीब १०० एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स से बातचीत करने का मौका मिला । उस रोज डायरेक्टर ऐग्रीकलचर के भी एक साहब थे और डेवलपमेण्ट कमिश्नर महोदय के भी एक आदमी थे तो जो उनके बयान मैंने देखे गांवों की समस्याओं के सम्बन्ध में, खेतीबारी के सम्बन्ध में तो उससे मालूम हुआ कि उनकी बड़ी गरीब जानकारी है । मैं एक रोज कानपुर ऐग्रीकलचर कालेज में गया अभी कुछ थोड़े दिन हुए और वहां जा करके कुछ विद्यार्थियों से मैंने पूछा । पूछने से मुझे बड़ी निराशा हुई । स्वायल कैमिस्ट्री जहां पढ़ाई जाती है उस कमरे में मैं गया और मैंने उनसे यह पूछा कि मुझे साइंस का विद्यार्थी तो समझना नहीं, मुझे यह समझो कि मैं खेती करने वाला आदमी हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे सूबे में कहां जमीन ऐसी है जिस पर गेहूं बढ़िया पैदा किया जा सकता है और कहां गन्ना अच्छा पैदा किया जा सकता है और यह बता दीजिये कि किस प्रकार की जमीन में कौन-सी डेफीशियेंसी हैं और उसको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है ? मुझे यह बताया गया कि यह तो यहां नहीं बताया जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैंने कहा कि मुझे यह बता दें कि इस प्रकार की जमीन में ऐसी चीज डाल देने से गेहूं अच्छा पैदा होगा और यह चीज डाल देने से गन्ने की पैदावार अच्छी होगी, लेकिन यह उनके लिये बताना मुश्किल हुआ। वह कहते थे हम स्वायल कैमिस्ट्री पढ़ते हैं।

मैं उस झंझट में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक साधारण ज्ञान की भी तो जरूरत है जिस ज्ञान की आवश्यकता गांव वाले के लिये बहुत आवश्यक है ताकि वह अपनी खेतीबारी अच्छे ढंग पर कर सके।

एक बात मैंने और पूछी कि आपके जो विद्यार्थी हैं इनमें से किसी ने कभी भैंस की पीठ पर पानी डाल कर उसको पोंछा है या नहीं ? उन्होंने कहा, नहीं, भैंस नहीं छूते हैं। अब वहां सैकड़ों गायें और भैंस हैं। आखिर एक भाई ने कहा कि तुम यह क्या पूछ रहे हो ? यह पूछो कि इन विद्यार्थियों में से कितने ऐसे हैं जिनका खेती और भैंस से ताल्लुक है ? अब न उनके पिता जी का ताल्लुक रहा और न उनका ही रहा। तो फिर यह दिक्कत जरूर पड़ती है और मैं समझता हूं बहुत उचित क्लाज है। जरूरत इस बात की है कि अगर रिजरवेशन की जरूरत है पिछड़े हुये लोगों के लिये तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण शब्द रखने से उन पिछड़े हुये लोगों के लिये कुछ थोड़ी-सी गुंजाइश होती है। इस यूनीवर्सिटी के संबंध में बहुत व्यापक रूप से पढ़ा भी नहीं और इसलिये नहीं पढ़ा कि एक चीज बन ही रही है, और मुझे थोड़ी-सी जानकारी ऐसी भी हुई है कि अगर देर कर दी जायगी तो इसे भी कोई हड़प ले जायगा। तो तराई के इलाके में एक यूनीवर्सिटी बन रही है और उस विश्वविद्यालय में हमारे सूबे के पास की दूसरी स्टेट्स के लोग भी पढ़ने आयेंगे और हमारा भी उनसे भला होगा और उसके द्वारा विज्ञान गांवों तक पहुंच सकेगा। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारा जो आज का प्लानिंग है उस में कुछ खामी है, अच्छा वह जितना हो लेकिन जो कुछ हम ग्रामीण जनता के लिये कर सकते थे वह नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण है कि गांव का जरूरी मनोविज्ञान वहां के लोगों तक कैसे पहुंचे यह बात लोगों को नहीं मालूम है यह बड़ी हमारी दिक्कत है। हर आदमी जो गांव में जाता है वह अपने को गांव वालों का गुरु समझता है वह यह नहीं जानता कि गांव वाले भी गुरु होते हैं, लेकिन जो किसान का लड़का होगा वह गांव वालों का गुरु बनने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि वह तो कोशिश करेगा कि मेरा बाप भी किसान था इसलिये हल जोतने वालों को मूर्ख न समझूं, वह समझेगा कि भैंस पर पानी डालकर पोंछना मूर्ख का काम नहीं है बल्कि सफेदपोश या पेंट पहनने वाले का भी यह काम है। यह भावना सर्वत्र फैलने की जरूरत है। इन भावनाओं को लेकर मैं श्री नवल-किशोर तथा श्री कैलाश प्रकाश जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह जो दो संशोधन आये हैं, एक तो श्री कैलाशप्रकाश जी और श्री नवलकिशोर जी का और दूसरा श्री गौरीशंकर राय जी का और श्री नारायणदत्त तिवारी जी का, इन दोनों का विरोध करने के लिये मैं आप की आज्ञा चाहता हूं। जो संशोधन श्री कैलाशप्रकाश जी और श्री नवलकिशोर जी की तरफ से आया है उसे देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे ताज्जुब की कोई इन्तहा न रही। कल भी एक संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया था और आज भी यह दूसरा संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया है जिस का कि मैं विरोध कर रहा हूं। उन के इस संशोधन पर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिये कि जो स्पिरिट इन संशोधनों में परवेड कर रही है, दौड़ रही है, उस के अनेलेसिस पर मैं ऐसा समझता हूं कि वह एक कंजरवेटिज्म की बात है। उन के ऐसे ऐटीट्यूड को तो मैं क्षमा कर सकता हूं और मुझे उन के इस तरह के संशोधन पर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उस में एक कंजरवेटिज्म की रूह परवेड कर रही है।

इस बिल के प्रिएम्बिल से यह वाजेह है कि सरकार का यहां एक कृषि विश्वविद्यालय कायम करने का इरादा है और उसके जरिये से गांव की आबादी को कृषि में शिक्षित करने का इरादा है। विरोधी दल की तरफ से जो तरमीम आई है और जिस के जरिये से कुमायूं और रुहेलखंड के विश्वविद्यालय को भी इस के तहत में लाने की कोशिश की गई है। वह

[श्री उबैदुर्रहमान]

उसी तरह की यूनिवर्सिटी इसे भी बनाना चाहते हैं जिन में मुख्तलिफ किस्म के मजमून पर एम्फैसिस दिया जाता है, किसी में कम किसी में वेश, मसलन कानपुर का एग्रीकल्चर कालेज है, लेकिन उस का सांचा-ढांचा यकसां है। हमें ताज्जुब होता है यह सुनकर कि सीनेट का लफ्ज क्यों नहीं लाया गया, कोर्ट का लफ्ज क्यों नहीं लाया गया। तो यह तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमने सीखा कि २ और २,४ होता है, यह हमने नहीं सीखा कि ३ और १ भी ४ हुआ करता है। लिहाजा कहीं ३ और १, ४ बनाने की कोशिश की गयी तो हमारी समझ में नहीं आता कि यह कैसी बात। आज तक तो हमने पढ़ा था कि २ और २ चार होते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि यह एक रेवोल्यूशनरी हमारा लेजिस्लेशन है और इसका मकसद साफ वाजेह है। तो इस कंजरवेटिज्म के लिये अपने विरोधी दल के भाइयों को तो समझाया जा सकता है कि उनमें क्या स्पिरिट परवेड कर रही है, लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आती है वह कैलाशप्रकाश जी का अमेंडमेंट है। "रूरल" का लफ्ज अगर निकल जाता है तो बाकी रह ही क्या जाता है लेजिस्लेशन में, इसके परपज और एम में, यह मेरी समझ में नहीं आता ?

जो दलायल पेश किये गये इस 'रूरल' लफ्ज के निकाल दिये जाने की ताईद में, वह यह है कि सेक्शन ४ और सेक्शन ५ में इनकांसिस्टेंसी (inconsistency) है। मैं सबमिट करूंगा निहायत अदब के साथ कि अगर गौर से पढ़ा जाय तो उसमें किसी किस्म की इनकांसिस्टेंसी नहीं है। इसी के साथ जरा प्रिएम्बिल को भी पढ़ लें, जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने तवज्जह दिलायी। मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से जो इंगलिश वरजन है इस बिल का उसके जरिये से हवाला दूंगा—

"Whereas it is expedient to establish and incorporate an Agricultural University for the development of agriculture and for the benefit of the rural people of Uttar Pradesh."

यहां 'बेनिफिट' लफ्ज लाये कि रूरल पीपुल के बेनिफिट के लिये यह यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। अब दफा ४ में उन्होंने यह बात कही कि—

"The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purposes, among others, of making provision for the education of the rural people of Uttar Pradesh....."

यानी उत्तर प्रदेश के देहात में रहने वाले लोगों की शिक्षा के लिये सेक्शन ५ में उन्होंने यह कहा कि :

"The University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, be open to all persons."

यानी दाखले के लिये यूनिवर्सिटी के डोर्स क्लोज्ड नहीं हैं। नोटीफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन के रहने वालों के लड़के यह समझ लें कि उनका दाखला तो जरूर होगा, लेकिन एक गरज होगी सिर्फ, दूसरी नहीं होगी और वह ४ में मौजूद है कि "फार दि एजूकेशन आफ दि रूरल पीपुल"। तो दाखला अर्बन सेक्शन का होगा, लेकिन उस दाखले से हम एजूकेशन करायेंगे रूरल पीपुल का। वह कैसे ? अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें और तफसरा करें कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में किसी किस्म की एजूकेशन होता था और हमारे देहाती सेक्शन में और अर्बन सेक्शन में कितना बड़ा फर्क रहा है, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे सोचने और समझने के तरीके में, पसन्द और नापसन्द में, शादी-ब्याह के तरीकों में, मरनेजीने, पैदा होने के तरीकों में, हर तरीके में फर्क है। एक शहर का आदमी देहात के आदमी से बिलकुल मुख्तलिफ मालूम होता है, कहीं से मेल नहीं खाता है। यह सही है कि हमारी अर्बन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल करके निकलता है, वह एक खास पैटर्न, एक खास फ्रेम आफ माइंड लेकर निकलता है जिससे हमारी

रूरल पापुलेशन की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है, यह खुली हुई (आबवियस) सी चीज है। उस जरूरत को पूरा करने के लिये यह रूरल यूनिवर्सिटी कायम की गयी थी और कैलाश प्रकाश जी का कहना यह है कि वही लफ्ज जो मुख्य है, जो रूह है, वही निकाल दिया जाय। क्यों निकाल दिया जाय? इसलिये कि वह सेक्शन ५ से इनकांसिस्टेंट है। लेकिन वह कतई इनकांसिस्टेंट नहीं है। इसमें एक लफ्ज और है, शायद अगर आपने उसपर ध्यान दिया होता तो यह दलील देने की नौबत नहीं आती, सबजेक्ट टु दि प्रावीजंस आफ दिस ऐक्ट, इट शैल बी ओपेन टु आल परसंस' और 'सबजेक्ट टु दि प्राविजंस' में सेक्शन ४ आता है। वह परपज बताता है कि 'एजूकेशन आफ दि रूरल पीपुल। इस गरज को लेकर देखना होगा। हो सकता है कि स्टैट्यूट्स (Statutes) जब हम फ्रेम करें तो प्रोवाइड कर दें कि जो लड़का तालीम हासिल करेगा वह दो बरस तक सर्विस करे रूरल पीपुल्स की। क्या उसके नियम और रूल्स होंगे यह सब स्टैट्यूटस में डिफाइन किया जा सकता है? मकसद हमारा वाजेह है जैसा कि प्रिएम्बिल में कहा गया है कि रूरल पीपुल के फायदे के लिये हम यह यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं और ४ में कहा है कि हमारा परपज होगा एजुकेशन आफ दि रूरल पीपुल।

श्री उपाध्यक्ष---आप एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है।

श्री उबैदुर्रहमान---मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। रूरल पीपुल की एजुकेशन सिर्फ इसी तरीके से नहीं हो सकता है कि उनके लड़कों को यूनिवर्सिटी में तालीम दे दी जाय, बल्कि ऐसे भी हो सकता है कि उसमें दोनों जगह के लड़के तालीम हासिल कर के गांव वालों को बतायें। तो मेरी गुजारिश यह है कि कैलाशप्रकाश जी और नवलकिशोर जी इसको वापस ले लें।

दूसरा अमेंडमेंट गौरीशंकर राय जी और नारायणदत्त जी तिवारी का है जिसमें वे चाहते हैं कि कुमायूं और रुहेलखंड डिवीजन के विश्वविद्यालय भी शामिल कर लिये जायं। मैं गुजारिश करूंगा कि यह हमारा एक बोल्ड एक्सपेरीमेंट है। आगे चल कर हो सकता है कि हम, यही नहीं बल्कि, और यूनिवर्सिटीज को भी शामिल कर लें, हम कानपुर के ऐग्रीकल्चर कालेज को भी शामिल कर लें। लेकिन अभी ऐसा करने से हमारे रास्ते में बाधा पड़ती है। हम अपने तौर पर इसे चलाना चाहते हैं। अगर इसमें हमको सफलता मिली और यह रूरल यूनिवर्सिटी ठिकाने से काम कर सकी तो हो सकता है कि हम इसके स्कोप को बढ़ायें, लेकिन बहालाते मौजूदा यह मुनासिब न होगा कि उनको हम अभी तो शामिल कर लें और बाद में फिर उनका भी वही हश्र हो जो और यूनिवर्सिटीज का है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इस अमेंडमेंट को भी हमारे विरोधी दल के भाई वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---बहुत से माननीय सदस्य भाषण करना चाहते हैं। मैं इजाजत तो दूंगा, लेकिन कोई बात बार-बार दोहराने की इजाजत नहीं दी जायगी, क्योंकि काफी संशोधन बाकी हैं और समय बहुत कम है। इसलिये अगर कोई माननीय सदस्य नयी बातें कहेंगे तो उन्हीं को भाषण करने की इजाजत दी जायगी वरना नहीं।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, कुछ कहने के पूर्व मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई चीज दोहराने की जुर्रत न करूंगा और अगर मजबूरन मुझे कुछ लोगों का जवाब देना पड़े तो उसके लिये क्षमा कीजियेगा।

मान्यवर, मैं माननीय कैलाशप्रकाश जी के संशोधन का घोर विरोध करने के लिये उठा हूं। सबसे पहले आपत्ति उनको यह थी कि यह अवैधानिक है। उनका कहना था कि आर्टीकिल १५ के अनुसार यह अल्ट्रावायरस आफ दि कांस्टीट्यूशन होगा और इस विधेयक में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

जो डिसेंटिंग नोट माननीय वीरेन्द्रस्वरूप द्वारा दिया गया है उसमें भी इसका तजकिरा किया गया है और इसके साथ-साथ क्लाज ४ और ५ में उनको बहुत-सा विरोधाभास दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले मैं उनकी वैधानिक आपत्तियों का जवाब देना चाहता हूं।

आर्टिकिल १५ इस प्रकार है:—

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sect, place of birth or any of them".

उनका मतलब प्लेस आफ बर्थ से हो सकता है क्योंकि दौराने तकरीर उन्होंने यह फरमाया कि यह हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या आयन्दा जब कारपोरेशन हों तो इनमें रहने वाले लोग विश्वविद्यालय में दाखिल हो सकेंगे या नहीं। शायद हमारे माननीय दोस्त ने इसको पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। उनको मालूम होना चाहिये कि इस विधेयक के क्लाज ५ में यह बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि:—

"The University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, be open to all persons but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be prescribed".

पहली बात तो श्रीमन्, यह है कि क्लाज ५ में यह साफ दिया हुआ है कि किसी तरह का डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं दुहराना नहीं चाहता हूं जो मंत्री जी ने कही। यह एक ऐसी चीज नहीं है बल्कि हवाला देते हुये कहा है कि और जहां और भी चीजें हैं उसके साथ-साथ रूरल यूनिवर्सिटी के प्राविजन्स के बनाने के लिये कहा है। पहली बहस यह रही कि दफा ५ के रहते हुये कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं भारतीय जी यह पूछना चाहते थे कि इसका मतलब वह साफ नहीं समझ सके। मैं नहीं समझ सकता कि इससे ज्यादा वह और क्या साफ कर सकते हैं, लेकिन उनको दफा ४ और ५ में विरोधाभास दिखाई देता है। क्लाज ५ तो इसको स्पष्ट करता है कि किसी तरह का डिसक्रिमिनेशन इस विधेयक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह एक चीज रही।

मेरी दूसरी बहस यह है श्रीमन्, अगर क्लाज ५ न भी होता तब भी यह कांस्टीट्यूशन की धारा १५ के अनुसार अल्ट्रावायरस नहीं हो सकता है। श्रीमन्, मैं एक केस कोट करूंगा "जोशी वरसेज मध्यभारत" जिसका पूरा जजमेंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका एक पोर्शन कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया से संबंधित पढ़ रहा हूं कि :

"However, does not prohibit discrimination on the ground of residence; hence it is constitutionally permissible for a State to prescribe that residents of State would be entitled to a concession in the matter of fees in a State Medical College".

इसके बाद श्रीमन्, १५ (१) के सिलसिले में है 'स्टेट वरसेज एस० के० हुसैन' यह बम्बई का केस है। वह इस तरह है कि:

"These words occur in clauses (1) and (2) of Article 15 as well as in clause (2) of Article 16. These words in effect declare 'provincialism' to be unlawful. In no public matter is there to be any discrimination by any authority against a citizen of India on the ground of his birth in any particular part of India."

श्रीमन्, क्लाज ५ को देखते हुए कहा जाय कि यह अल्ट्रावायरस है तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। फर्ज कीजिये यह न भी होता तब भी वह इसका उल्टा मतलब लगा रहे हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि कानपुर ऐग्रीकल्चरल कालेज में क्या पढ़ाई है या क्या होना चाहिये? साढ़े बारह एकड़ दिया जाय या बाप रोका जाय या बेटा रोका जाय, मैं इन सब चीजों में नहीं जा रहा हूं। मैं इस चीज पर आ रहा हूं कि जब हमारे दोस्त एजूकेशन मिनिस्ट्री के अन्दर थे तो अपोजीशन की तरफ से यह कहा जाता था कि रूरल

यूनिवर्सिटी लाइये तो शिक्षा के सचिव यह कहते थे कि अभी तो इसकी रूपरेखा क्या हो यही नहीं जानते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि इसकी वजह से रूपरेखा तो दिखाई दी। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य होता है। यह ठीक है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में अरबन और रूरल डिफाइन है, लेकिन किसी युनिवर्सिटी के ऐक्ट में यह सवाल कैसे पैदा होता है? वह चाहते थे कि रूरल को क्यों नहीं डिफाइन किया जा रहा है तो फिर सवाल होता है कि अरबन को क्यों न डिफाइन किया जाय? मैं कहता हूं कि जब डिस्क्रिमिनेशन किया गया होता तो जरूरत थी आने की कि कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लड़कों को पढ़ने की इजाजत दी जाय और कौन-सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लड़कों को इजाजत न दी जाय। यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड का प्रश्न है।

कुछ उनको यह भी भ्रम था कि समाजवाद नहीं बन रहा है। मैं समाजवाद का बड़ा भारी विद्यार्थी तो हूं नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूं, उसकी परिभाषा बहुत से मुल्कों में अनेकानेक रूप में की गयी है और जो कांग्रेस सरकार का समाजवाद है यही मेरी समझ में नहीं आता। तो जो समाजवाद माननीय कैलाश प्रकाश जी रख रहे हैं उससे मेरी परेशानी की इन्तहा नहीं रहती कि वह समाजवाद क्या होगा। जो कृषि प्रधान देश हो उसमें कृषि की उन्नति के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विकास होता जाय, वह समाजवाद नहीं है तो क्या है? वह पूंजीवाद है या कौन सा वाद है, इसको वह अपने जवाब में स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। वह हमारे पुराने साथी रह चुके हैं। इसी सेशन के नहीं, बल्कि पुराने साथी हैं। यह भी नहीं कि वह समझते न हों और उन्होंने गलती से रख दिया हो, यह भी नहीं समझ सकता। अगर वह इस संशोधन द्वारा भेदभाव पैदा करना चाहते हों, अर्बन या रूरल में एक पक्ष को विशेष रूप से सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो वह कह सकते हैं।

आज लखनऊ को चाहे बर्लिन बनायें या पेरिस, मुझे कोई शिकायत नहीं। हम तो खाने के लिये अन्न, पहनने के लिये वस्त्र और बाल-बच्चों के लिये शिक्षा चाहते हैं, ताकि भविष्य में उस खेती का सदुपयोग कर सकें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। उनमें इतना बचपन नहीं है, भोलापन नहीं है, नासमझी भी नहीं है। इसलिये मुझे इसका विरोध करना हुआ। मैं यह जरूर चाहता हूं कि किसी वक्त हमारा और उनका साथ हो और हम तो इतने उत्सुक हैं कि वह आगे बैठें और हम पीछे चले जायं। हमें कोई शिकायत नहीं है। बदकिस्मती मेरी यह है कि माननीय मंत्री महोदय बहुत ही चतुर हैं। भाषण में भी उन्होंने बहुत-सी चीजों को कहना मुनासिब नहीं समझा और जवाब भी उनका बड़ा होशियारी का था। माननीय भारतीय जी को कुछ संदेह होने लगा। मैं उनसे कहूंगा कि यह मौका सफाई का नहीं है। मौके को समझ कर भाषण किया जाता है। बदकिस्मती से यह सफाई का काम मेरे सर पर पड़ा है जब कि यह काम दूसरे पक्ष का है, लेकिन मेरी तरफ से बहुत से दोस्त, माननीय भट्ट जी आइन्दा मदद किया करें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, श्री कैलाशप्रकाश जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके सम्बन्ध में कितनी ही बातें कही गईं। जहां तक माननीय मंत्री जी ने अपने विचार इस हाउस के सामने रखे और मेरे दोस्त भारतीय जी और गेंदासिंह जी ने रखे मैं यह महसूस करता हूं कि उनमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे उसका विरोध होता हो। जो कुछ मैंने समझा और जो उनका मन्शा मालूम होता है उससे इस संशोधन के विरोध में कुछ नहीं था किन्तु मेरी परेशानी यह है कि जो मंशा माननीय मन्त्री जी का और भारतीय जी का है उन दोनों की मंशा इन सेक्शन्स ४ और ५ से पूरे होने वाले नहीं हैं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह एक नये किस्म का विश्वविद्यालय बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। उनके साथ सब की सद्भावना है लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी यहां से चले गये उन्होंने संशोधन वापिस लेने की कुछ बात कही थी, यदि गेंदा सिंह जी ही उस विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर बना दिये जायं तो मुझे विश्वास हो जाय कि जिस ग्रामीण

[श्री नवल किशोर]

वातावरण को वह चाहते हैं वह वहां उस विश्वविद्यालय में पैदा हो जायेगा। मैं जानता हूं कि जैसे अधिकारीगण दूसरे विश्वविद्यालयों में हैं उसी प्रकार से इसमें भी होने वाले हैं। वेटेरिनरी कालेज, नैनी कालेज या दूसरे इसी तरह के कालेजेज को देखिये इन सब के एम्स और आबजेक्ट्स वहीं हैं जो इसके हैं, कोई एकाध शब्द का अन्तर होगा तो होगा, लेकिन इन विद्यालयों से जितने विद्यार्थी निकलते हैं उन्होंने कितनी खेती अपनायी है यह समस्या हमारे सामने है। वह दिन हमारे लिये बड़ा सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन इस विश्वविद्यालय के स्नातक बाबू न बन कर, नौकरी की इच्छा अपने दिमाग से निकाल कर सच्चे माने में खेती में लगेंगे। उस दिन मैं मन्त्री जी को बधाई दूंगा और तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा। मगर मेरा विश्वास यह है कि भविष्य में जो फेट दूसरे विश्वविद्यालयों का होता चला आया है वही इस विश्वविद्यालय का होने वाला है।

तो श्रीमन्, मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो अभी तक का हमारा तजुर्बा यह है कि हमारे स्नातक सही माने में ग्रामीण जीवन को नहीं अपनाते हैं। जितने विद्यार्थी पास करते हैं अगर उनके लिये कृषि विभाग परसू करे तो ३, ४ फीसदी ही मुश्किल से फार्मिंग के लिये जायंगे। जब आप साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग कर रहे हैं तो फिर आप कैसे यह आशा करते हैं कि आप का एम० एस० सी० पास कर के कोई विद्यार्थी १२।। एकड़ पर अपनी जिन्दगी को व्यतीत करेगा जब कि आप फर्स्ट क्लास सर्विस को १,८०० रुपये माहवार देते हैं। मैं यह समझता हूं कि एक सही तस्वीर सामने होनी चाहिये। अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो समाजवाद का जिक्र किया उस पर मैं नहीं जाता कि वह कैसे होगा और समाजवाद क्या है। लेकिन एक बात जरूर है कि यदि हम इस बात का दावा करें कि हमारे स्नातक खेती में जायंगे और साढ़े १२ एकड़ पर जीवन व्यतीत करेंगे तो मुझे यह मालूम पड़ता है कि यह चलने वाली बात नहीं है।

जहां तक देहात के भाइयों का हित है उस के लिये कोई भी विरोध नहीं करेगा। अगर मन्त्री जी यह कहें कि सिर्फ वे लोग जो काश्तकारी से सम्बन्धित हैं उनके ही बच्चे दाखिल हों तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा गेंदा सिंह जी ने हिचकते हुये कहा था कि रिजर्व होना चाहिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु हमारी मन्शा स्पष्ट होनी चाहिये। मैं एक बात चाहता हूं और यह कोई जिद की बात नहीं है कि जो आप के कानूनी मुशीर हों उन से आप पूछ लीजिये कि क्या "अमंग अदर्स" से उसमें और दूसरे विद्यार्थी भी दाखिल हो सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि वह पाठ्यक्रम को क्वालिफाइ करता है और शायद शहर या देहात की बात उसमें नहीं आती है। अगर उनका यह मन्शा है तो मुझे उसमें मतभेद नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि : "The University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, be open to all persons . . . . ."

अगर ४ में यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ५ में भी नहीं है। इन दोनों में यह कुछ विरोध सा है। अगर ४ में मतभेद माना जाए तब ५ में भी रहेगा, मैं यह नहीं कहता कि हो। यह तो कानूनी बात और सही बात है। जहां तक मंशा का प्रश्न है हममें और आप में कोई अन्तर नहीं है। अगर आप का यही ध्येय हो कि कृषि की उन्नति हो और जो इसके अन्दर पढ़ने वाले हों वह सब खेती से सम्बन्ध रखने वाले ही आवें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको साफ-साफ आना चाहिये, लेकिन अगर आप का मंशा और है. . .

श्री उपाध्यक्ष--आप के भाषण में "आप" शब्द बहुत आ रहा है। आप "आप" शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि यह अध्यक्ष के लिये ही आ सकता है।

श्री नवलकिशोर--"आप" से मेरा मतलब आप के द्वारा मंत्री जी से है और उसको वैसे ही जहां-जहां मैं "आप" कहूं समझ लिया जाय।

मेरा कहना है कि इसको केवल देख लिया जाय कानूनी रूप से और एग्जामिन कर लिया जाय कि कहीं आपकी मंशा से इसमें कमी तो नहीं आती है। अगर इसको सिर्फ खेती करने वालों तक ही सीमित रखना चाहते हों तो इस को भी स्पष्ट कर देना चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मुझे उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो मिनट दे दिये जायं तो मैं एक नई बात कहूंगा।

मैं आपका ध्यान इसके उद्देश्यों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं और वह सारे उत्तर प्रदेश के लिये है न कि किसी रीजन के लिये। किसी विशेष क्षेत्र के लिये कुमायूं के लिये या किसी अन्य क्षेत्र के लिये, संशोधन लाना इसके प्रयोजनों के अनुकूल नहीं होगा।

अब रहा "ग्रामीण" शब्द। तो "ग्रामीण" शब्द इसके खंड ४ में आया हुआ है और जो उद्देश्य चौथे का है उस को कार्यान्वित करने के लिये पांचवां है। अब कैलाशप्रकाश जी ने कहा कि शहरों के रहने वाले, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के रहने वाले लड़कों का क्या होगा? धारा २८ और २९ की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा २८ में स्पष्ट है कि "परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है" और २९ में भी और उससे अधिक स्पष्ट है कि "धारा २८ के खंड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक रखी जायगी।" तो परिनियम आयेंगे तो उनमें यह सब आ सकता है। जहां तक "ग्रामीण" की बात है तो जहां ५० से ९० प्रतिशत खेती से संबंध रखने वाली बात होगी और प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत कृषि से संबंधित अनुसंधान, नियंत्रण और अन्वेषण आदि होंगे तो वहां इस शब्द से इतनी चिढ़ क्यों हो?

तो एक तो यह सारे प्रदेश के लिये होगा। इसलिये किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसको परिसीमित करना इसके अनुकूल नहीं होगा। और दूसरे १४ दिन यह विधान मंडल के सदन के समक्ष होगा फिर इस प्रकार की शंका क्यों? जहां तक "ग्रामीण" शब्द पर आपत्ति है वह इसके अनुकूल नहीं पड़ती। इसलिये इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा तकलीफ होती है जब माननीय त्रिपाठी जी सरीखे आदमी ऐसी बात कहते हैं जो उनके मुंह में शोभा नहीं देती। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक आता है, तब किसी को आपत्ति नहीं होती। आगरा युनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो सारे प्रदेश की है। हम इसमें इतना नीचे नहीं उतरते हैं कि नाम आखिर क्या रखा गया है। कोई आगरा होगा कोई लखनऊ और कोई गोरखपुर। मेरठ वालों ने यह शिकवा कभी नहीं किया कि उनका कालेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से क्यों एफीलियेट नहीं हुआ। यह उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी की जो भावना अग्रसर होने लगी है यह हमारे तथाकथित सिद्धांतों, जिन पर हम कायम हैं, को खत्म कर के रहेगी और इसका प्रमाण आज यही है कि हमारे यहां आज हिन्दुस्तानी नहीं मिलते। ब्राह्मण, हरिजन, बनिये, सब मिलते हैं, हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी नहीं मिलते। इसमें कुमायूं के लिये कोई खास प्रार्थना नहीं की गयी है।

उन्होंने तो कल राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि नजदीक के कालेजों को एसोशियेट कर दिया जाय जैसा अन्य रिपोर्टों में भी है। अगर आगरा और गोरखपुर के कालेज भी इसमें एसोशियेट हो जायं तो हमको कोई गिला नहीं होगा, होना नहीं चाहिये। यह तो विश्वविद्यालय का सौभाग्य होगा अगर इसमें प्रदेश के ही नहीं, सारे देश के कालेज ऐसोशियेट हो जायं। यह तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा कि यहां एक ऐसा विश्वविद्या लय कायम हुआ। तो इस तरह की बात करना बड़ों के मुंह से शोभा नहीं देता। नारायणदत्त जी ने तो इसलिये कहा कि करीब के जो कालेज हों उनको इसमें रख दिया जाय। नारायणदत्त जी ने कुमायूं यूनिवर्सिटी के लिये तो एक बिल स्वयं पेश किया था, इत्तफाक से ही वह यहां डिस्कशन के लिये न आ सका। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना में हमने अपना सारा सहयोग दिया। हम तो चाहते हैं कि शिक्षा हरएक को सुलभ होनी चाहिये। कुमायूं उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है, उसको इंडियन यूनियन से निकाल दिया जाय ऐसा कहना या इस तरह की छिपी हुई कुनैन-चीनी लगा कर खिलाना ठीक नहीं है। यह भावना इस देश के उपयुक्त नहीं है, इसलिये हमारी यह मांग है कि

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

चूंकि वह नजदीक के कालेज हैं इसलिये वह इसमें रख दिये जायं। दो ही प्राविंशियल कालेज हैं एक नैनीताल में और दूसरा ज्ञानपुर में। नैनीताल में कुछ बड़े लोगों के लड़के पढ़ने जाते हैं अच्छा रहता है। तो नजदीक के कालेजों को इसमें रखा जाय यह मांग है और हम तो कुमायूं विश्वविद्यालय की एक बड़ी मांग को इस छोटी मांग को कर के छोड़ रहे हैं। उसको इससे खत्म कर देना चाहते हैं। हम दूध में चीनी की तरह समा जाना चाहते हैं, लेकिन आप हमें पानी में मक्खन की तरह से अलग रखना चाहते हैं। (इस समय गैलरी स ताली की आवाज सुनाई पड़ी)।

दूसरी बात शब्द 'ग्रामीण' को ले कर है। मैं संविधान पढ़ कर नहीं आया और न रूलिंग देख कर आया हूं, लेकिन मेरा खयाल है कि यह इतना लचर नहीं है जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने इसे समझा है। इस रूरल शब्द से इसका मतलब जो है वह दिखता है। यह शब्द "रूरल" उसी का द्योतक है। क्या भावना रहेगी अगर इसका नाम गांधी स्मारक विद्यालय रख दिया जाय। जब किसी महापुरुष के नाम पर किसी विद्यालय आदि की स्थापना होती है तो उसका आदर्श हमारे सामने आ जाता है। कहीं का आदमी आये लेकिन उस 'रूरल' शब्द से एक ऐटमासफियर बन जाता ह जैसे गांधी जी के आश्रम में जाने से, अरविन्द के आश्रम में जाने से, या शांतिनिकेतन में जाने से लोग कहते हैं कि वहां का तो वातावरण ही दूसरा है। तो किसी चीज को तैयार करने के लिये एक ऐटमासफियर बनाने की आवश्यकता होती है। उसी को क्रिएट करने के लिये यह रूरल शब्द रखा जा रहा है। जब हमारे प्रदेश में ७५ फीसदी देहाती रहते हैं तो मेरा खयाल है कि इस शब्द का रखा जाना उसका द्योतक होगा। एक दो शब्दों का हेरफेर होना हो तो हो सकता है। इसके लिये ऐडवोकेट जनरल अगर यहां होते तो अच्छा था।

श्री उपाध्यक्ष--जब आप हैं तो उनकी क्या आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--कभी एक दो शब्दों को इधर उधर करने के लिये अगर जरूरत हो तब उनकी राय की आवश्यकता होती है। नहीं तो मामूली वकालत तो हम लोग करते ही हैं।

दो और दो चार वाला तर्क दिया गया। यों तो तीन और एक चार भी होते हैं। लेकिन वह समाजीकरण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसमें बराबरी की भावना नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि उसमें कानपुर का कालेज, आगरा का कालेज, और गोरखपुर का कालेज सब शामिल हो सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को इसको मंजूर कर लेना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो संशोधन उपस्थित किये गये हैं, मैं उन दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले जो 'ग्रामीण' शब्द को निकालने की बात कही गयी है। उसमें दो कारण बताये गये हैं। पहला कारण बहुत छोटा-सा बताया गया है कि "ग्रामीण" शब्द की परिभाषा नहीं है। अगर प्रस्तावक महोदय की यही मंशा होती और "ग्रामीण" शब्द की परिभाषा होने से उनकी मंशा पूरी हो जाती तो वह उसकी परिभाषा को जोड़ने का प्रयत्न करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे उनकी यह मंशा मालूम नहीं पड़ती। दूसरी उनकी आपत्ति यह है कि इससे निर्देशक सिद्धान्तों का हनन होता है, क्योंकि इस खंड में केवल ग्रामीण जनता को, शिक्षित करने, उत्थान करने, लाभ पहुंचाने के लिये ही इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, लेकिन इससे संविधान की धारा १५ का हनन किसी प्रकार से नहीं होता है। अगर इससे उन सिद्धान्तों का हनन होना माना जाय, क्योंकि इसमें "ग्रामीण" शब्द आ गया है तो अगर उसको हटा भी दिया जाय तब भी प्रस्तावक महोदय की मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। अगर ग्रामीण कहने से निर्देशक सिद्धान्तों का हनन होता है तो उत्तर प्रदेश कहने से भी निर्देशक सिद्धान्तों

का हनन हो जायगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो अभी जो कार्पोरेशन बिल बना है उसका मंशा है कि नागरिक प्रशासन अच्छा हो, नागरिक जनता को लाभ हो, और अगर नागरिक प्रशासन अच्छा होने से शहर के रहने वाले नागरिकों को लाभ हो और उससे निर्देशक सिद्धान्तों का हनन हो, तो मेरे खयाल स कार्पोरेशन बिल भी नहीं बन सकता। इस तरह से तो कोई काम हो नहीं सकता है। अगर प्रदेश के छोटे से छोटे टुकड़े के विशेष लाभ के लिये, वहां के लोगों की उन्नति के लिये कोई अधिनियम बनाया जाय और उसस निदशक सिद्धान्तों का हनन हो तो सब काम बन्द हो जायेंगे। इसलिये "ग्रामीण" शब्द से सिद्धान्तों का कोई हनन नहीं हो रहा है। चूंकि इसकी मंशा है कि शिक्षा कृषि संबंधी हो उस को प्रोत्साहित किया जायगा, गांव के रहने वालों की भलाई की जायेगी, इसलिये "ग्रामीण" शब्द कह कर इस पर बल दिया जा रहा है। उसको हम एक बहुत बड़े दायरे में छिपा नहीं देना चाहते हैं। चूंकि यह ग्रामीणों के लाभ के लिये है इसलिये "ग्रामीण" शब्द रखा गया है और उस पर और बल दे देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो उसकी जो मंशा है वह भी बहुत बड़े दायरे में पड़ कर खत्म भी हो सकती है, उस पर यह प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिये "ग्रामीण" शब्द का यहां पर रखा जानाबहुत जरूरी है और उसको हटा देने से फिर मंशा भी खत्म हो जायगी।

दूसरे खंड ४ और खंड ५ के बारे में जो विरोधाभास की बात कही गयी, उसके बारे में कई माननीय सदस्य अभी जिक्र कर चुके हैं कि वह विरोधाभास नहीं है। किसी चीज को रोकना अगर हम किसी काम को रोकते हैं, किसी एक के लाभ के लिये दूसरे को रोकते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वहां निर्देशक सिद्धान्तों का हनन होगा। यह उसमें रोका नहीं गया है कि ग्रामीण जनता के अतिरिक्त कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है या उसे कृषि की शिक्षा नहीं मिल सकती है। अगर ऐसी कोई चीज होती तब तो आशंका हो सकती थी कि इससे निर्देशक सिद्धान्तों का हनन होगा, लेकिन यह बात नहीं की गयी है, किसी को रोका नहीं गया है। इसलिये खंड ५ में यह बात साफ कर दी गयी है कि यह विश्वविद्यालय सब के लिये खुला रहेगा। उन उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिनका उल्लेख खंड ४ में है उसमें सब प्रविष्ट हो सकते हैं। उसका उद्देश्य ह ग्रामीणों को आगे बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति करना। शहर के लोग भी इस दृष्टि से वहां शिक्षा पाने जा सकते हैं, लेकिन वे इस दृष्टि से शिक्षा न पावें कि ग्रामीण जनता की उन्नति करने, गांवों की सुविधाओं को और बढ़ाने की उनकी कोई मंशा न हो, तब तो उन पर पैसा खर्च करना बेकार होगा और ऐसे आदमी को शिक्षित करना बेकार होगा। इसलिये सबके लिये यह खुला होगा, ऊपर के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये यह बात कही गयी है। इसलिये यह अच्छी तरह से स्पष्ट है कि खंड ४ और खंड ५ में विरोधाभास नहीं है। खंड ५ में इसको और साफ कर दिया गया है।

दूसरा संशोधन जो यह रखा गया है कि यह कृषि विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश के कुछ भागों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है, मेरे खयाल से यह मंशा बिल्कुल अनुपयुक्त सी है, क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं तो बहुत-सी हैं। यह तो एक विशेष तौर की शिक्षा देने के लिये यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है। अगर सब आवश्यकताओं की पूर्ति इस विश्वविद्यालय से ही करने की मंशा हो तब तो फिर यह कृषि विश्वविद्यालय न रह जायगा। जैसे और विश्वविद्यालय हैं, वैसे ही यह भी हो जायगा, और यह चीज इसके उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। फिर जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टि से यह यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है वह उद्देश्य ही न रह जायगा, इसलिये दूसरा जो संशोधन है वह तो किसी तरह से भी यहां पर उपयुक्त होता ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दोनों संशोधनों के प्रस्तावक महोदय अपने-अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कैलाशप्रकाश---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विषय में यहां जो विचार व्यक्त हुये उनको मैंने सुना। जो समस्या शुरू में थी वह वैसी ही रही और वह कुछ सुलझ नहीं पायी, बल्कि कुछ थोड़ी-सी उलझ ही गयी। इस तरफ के जो मेरे साथी बोले उन्हें आश्चर्य तो जरूर हुआ कि क्यों मैं इस शब्द को हटाना चाहता हूं। मैंने प्रारम्भ में यह बात कही थी कि मेरा यह संशोधन कुछ सैद्धांतिक संशोधन नहीं है। मुझे तो इसकी ड्राफ्टिंग में कुछ कठिनाई मालूम होती है। इस तरफ के जो मेरे साथी बोले उन्होंने स्पष्टतया यह बात कही कि टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी में जो किसान के लड़के हैं उनको इस यूनीवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। यदि यह बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे महसूस यह होता है कि जिस तरह के शब्द इसमें रखे गये हैं उनसे यह अन्देशा हो सकता है कि उनको मौका न मिले।

इन्हीं शब्दों से जो दूसरी तरफ के भाई हैं उन्होंने यह समझा कि मुमकिन है मौका न मिले। उनका मतलब यह है कि संम्भवतः गांव के---गांव की मैं जानता नहीं कि क्या परिभाषा कानून के मुताबिक होगी, वैसे तो समझता हूं, लेकिन जज कानून के मुताबिक क्या परिभाषा गांव की करेगा यह नहीं मालूम---लोगों को मौका न मिल सके। मेरी यह वैधानिक कठिनाई है। तो इधर के जो साथी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में खास कर गेंदासिंह जी ने यह प्रार्थना की कि मैं इस संशोधन को वापस ले लूं। जहां तक सिद्धांत का सम्बन्ध है मैं अवश्य उनकी बात मान लेता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक विश्वविद्यालय इस तरीके का स्थापित हो जो ग्रामीण समस्याओं को देखे, खेती की समस्याओं को देखे। जहां इस तरीके की पढ़ाई हो कि वहां के बच्चे पढ़ने के बाद गांवों में जा सकें, उसको उन्नत कर सकें, गांव का जीवन रह सके। मैं इस चीज का ख्वाहिशमन्द हूं। किन्तु इस ड्राफ्टिंग की बात है और ड्राफ्टिंग में मैं अभी साफ नहीं हूं, क्योंकि उसी ड्राफ्टिंग से एक तरफ के साथियों ने कुछ समझा और दूसरी तरफ के साथियों ने कुछ समझा। और यही समझ कर मैंने इस चीज को दिया था।

कृषि यहां का एक विशेष पेशा है और जब तक कृषि की उन्नति नहीं होती तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती और कृषि के साथ जो सम्बन्धित उद्योग हैं जिनकी शिक्षा इसमें दी जायगी उनका बढ़ना और रिसर्च होना, प्रसार होना बहुत आवश्यक है, किन्तु जहां गांवों में, जो गांव मैं जानता हूं कोई आबादी के हिसाब से नहीं है, जो कानूनी व्याख्या है वह स्वायत्त शासन विभाग के हिसाब से हैं, १२ हजार आबादी की पंचायतें हैं वह तो इस ऐक्ट के अनुसार ग्रामीण होंगी और जो ३,४,५ हजार की आबादी के टाउन एरिया हैं वे नहीं होंगे यद्यपि दोनों का बिल्कुल कृषक जीवन है। किसी पंचायत में जिसकी आबादी ९,१० हजार है वहां का जीवन स्तर देखा जाय वह ज्यादा ऊंचा है बनिस्बत टाउन एरिया के जिसकी आबादी ३,४, ५ हजार है और हमारे यहां ऐसी मिसालें हैं, लेकिन इस ऐक्ट की व्याख्या से यह होगा कि जो १०,१२ हजार की आबादी का गांव है जिसका जीवन स्तर ऊंचा है वह तो इसकी परिभाषा में ग्रामीण में आवेगा और टाउन एरिया जिसका भी जीवन कृषक है वह नहीं आयेगा। इस प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज का क्षेत्र भी बढ़ाया गया है और मैं निश्चित नम्बर तो नहीं दे सकता लेकिन ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं जिसमें गांवों का एरिया सम्मिलित है, बिल्कुल गांव का जीवन है। तो उन गांवों के लोगों को भी इससे वंचित कर देना, यह मैं समझ नहीं पाया। जब मैंने संशोधन दिया था तब मुझे इस बात की आशंका जरूर थी, यह एक ऐसी चीज है, आजकल एक नारा है और इसी वजह से मैंने शुरू में कह दिया था कि मैं अहमियत देना चाहता हूं उसके अन्दर क्या है। इसीलिये मैंने इसको रखा। अब मंत्री जी देख लें इस बात को। मैं उनसे फिर से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि चाहे ग्रामीण रखें या न रखें, चाहे कृषि रखें, चाहें ग्रामीण विश्वविद्यालय रखें, लेकिन वह इस बात का प्रयत्न करें कि यहां का वातावरण ग्रामीण हो। वर्ना मुझे आशंका इस बात की है कि जिस तरीके से कानपुर ऐग्रीकल्चर कालेज में शिक्षा दी जाती है कृषि की उसी तरीके की शिक्षा यहां भी हो सकती है। और अगर उसी तरीके की शिक्षा हुई और यहां का कोई वातावरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बदलता तो जो फायदा उनके दिमाग में, सदन के दिमाग में है, वह होने वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रसार का कार्य आज भी देश में हो रहा है, कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रसार का काम हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, पोस्ट ग्रैजुएट टीचिंग का भी काम हो रहा है, लेकिन इन सारी चीजों को एक जगह एकत्र करके वह एक ग्रामीण जीवन उस चीज को देना चाहते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वह पूरे तरीके में सफल नहीं हो पायेंगे जब तक कि वहां के वातावरण को ग्रामीण न बनाया जाय। उसमें लड़के पंचायत के दाखिल हों या टाउन एरिया के हों, मुझे इसमें भेद करने से कोई खास चीज नहीं मिलती। मैं तो यह कहता हूं कि वह नहीं करना चाहिये। इस में भेद करना चाहिये। जो वातावरण दूसरे विश्वविद्यालयों का है जो वहां का रहन सहन है, जो वहां का जीवन है वह वहां के लिये कुछ भिन्न हो। भर्ती चाहे टाउन एरिया के लड़कों की की जाय चाहे नोटीफाइड एरिया के लड़कों की जाय, चाहे पंचायतों के क्षेत्र के लड़कों की की जाय, केवल इतना मेरा कहना है। यदि मंत्री जी को विश्वास है कि इस, ड्राफ्टिंग के अनुसार टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी के किसानों के लड़के जिनका किसानी जीवन से सम्बन्ध है वह उसमें रुकते नहीं हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है मैं इसको वापस ले सकता हूं, लेकिन मेरे भाई जिनको ताज्जुब हुआ उनकी और मेरी तो मंशा ही एक है।

मैंने ४–५ क्लाज के विरोध की जो बात कही थी वह मैंने तो केवल चर्चा कर दी थी, वह तो वकील हैं उन्होंने अपनी राय जाहिर की है, मैं तो कोई वकील नहीं हूं। खंड ४ और ५ में कोई खास विरोधाभास नहीं है अगर वह होता तो मैं इसको पेश ही नहीं करता। इस के सिद्धांत से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह उचित नहीं समझता कि जो म्युनिसिपैलिटीज में गांव शामिल कर दिये गये हैं उनके लड़के टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया के लड़कों की तरह न पढ़ने दिये जायं। इस सम्बन्ध में मंत्री जी निश्चित हो जायं तो मुझे इसे वापस लेने में भी कोई एतराज नहीं है। इसलिये जो मंशा मैंने इस संशोधन के द्वारा व्यक्त की है उसको अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी न जो भाषण दिया उसके कुछ हिस्से से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा कि कुमायूं और रुहेलखंड की परिस्थिति और वहां की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न हैं केवल कुमायूं की परिस्थिति मैदान से भिन्न है। इसलिये यह अनावश्यक है। मैं भी इसको अनावश्यक समझता हूं और इसे वापस लेता हूं और बाकी संशोधन जो है वह वैसे ही रहेंगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे पारित करेगा।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय कैलाश प्रकाश जी के संशोधन का सम्बन्ध है उन्होंने उस में जो प्रश्न उठाया है, जैसा मैंने पहले कहा था मेरे दुर्भाग्य से जब मैं बोल रहा था तो वह नहीं सुन पाये मेरी बात को। जो शंका उन्होंने जाहिर की है वह ठीक है और उस पर विचार करने की जरूरत थी और है।

मैं यह निवेदन कर दूं कि जहां तक इस धारा का ताल्लुक है वह इस प्रकार है कि "अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त स्थापित तथा निगमित समझा जायगा" इसके लिये जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल हुए हैं वह भी मैं आपकी इजाजत से पढ़ दूं ताकि साफ हो जाय। वह यह हैं कि––

"The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purposes, among others, ..."

यानी नीचे लिखे प्रयोजन तो होंगे ही और उन के साथ-साथ अन्य प्रयोजन भी होंगे। यह दूसरे कामों को एक्सक्लूड नहीं करता, इनके अलावा और भी काम और पर्पजेज हैं। इसलिये एक तो यह है कि दूसरों को एक्सक्लूड नहीं करते।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री मोहनलाल गौतम]

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल जिक्र किया था, उसी को दोहरा दूं कि इसका जो मूल आधार था वह यह है कि जो लैण्ड ग्रांट कालेज की बात कही थी और जिसकी जान इसमें लेने की कोशिश की है वह यह है :

"They have defined their position on the basis of their unique function in the integration of knowledge with life wherever life may be. This desire for the intimate relation of learning with living has carried the knowledge into the Factory, the Farm and Home."

यह उसका आधार है कि हम इसकी नालेज को फैक्टरी, फार्म और होम में ले जायं। इस वक्त तक तो हमारा फार्म तक ले जाने का मकसद है। जब ऐसा है तो स्वाभाविक है कि हम इसको फार्म तक ले जायं और ग्रामों का सम्बन्ध इससे जोड़ें।

जहां तक कैलाशप्रकाश जी ने कहा कि "रूरल" को कहीं डिफाइन नहीं किया तो "रूरल" लफ्ज तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी डिफाइंड नहीं ह, "रूरल एरिया" डिफाइण्ड है। मैंने इसको जल्दी में पढ़ा है, अगर गलती रह गयी हो तो माफ करेंगे :

"Rural area means the area of a district excluding every municipality as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916 and every cantonment as defined in the Cantonments Act, 1910."

यानी "रूरल क्षेत्र" के मानी यह है कि जो क्षेत्र म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के मुताबिक म्युनिसिपैलिटियों में या कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट के मुताबिक कैन्टूनमेंट एरिया में शामिल नहीं है, वह इसमें शामिल होगा एरिया। तो उतना एरिया तो शामिल हो जाता है इस डेफिनीशन के मुताबिक, लेकिन "रूरल" लफ्ज अभी तक कहीं मुझे डिफाइन किया हुआ ऐसा नहीं मिला जो कि टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज और नोटीफाइड एरियाज में रहने वाले किसानों को इससे अलग कर दे। तो मैं इसमें साफ कह देना चाहता हूं कि जो खेती करने वाले लोग हैं म्युनिसिपैलिटीज में, जो साग सब्जी तैयार करते हैं उनको एक्सक्लूड करना इस ऐक्ट का हरगिज मतलब नहीं है। टाउन एरियाज में तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें अधिकांश खेती होती है और बीच में एक बाजार है और उसी के कारण वह टाउन एरिया बन गया। तो खेती करने वालों को इससे अलग रख देना इसका मतलब हरगिज नहीं है और उससे अलग नहीं होता। लीगल ओपीनियन हमने ले ली है। एक्सक्लूड करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिये उन्होंने जो शंका जाहिर की वह साफ है और मैंने उसे साफ कर दिया।

जहां तक खेती करने वालों का सम्बन्ध है उन्होंने कहा था, माननीय सदस्य ने, वह तो उससे भी पूरा हो जाता है, उसमें भी विरोध नहीं है। उनका कहना यह है कि उन लोगों को रखो जिनका खेती से सम्बन्ध होता हो और ऐसा कह दो। तो यह तो कहा ही है कि जो शहर में रहने वाले खेती करते हैं उनको प्रवेश होने की पूरी सहूलियत दी जाय, लेकिन जिनका खेती से सम्बन्ध नहीं है उनको अगर न लिया जाय तो आपको भी आपत्ति नहीं होगी। इसका सम्बन्ध सिर्फ खेती करने वालों से ही होगा चाहे वे गांव के रहने वाले हों चाहे शहर के रहने वाले हों।

एक बात गेंदासिंह जी ने सिद्धांत की उठाई कि साहब, बाहर से सलाहकार क्यों मंगाते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक इस यूनिवर्सिटी का और हमारा सम्बन्ध है जो केंद्रीय सरकार की दो संस्थाएं हैं, एक दि इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल एजुकेशन और दूसरी इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्हीं से हमारा सम्बन्ध है, इन्हीं से हमारा रुपया लेने का सम्बन्ध है, इन्हीं से सलाह करने का सम्बन्ध है, किसी दूसरे देश से सीधे न हमारा रुपया लेने का सम्बन्ध है न सलाह लेने का सम्बन्ध है। तो वैधानिक कठिनाई मेरा खयाल है साफ हो गयी।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कई बार कहा कि उनको आशा नहीं है कि सफल होगा। अब अगर उनको यह डर है तो मैं डर दूर करने की कोशिश करूं और उनका सहयोग प्राप्त

करने की कोशिश करूं और अगर यह उनकी बद्दुआ है तो हमारे यहां ऐसे भी ऋषि हो गये हैं जो बद्दुआ भी देते रहे फिर भी ऋषि रहे। तो मैं उनको ऋषि समझकर नमस्कार करता हूं। वैसे कैलाश प्रकाश जी ने इसे वापस लेने की बात कही भी है और मेरे सफाई देने के बाद मैं आशा करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस लेंगे।

जहां तक गौरीशंकर राय जी के संशोधन का प्रश्न है, उन्होंने उसका ऊपर का धड़ तो काट लिया है सिर्फ पैर-पैर रह गये हैं। अब वह संशोधन कोई शक्ल रखता नहीं, इसलिये प्रार्थना है कि वे भी इसको वापस ले लें और अपनी कुमायूं विश्वविद्यालय की मांग को कायम रखें वही ठीक है, लेकिन इसके साथ जोड़ कर इसका और उसका रूप बिगाड़ें नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा एक संशोधन था कि "ग्रामीण" के स्थान पर "कृषक" रख दिया जाय और सेंस आफ दि हाउस भी यही है, इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष---अब इसको नहीं लिया जा सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैंने इसलिये कहा कि इस पर सभी ऐग्रीड हैं।

श्री अध्यक्ष---क्या सर्वसम्मति है इसमें?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं। इसको मान लेने से तो विकृत रूप हो जायगा।

श्री कैलाश प्रकाश---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका और मंत्री महोदय ने इस चीज को देख ही लिया है और सफाई कर दी है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामस्वरूप वर्मा---विभाजन।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। आपको पहले कहना चाहिये था।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) का अंतिम शब्द "तथा" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में शब्द "तथा" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"कुमायूं तथा रुहेलखंड कमिश्नरियों में जहां पर कि विश्वविद्यालय स्थित है शिक्षा की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में ---१९,
विपक्ष में---८८।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक पारित न हो जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। एक तो यह कि आज दिन भर इसी एक खंड पर विवाद चला है और बकिया खंडों पर भी विवाद होना आवश्यक है, यह मैं मानता हूं। लेकिन इस तरह से सदन का समय बढ़ाना हम पसन्द नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आज सदन के समय की अवधि न बढ़ाई जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज सदन तब तक बैठा रहे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय, तब तक के लिये उसका समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में— ९८,
विपक्ष में—२३।)

खण्ड ६ व ७

विश्व-विद्यालय के अधिकार।

६—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(१) कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और सम्बन्धित विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की व्यवस्था करना;

(२) अनुसंधान-कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार तथा प्रसार कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था करना ;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना;

(४) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान (grant and confer) करना—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात किसी संस्था में परिनियमों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान-कार्य किया हो;

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(६) क्षेत्र-कर्मियों (field workers) तथा अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों की स्थापना करना तथा उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(९) परिनियमों के अनुसार परिषद् वृत्तियों (जिनके अन्तर्गत यात्रिक परिषद् वृत्तियां भी हैं) छात्र-वृत्तियों तथा पारितोषिकों (prizes) की स्थापना करना और उनका प्रदान किया जाना;

(१०) विश्वविद्यालयों के छात्रों के निवास-स्थानों की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण;

(११) ऐसे शुल्क तथा अन्य परिव्यय मांगना और प्राप्त करना जो नियत किये जायं;

(१२) विश्वद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की वृद्धि के लिये प्रबंध करना;

(१३) प्रशासकीय, कारणिक (Ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; तथा

(१४) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

७—(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय उसके भवनों प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का निरीक्षण करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी मामले में उसी प्रकार जांच करवा सकती है। निरीक्षण

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है और विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार उक्त निरीक्षण और जांच के फल के सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसे परामर्श के साथ जो राज्य सरकार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दे सम्बोधित कर सकती है।

(४) बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फल को दृष्टि में रख कर करना चाहे या जो उसने की हो।

(५) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे निदेश प्रचारित करेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"तथा इनकी शिक्षा देने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और सम्बन्धित करना (recognize and affiliate)"

श्रीमन्, देखेंगे कि खंड ६ में विश्वविद्यालय के अधिकारों का विवरण दिया हुआ है। करीब-करीब १४ अधिकार दिये हुए हैं। और उन अधिकारों में वे सभी बातें हैं जो कि एक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिये आवश्यक हैं किन्तु सभी बातों के होते हुये भी कुछ आवश्यक बातों की कमी दिखाई पड़ती है। यदि यह युनिवर्सिटी यह चाहे कि कुछ और ऐसी संस्थाएं जो इसी उद्देश्य की पूर्ति करती हों और उसमें सम्मिलित होना चाहिये और इस प्रकार का यदि वे आग्रह करें तो इसको कर सकने की अनुमति उनको दे दी जाय। आप देखें कि खंड ६ के उपखंड (१) में यह दिया है कि "कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा व्यवसाय और सम्बन्धित विज्ञानों तथा विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा की व्यवस्था करना", यह विश्वविद्यालय ग्रामीण विज्ञानों से सम्बन्धित शिक्षा की व्यवस्था करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अन्य शिक्षा संस्थायें भी करती हैं उनसे सम्बन्धित हो जाने की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिये। इसको देखने से यह पता लगा कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण समस्याओं को हल करने के लिये और उनके व्यवसाय की वृद्धि करने के लिये है। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले और विद्यालय भी इस प्रदेश में फैले हुये हैं। कानपुर का कृषि कालेज और इज्जतनगर का कालेज भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम करते हैं। मैं यह चाहता था कि उनको भी इसमें जोड़ दिया जाय। कुछ ऐसी संस्थायें जो इस विश्वविद्यालय के कैम्पस के बाहर की हैं और जिनका उद्देश्य इससे मिलता-जुलता है अगर वे एफिलियेशन चाहती हैं तो उनको एफिलियेशन करने का प्राविजन इसमें होना चाहिये जिससे वह स्वीकृति प्राप्त कर सकें। इसके सम्बन्ध में कुछ थोड़ी-सी शंका माननीय मन्त्री जी ने अपने पिछले भाषण में प्रकट की थी कि अभी तक जो ऐसे कालेज चल रहे हैं उनको एफिलियेशन देने में भय यह है कि उनके यहां जो शिक्षण चल रहा है वह भिन्न रूप में है। उनका समावेश करना दिक्कत की बात है। यदि उनकी बात को मान लिया जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर उनको इन कालेजों के समावेश करने में भय है तो कुछ ऐसे कालेज भी हैं जिनका यही उद्देश्य है और यही लक्ष्य है जो इस वर्तमान विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। उनको तो सम्मिलित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका लक्ष्य यही है कि जो इस विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। उन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिये इस विश्वविद्यालय को अधिकार होना चाहिये। इस समय भी चाहे कोई विद्यालय इस तरह का न हो तो भविष्य के लिये यह रास्ता खुलना चाहिये कि यदि इस प्रकार का कालेज बने और जिसका उद्देश्य यही हो तो उसको मान्यता प्राप्त होने की आज्ञा प्रदान हो जाय।

आज कुछ बातों पर विवाद अवश्य हुआ, लेकिन उसमें अधिक समय निकल गया। कुछ उत्साहवर्द्धक बातें थीं, परन्तु इस समय मुझे यह कहने में फख्र है कि जो संशोधन मैंने सदन के सामने उपस्थित किया है यह अत्यावश्यक है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पूरा ध्यान दे। मुझे यह खेद है कि अभी तक हम इस विधेयक के मुख्य अंश में प्रवेश नहीं कर पाये हैं। अभी उसके प्रारम्भिक भाग पर ही विवाद कर रहे हैं। अब प्रमुख भाग आ रहा है आज हमको जिस प्रकार से देखने को मिला उसके लिये हम अपने भाई कैलाशप्रकाश जी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने विचार स्वातन्त्र्य का नमूना सामने रखा। यह उनका साहस था कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिये यहां पर विवाद किया। लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने उनके विचारों को सुनने के बाद उसके अनुरूप एक्सप्लेनेशन प्रकट नहीं किया और इतना समय हाउस का नहीं लिया जाना चाहिये था जो समय दूसरे उपयोगी कार्यों में लगता।

श्री अध्यक्ष—इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक संशोधन पर अधिक लोग न बोलें एक-एक या दो-दो सदस्य बोलें जिनको कि उसमें ज्यादा दिलचस्पी हो तो समय बचाया जा सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यही तो मैं रख रहा था कि एक ही खंड पर इतनी देर तक वाद विवाद हुआ १२ बजे से ४ बजे तक और बाद में संशोधन वापस भी ले लिया गया। वह संशोधन भी सिर्फ डेफिनीशन के बारे में एक भ्रम था उसको दूर करने के लिये था जिसको मंत्री जी के कमरे में जा कर दूर किया जा सकता था जैसा कि आप, अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कहा करते हैं कि कमरों में जा कर बातें कर ली जाया करें और छोटे-मोटे मसले वहीं हल हो जायं, खैर, अब ७ या ८ खंडों पर विवाद करने की बातें हैं और मैं उसी पर आ रहा हूं जिनमें विवाद-ग्रस्त विषय हैं।

आप देखें कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इसका एरिया हजारों एकड़ कृषि के अन्दर है और आबादी ६ करोड़ से अधिक है। इस बड़े प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है। तो इसमें जो नयी-नयी बातें निकलेंगी उनसे सारे प्रदेश को फायदा पहुंचना चाहिये। इसलिये उचित यह है कि सारे प्रदेश में फैले हुये जो दूर-दूर तक इसके हिस्से हों वहां भी उनकी सारी बातें जानी चाहियें।

जहां तक दूर-दूर तक प्रदेश में फैली हुई इसकी फैक्लटीज और स्कूल्स होंगे वह किस स्टैंडर्ड की होंगे वह तो भविष्य में आनेवाली चीज है। वह हाईस्कूल स्टैण्डर्ड की होंगी, या इंटरमीडियेट स्टैंडर्ड की होंगी या पोस्ट ग्रेजुयेट स्टैंडर्ड की होंगी, यह सब सोचने की बात होगी, लेकिन जो हमारी वर्तमान आवश्यकतायें हैं उनके लिये भी इस विश्वविद्यालय के दरवाजे खुले रखने जरूरी हैं। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है जो बहुत आवश्यक है। यह सर्वमान्य भी मालूम पड़ता है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

वैसे तो उनके भाषण से प्रतीत होता है कि कुछ लोग उनको श्राप देने के लिये तैयार है, श्राप देने की तो मंशा किसी की भी नहीं है। हमने तो उनको आशीर्वाद दिया है और यहां तक आशीर्वाद दिया है कि वे आज उस स्थान पर सुशोभित हैं और अब भी आशीर्वाद देते हैं कि उनको सुबुद्धि आवे। हम श्राप नहीं देते हैं विरोध करते हैं। विरोध और श्राप भिन्न-भिन्न चीज हैं। हमारे विरोध के माने हैं सलाह देना, उचित सलाह देना और स्पष्ट देना। मुझे आशा है कि वे मेरे विरोध को श्राप न मानकर हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमान् जी, मैं एक प्रस्ताव करता हूं कि अब इस बिल के संशोधनों को गिलोटिन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते कि जिसमें यह न हो कि इस समय तक, यानी समय रख कर ही आ सकता है कि इस समय तक वह संशोधन पारित हो जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह—ठीक है श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जितने प्रस्ताव शेष हैं उनको गिलोटिन कर दिया जाय ताकि ५ बजे तक सब समाप्त हो जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह प्रस्ताव इस तरह का कैसे आ सकता है जब एक प्रस्ताव पहले आ चुका है?

श्री अध्यक्ष—आ सकता है।

प्रश्न यह है कि खंडों के संशोधनों पर विवाद ५ बजे तक समाप्त कर दिया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७५,
विपक्ष में—२०।)

श्री गौरीशंकर राय---मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि एक बार उस तरह का प्रस्ताव आ चुकने पर क्या इस तरह का प्रस्ताव फिर लिया जा सकता है ? क्या मैं पुनः प्रस्ताव कर सकता हूं कि सदन का समय तीन घंटे के लिये बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष---अगर वे प्रस्ताव एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन यह तो विरोधी नहीं है । इसमें तो खंडों पर ५ बजे तक बहस समाप्त हो जायेगी ऐसा है, उसके बाद भी सदन बैठेगा और बिल की थर्ड रीडिंग होगी ।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी बहस हो चुकी है और मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह सकता हूं । यह साफ है कि यह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी होगी और इसलिये रिकग्नाइज करने या एफिलियेट करने की कोई बात नहीं उठती । जहां तक दोस्तों की दुआ और बद्दुआ की बात है उसे मैं समझ नहीं पाया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं इससे भी कम शब्दों में इसका उत्तर देना चाहता हूं कि ईश्वर उनको सुबुद्धि दे और कुछ कहना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखंड (१) के अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

"तथा इनकी शिक्षा देने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और सम्बन्धित करना (recognize and affiliate) ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८ व ९

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तथा प्राधिकारी ।

८---विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :

(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(१) कुलपति (Chancellor);
(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor);
(३) लेखानियंत्रक (Comptroller) ;
(४) रजिस्ट्रार (Registrar) ;
(५) छात्र कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare) ;
(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties) ;
(७) कृषि प्रयोग केन्द्र के संचालक (Director of the Agricultural Experiment Station) ;
(८) प्रसार संचालक (Director of Extension) ; और
(९) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(१) प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) ;
(२) विद्वत् परिषद् ; (Academic Council) ;
(३) फैकल्टियों का बोर्ड (Board of Faculties); तथा
(४) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

९--(१) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे वे पदेन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे । कुलपति

(२) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ८ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :---

"खंड ८ के उपखंड (क) में उपभाग ७ व ८ निकाल दिया जाय ।"

मेरे दूसरे संशोधन इस प्रकार से हैं---

"खंड ८ के उपखंड (ख) के भाग तीन में शब्द 'तथा' के बाद शब्द 'छात्र कल्याण परिषद्' (Board of Student Welfare) जोड़ दिया जाय ।"

खंड ८ (ख) में भाग ३ के बाद नया उपभाग ३ (क) इस प्रकार जोड़ दिया जाय :

"(३-क) वित्त समिति तथा चुनाव समितियां (Finance Committee and Selection Committee) ।"

श्रीमन्, पहले संशोधन के विषय में मुझे यह कहना है कि विधेयक में लिखा हुआ है कि कृषि प्रयोग केन्द्र संचालक तथा उसके आगे लिखा हुआ है प्रसार संचालक । तो श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के हमारे जो और विश्वविद्यालयों के विधेयक हैं उनमें इस प्रकार का कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी नहीं होता है, लेकिन जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने कहा इस यूनिवर्सिटी के विषय में एक विशेष परिस्थिति है । चूंकि इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा लैंड ग्राण्ट्स कालेज आफ अमेरिका से ली गयी है । इसलिये उसमें से मैं कुछ लाइन पढ़ देना आवश्यक समझता हूं :

"The common type of organization which permits the accomplishment of all of these functions in a co-ordinated manner is one in which an Administrative Officer known as a Dean or Dean and Director heads up all of the work of the College."

वहां पर यह कार्य डीन करता है । अगर मेरे संशोधन को न भी माना जाय तो इसकी आधारशिला वही है जो कि इस विश्वविद्यालय विधेयक की है । लैंड ग्राण्ट्स कालेज में विश्वविद्यालय का पदाधिकारी डायरेक्टर नहीं है बल्कि डीन को एक आदमी में कोआर्डिनेट कर दिया है । यह तो चीज हुई पहले संशोधन के बारे में ।

जहां तक बोर्ड आफ स्टुडेंट्स वेलफेयर का ताल्लुक है, लैंड ग्राण्ट्स कालेज में भी विश्वविद्यालय की एक्स्ट्रा केरीकुलम एक्टीविटीज को देखने के लिये उनकी राय ली जाती है राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में भी जहां उन्होंने नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही है, उन्होंने कहा है कि बोर्ड आफ स्टुडेंट्स वेलफेयर की राय विद्यार्थियों के हित अनहित के बारे में लेना आवश्यक है ।

आखिरी बात सेलेक्शन कमेटी और फाइनेन्स कमेटी की है । इस विधेयक में कहीं भी फाइनेन्स कमेटी का कोई जिक्र नहीं है । और सेलेक्शन कमेटी जो विश्वविद्यालय में कई होती हैं, वे भी इसमें नहीं हैं । इस विश्वविद्यालय के अधीन १६ हजार एकड़ का फार्म है जो एशिया में सबसे बड़ा है । माननीय सदस्यों को एक गलतफहमी यह हो रही है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष कृपा से खुल रहा है । ऐसा नहीं है । जो अमेरिकन--इन्डो टीम आयी थी उसने ५ विशेष विद्यालयों की स्थापना में से एक के लिये रुद्रपुर को चुना था । इसलिये वहां इसको रखा जा रहा है । इसमें कोई फेवर की बात नहीं है । अब इस विश्वविद्यालय के फार्म से जो आमदनी होगी उसकी देख-भाल के लिये भी तो कोई सेलेक्शन कमेटी या फाइनेन्स कमेटी होनी

[श्री प्रतापसिंह]

ही चाहिये थी । मैंने आपको इशारा मात्र में इसको बतला दिया है । इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि वे इस महत्त्वपूर्ण संशोधन को अपने इस बिल में स्थान देने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दोनों चीजों को निकालने का सम्बन्ध है, उसमें बहुत गलत हो जायगा । इसलिये कि इन दोनों चीजों पर ही तो जोर दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट होगा, रिसर्च होगा और उसका एक्सटेन्शन होगा, यह उसका मुख्य कार्य है, इसको यहां से निकाल देने से इसकी रूपरेखा बिलकुल अलग हो जायेगी । ये सब संशोधन कुमायूं विश्वविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में आये थे जिनको सदन नामंजूर कर चुका है, तो मुझे आशा है कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे ।

जहां तक इन दोनों का सम्बन्ध है ये डीन आफ एग्रीकलचर के मातहत ही काम करेंगे । दूसरा जो संशोधन है वह स्टुडेन्ट्स वेलफेयर के सम्बन्ध में है । स्टुडेन्ट्स वेलफेयर की चीज जो यहां रखी गयी है, उसकी गुंजाइश है नहीं । स्टुडेन्ट्स वेलफेयर के डीन को जितना महत्त्व और यूनिवर्सिटीज में दिया गया है उतना महत्त्व हम यहां नहीं देना चाहते हैं । वह इसलिये नहीं कि हम स्टुडेन्ट्स की भलाई नहीं चाहते हैं, हम आप से भी ज्यादा उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन उससे बड़ा अनहित हो रहा है । मुझे याद है कि इसी प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट जो अपने विषय के बड़े भारी विद्वान् हैं, उस विषय का जितना उनको ज्ञान है उतना वहां के किसी दूसरे आदमी को नहीं है, वे अपनी पढ़ाई लिखाई के काम को छोड़ कर डीन आफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयर इस लिये बन गये हैं कि उस हैसियत से वे एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर हो सकें तो पावर के लिये यह सब हुआ । जहां तक डीन आफ दि स्टुडेन्ट्स वेलफेयर की बात है, वह तो कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है, लेकिन अच्छा हेड आफ दि डिपार्टमेंट मिलना मुश्किल है । वे अपनी पढ़ाने लिखाने वाली विद्या को लेकर हट गये और स्टुडेन्ट्स वेलफेयर के डीन इसलिये बन गये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर हो सकें, इस तरह की चीज हम यहां नहीं होने देना चाहते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---यहां तो स्टुडेन्ट वेलफेयर के बोर्ड की बात है ।

श्री मोहनलाल गौतम---बोर्ड को भी हम उतना महत्त्व नहीं देना चाहते हैं कि एक पढ़ाने लिखाने वाला आदमी उस काम को छोड़ कर स्टुडेन्ट्स वेलफेयर का अधिकारी बने । यह ठीक है कि और यूनिवर्सिटी में इसको ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत ज्यादा है । यह ठीक है कि स्टुडेन्ट्स वेलफेयर का काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो रिसर्च व एक्सटेंशन का काम है उसका क्या होगा यह कहना मुश्किल है ।

जहां तक फाइनेन्स कमेटी व सेलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है, कोई सेलेक्शन बिना सेलेक्शन कमेटी की राय के नहीं होगा और सेलेक्शन भी कई स्टेजेज पर होंगे । वही हालत फाइनेन्स के सम्बन्ध में भी है । उसमें भी डिफरेंट स्टेजेज पर तरमीम होगी, यह नहीं होगा कि किसी डिपार्टमेंट ने लिख दिया और रुपया दे दिया गया । जब हम टीचर्स के सेलेक्शन में सेलेक्शन कमेटी को अधिकार दे रहे हैं तो उसके लिये खर्च करने के सम्बन्ध में भी फाइनेन्स कमेटी को अधिकार होना चाहिये । मैं समझता हूं कि यहां पर यह चीज रखने से फाइनेन्स कमेटी का जो अधिकार है वह संकुचित हो जायगा और उसका अधिकार छिन जायगा । जब सदन के सामने पूरा स्टेट्यूट्स आयेगा तो उस वक्त माननीय सदस्यगण देखेंगे कि ये चीजें वहां पर मौजूद मिलेंगी । जहां तक सेलेक्शन कमेटी व फाइनेन्स कमेटी का सम्बन्ध है, जो काम वे करती हैं, वे सभी काम बाकायदा होंगे, उससे ज्यादा वैधानिक ढंग से होंगे, जो कि इस वक्त की यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने दो डायरेक्टरों के निकाले जाने की जहां तक बात है, उसके रूप को ही बदल दिया । मेरा तो कहना यह है कि इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सही अधिकारी जो एक्सपेरिमेंट व एक्सटेंशन के हो सकते हैं वे डीन ही हो सकते हैं । इसलिये मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों अधिकारियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सूची में से निकाल दिया जाय ।

जहां तक बोर्ड आफ स्टुडेण्ट्स वेलफेयर की बात है, वह तो उनके ही हित और अनहित की बात है । उनके वेलफेयर सम्बन्धी जो काम होंगे वे उनकी राय से होंगे । विश्वविद्यालय के आन्तरिक जितने भी मामले हैं उनके हल करने में वे अधिकारियों की मदद करेंगे और इस तरह से अधिकारियों को तो अधिक मदद ही मिलेगी । जहां तक फाइनेन्स कमेटी की बात है, उसका कोई सही रूप सामने नहीं है । जैसी कि आपकी मंशा भी यही है कि इसकी जरूरत है । दूसरे सेलेक्शन्स होंगे, लेकिन सेलेक्शन्स कमेटी नहीं होगी तो कौन चुनेगा । चुनाव का तरीका नहीं बदला जाना चाहिये और सेलेक्शन कमेटी का होना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि ये संशोधन बहुत ही उचित हैं । इसमें फाइनेन्स कमेटी का होना भी नितान्त आवश्यक है, क्योंकि फार्म में फाइनेन्स की जरूरत होगी । अन्य यूनिवर्सिटीज में कोई फार्म वगैरह नहीं होते । इसलिये यहां फाइनेन्स कमेटी का होना नितान्त आवश्यक है । मैं पुनः इन संशोधनों पर माननीय मन्त्री से विचार करने की प्रार्थना करूंगा कि इनको वे विधेयक में स्थान देने की कृपा करें ।

श्री मोहनलाल गौतम---प्रतापसिंह जी ने जो इन दोनों को निकालने की दलील दी है वह काफी नहीं है । वाइस चांसलर के अधीन कन्ट्रोलर भी होगा और रजिस्ट्रार भी होगा लेकिन दोनों को आफिसर्स आफ दि यूनिवर्सिटी का स्थान प्राप्त रहेगा । इसलिये अधीन होते हुए भी इन दोनों का डायरेक्टर्स का स्थान रखा गया है ।

जहां तक स्टूडेण्ट वेलफेयर बोर्ड की बात है तो केवल यही काम जरूरी नहीं है, और भी काम हैं जो ज्यादा जरूरी हैं और उसको अथारिटीज में रखना मुनासिब नहीं है । फाइनेन्स कमेटी और सेलेक्शन कमेटी होंगी, लेकिन जो रूप इसका है वह भिन्न होगा और यह सब स्टेट्यूट्स में आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (क) में उपभाग ७, ८ निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (ख) के भाग तीन में शब्द "तथा" के बाद शब्द "छात्र कल्याण परिषद्" (Board of Student Welfare)" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ (ख) में के भाग (३) के बाद नया उपभाग (३-क) इस प्रकार जोड़ दिया जाय :

(३-क)---"वित्त समिति तथा चुनाव समिति (Finance Committee and Selection Committee)" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ तथा ९ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

बोर्ड का संघटन तथा उसके अधिकार और कर्त्तव्य।

१०—(१) कुलपति इस अधिनियम के आरम्भ होने के बारह महीनों के भीतर बोर्ड का संघटन करेंगे।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

पदेन सदस्य

(क) उपकुलपति ;

(ख) कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(ग) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ;

(घ) पशु-पालन संचालक, उत्तर प्रदेश।

अन्य सदस्य

(ङ) राज्य की विधान सभा के दो सदस्य, जो उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित होंगे ;

(च) राज्य की विधान परिषद् का एक सदस्य, जो उक्त विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा ;

(छ) कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में अभिरुचि रखने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(ज) निम्नलिखित संस्थाओं में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि—

(१) दि स्टेट फार्मर्स फोरम (The State Farmer's Forum),

(२) इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन (The Indian Council of Agricultural Education)

(३) यू० पी० इंजीनियर्स एसोसियेशन (U. P. Engineers Association);

(४) राज्य समाज कल्याण बोर्ड (The State Social Welfare Board); तथा

(५) यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (The U. P. Co-operative Bank Limited)।

(३) उपधारा (२) में मद (ज) के अधीन व्यक्ति कुलपति द्वारा उन दो-दो व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट होंगे जिनकी तदधीन निर्दिष्ट संस्थाओं में से प्रत्येक सिफारिश करेगा।

(४) बोर्ड अपना सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगा।

(५) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होगा, परन्तु बोर्ड का प्रथम संघटन हो जाने पर उस समय चुने हुये कुछ सदस्यों के कार्यकाल को कम करने के लिये परिनियमों में व्यवस्था की जायगी जिससे कि उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्षों में यथा संभव एक तिहाई सदस्य पद निवृत्त होंगे।

(६) पूर्वाधिकारी का शेष कार्यकाल ही आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुने गये सदस्य का कार्यकाल होगा।

(७) सदस्य बिना वेतन के कार्य करेंगे; परन्तु दैनिक भत्ता तथा यात्रिक व्यय पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्वविद्यालय के आय-व्ययक से दिया जायगा।

(८) बोर्ड के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) उप-कुलपति द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक का अनुमोदन :

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को नियत रीति से नियुक्त करना ;

(ग) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने अधिकार में रखना और उनपर नियंत्रण रखना तथा इस संबंध में कोई सामान्य आदेश प्रचारित करना ;

(घ) किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गई निधियों का प्रशासन ;

(च) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग का निर्देश करना ;

(छ) ऐसी स्थायी अथवा अस्थायी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने कृत्यों के उचित सम्पादन के लिये आवश्यक समझे ;

(ज) धारा ११ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप-कुलपति को नियुक्त करना ;

(झ) जीगत (capital) सुधारों के लिये धन उधार लेना तथा उसकी वापसी का उपयुक्त प्रबन्ध करना ;

(ञ) ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों में जिसे वह आवश्यक समझे, अधिवेशन करना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक दो मास में कम से कम एक नियमित बैठक की जायगी, और प्रतिबन्ध यह भी है कि इसकी नियमित बैठकों में से कम सेकम आधी बैठकें विश्वविद्यालय में की जायंगी ;

(ट) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्व-विद्यालय से संबंधित सभी मामलों को विनियमित तथा निर्धारित करना तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अतिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं या उस पर आरोपित किये जायं।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ग) दो फैकल्टियों के डीन जो कि क्रमानुसार नियत रीति से चुने जायं,

(घ) विद्वत् परिषद् के तीन प्रतिनिधि जो नियत विधि से चुने जायं,

(घघ) छात्र कल्याण का डीन"

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बड़ा साफ है। इसमें (ग) और (घ) में शिक्षा संचालक तथा पशुपालन संचालक इन दोनों के स्थानों पर दो फैकल्टियों के डीन जो कि क्रमानुसार नियत

[श्री गौरीशंकर राय]

रीति से चुने जायं, है, हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी यह भी फरमाया कि इस यूनीवर्सिटी में छात्र-कल्याण का डीन अलग से रखा गया है जो कि एक आगे कदम है। मैं समझता हूं कि प्रशासन में भी इसको हिस्सा मिलना चाहिये। अगर इसमें सभी विभाग के डायरेक्टर रख दिये जाते हैं तो एक तरह से यूनिवर्सिटी न रह कर यह एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री का एक हिस्सा बन जायगा। प्रकाशन का स्वरूप पूर्ण रूप से सरकारीकरण किया गया है। विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण उचित नहीं है। विश्वविद्यालयों की एक्जिक्यूटिव में तथा एकेडेमिक कौंसिल में प्रोफेसर्स तथा डीन छात्र-कल्याण को अवश्य स्थान मिलना चाहिये। ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय का वातावरण विश्वविद्यालय का नहीं रह जायगा, बल्कि सरकारी मुहकमे का वातावरण हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं---

(१) खंड १० के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाय:

"(घ-१) रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज,

(घ-२) संचालक उद्योग,

(घ-३) प्रिंसिपल, कृषि-महाविद्यालय, कानपुर।

(२) खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ङ) की पंक्ति १ में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जाय:

(३) खंड १० के उपखंड (२) के भाग (च) की पंक्ति १ में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(४) खंड १० के उपखंड (२) के भाग (छ) की पंक्ति २ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष---आप अपने सब संशोधन एक साथ ही पेश कर दें तो अच्छा है।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन भी पेश करता हूं:---

(५) खंड १० के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय "उप-कुलपति बोर्ड के सभापति होंगे।"

श्रीमन्, मेरा मंशा यह है कि बोर्ड का जो फारमेशन हो उसमें ३ अधिकारी और बढ़ा दिये जायं, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ कोआपरेटिव और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा संबंध है। इसी-लिये मैंने रखा है कि रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, इन दोनों को मेम्बर बना दिया जाय। प्रिंसिपल, कृषि-महाविद्यालय, कानपुर को इसलिये रखा है, यद्यपि कालेज को एफीलियेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्टेट का सबसे बड़ा कालेज है उसका प्रिंसिपल अगर बोर्ड का मेम्बर होगा तो कम से कम उसको कुछ अनुभव अपने कालेज का है और कुछ वहां का होगा इससे दोनों को फायदा होगा।

जहां तक दूसरे संशोधन का ताल्लुक है उसके रखने का कारण यह है कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं सबमें ४ सदस्य इस हाउस के हैं और २ कौंसिल से जाते हैं। उसी को मैंने इसके अन्दर रख दिया है।

जहां तक सवाल नामीनेशन का है तो स्टेट नामीनेट करेगी यह विधेयक में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि स्टेट की जगह चांसलर हो जाय।

और जहां तक आखिरी संशोधन का संबंध है विधेयक में दिया हुआ है कि बोर्ड अपना चेयरमैन खुद अपने मेम्बरों में से चुनेगा। मैं चाहता हूं कि इसको हटा कर यह हो जाय कि

जो वाइस-चांसलर है वह उसका चेयरमैन होगा। इसका विशेष कारण यह है कि अब तक जो हमारा पैटर्न है एजूकेशन का, जितने अब तक कानून बनाये शिक्षा के संबंध में, विशेषतौर से यूनिवर्सिटीज के संबंध में, उनमें हमने यही किया है कि वाइस चांसलर को ऐग्जीक्यूटिव और एकेडेमिक हैड माना है। मैं नहीं समझता कोई ऐसी मिसाल हमको मिल सकेगी कि वाइस चांसलर के होते हुये और वह बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मेम्बर है तो कोई दूसरा आदमी उसके अन्दर चेयरमैन हो और वाइस चासलर एक आर्डिनरी मेम्बर की हैसियत से उसके अन्दर बैठे। यह कहा जा सकता है कि ऐक्सपेरीमेंट है। मगर मैं समझता हूं कि जो एक बड़ी पोजीशन वाइस चांसलर की है वह बड़ी कमप्रोमाइजिंग होगी। इससे हुएलिज्म की बात भी पैदा हो सकती है, इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। आशा है मंत्री जी इनको स्वीकार करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं

(१) खंड १० के उपखंड (२) के अंश (छ) को निम्न प्रकार रख दिया जाय —

(छ) "खेती करने वाले दो किसान जिन्हें कृषि विकास के उपलक्ष में सरकार सम्मानित कर चुकी हो। इन्हें कुलपति नाम निर्दिष्ट करेंगे।"

(२) खंड १० के उपखंड (२) के अन्त में भाग (झ) निम्न प्रकार बढ़ा दिया जाय

"(झ) विश्वविद्यालय के संबंधित कालेजों के प्रिंसिपल।"

मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें, तो क्रम संख्या १६ वाला भी संशोधन पेश कर दूं?

श्री अध्यक्ष—बस आप उपखंड (२) तक के ही संशोधन को रखें उपखंड (७) का संशोधन बाद में लिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, समय कम है, मुझे केवल इतना कहना है कि जहां तक मंत्री जी ने रखा है उस के (छ) में यह है कि "कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में अभिरुचि रखने वाले दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी"। मैंने अपने संशोधन में यह साफ कर दिया है कि खेती करने वाले ऐसे २ किसान जिन्हें कृषि विकास के लिये सम्मानित किया जा चुका हो और प्रमाण-पत्र आदि मिल चुका हो, जो प्रथम श्रेणी या विशेष श्रेणी के किसान हों ऐसे २ आदमी रहें और उनका नामिनेशन कुलपति कर दें बजाय इसके कि मंत्री जी अपने स्वविवेक से २ आदमी रख दें।

दूसरे जो कालेजों के प्रिंसिपल्स रखे गये हैं वे अगर होंगे तो उन के कालेजों का भी प्रतिनिधित्व हो सकेगा अगर उनको नहीं रखा जाता है तो एक वेकुअम रह जाता है। इसलिये मेरे यह दोनों बिलकुल साधारण से संशोधन हैं, हानिरहित हैं और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उन को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—अब १३-क श्री गौरीशंकर राय जी का है वह भी पेश कर दें।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ज) के अंश (१), (४) एवं (६) निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना पहला संशोधन पेश किया था यह भी उस से मिलता जुलता है। इसमें यह ३ चीजें रखी गई है एक तो है दि स्टेट फार्मर्स फोरम, दूसरा एक है राज्य समाज कल्याण बोर्ड और तीसरा है पंजीकृत स्नातक। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ७ वर्ष के बाद स्नातक होंगे उनके लिये अभी से विशेष स्थान रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो स्टेट फार्मर्स फोरम है उसका प्रतिनिधि भी सरकार का ही नामिनी रहेगा। इस तरह से करीब तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व सरकार के नामिनीज का ही हो जाता है और

[श्री गौरीशंकर राय]

सारा यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ में ही आ जाता है। इसलिये वहां एक एकेडेमिक वातावरण पैदा करने के लिये आवश्यक है कि यह चीज हटा दी जाय और इन तीनों चीजों को न रखा जाय। जनतंत्र में आवश्यक है कि सरकार अपने हाथ में कम से कम शक्ति ले।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि नवलकिशोर जी के संशोधन मंजूर करने के योग्य हैं और मैंने जब बिल को पढ़ा तो मेरी भी राय थी कि मैं ऐसे संशोधन प्रस्तुत करूं, इसलिये मंत्री जी को कोई दिक्कत न हो तो वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कई रूप में है, एक तो उसका रूप यह है कि शिक्षकगण इसमें शामिल कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आप केवल ५ बजे तक ही भाषण देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—एकेडेमिक कौंसिल, डीन्स और स्टेट वेलफेयर बोर्ड के प्रतिनिधित्व के बारे में उत्तर दे चुका हूं और मुझे जैसा वे चाहते हैं, मान्य नहीं है।

दूसरा संशोधन जो आया है उसके अनुसार श्री गौरीशंकर राय जी की शिकायत है कि बोर्ड को आफिशियल बनाया जा रहा है और सरकारी प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया जा रहा है और विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ जब यह संशोधन आता है कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव और डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज आयें तो मैं नहीं समझता कि यह पदाधिकारी इतने अधिक बिजी हैं, वह कैसे भाग पायेंगे। मेरी तो उन को रखने की हिम्मत नहीं होती। इसलिये मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। जहां तक प्रिंसिपल, ऐग्रीकल्चरल कालेज का संबंध है अभी इन कालेजेज के जो यहां होंगे उनके प्रिंसिपल भी वहां नहीं है तो बाहर का एक प्रिंसिपल आकर वहां बैठे और यह न हो, यह मेल नहीं खाता है।

जहां तक इस सदन का प्रतिनिधित्व बढाने का संबंध है जिसका समर्थन माननीय गेंदासिंह जी ने भी किया है वह मुझे मालूम होता है कि कुछ भ्रम है। भ्रम यह है कि और यूनिवर्सिटीज में, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में ५-५ सदस्य हैं यहां स तो यह कह दिया गया कि ४ तो कर दो यहां, लेकिन यह भूल गये प्रस्तावक महोदय और समर्थक महोदय कि इलाहाबाद में ५ हैं १५० में से और साल में एक दफा वहां जनरल बाडी की मीटिंग होती है। और यहां की एग्जिक्यूटिव के अन्दर हैं १४ में से २ और ३।

श्री नवलकिशोर—चांसलर नामिनेट करता है ५ आदमियों को जो आपके नान-आफिशियल होते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं बहस कर रहा था कि असेम्बली के प्रतिनिधि कितने होते हैं, गवर्नमेंट के या चांसलर के कितने होते हैं यह नहीं कह रहा था। मैं फिर कहता हूं अगर नहीं समझ पाते कि हाउस भेजता है ५-५ आदमी चुनकर तीनों जगह जहां कि इलाहाबाद में १५० है, लखनऊ में १७९ और गोरखपुर म १२५ इनमें से दो चार की गलती रह गयी हो, लेकिन सवा सौ, डेढ़ सौ और पौने दो सौ की संख्या में यहां से ५ सदस्य चुनकर यह सदन भेजता है और साल में एक बार मीटिंग होती है जिसके कोई माने नहीं हैं। और हम २ भेज रहे हैं जहां केवल १४ आदमी होंगे जिस एग्जिक्यूटिव में और जिसकी हर महीने या दो महीने में या तीन महीने में मीटिंग होगी, एक बड़ा अधिकार दे रहे हैं। तो वही संख्या कहां से अप्लाई होती है?

जहां तक वाइस-चांसलर को चेयरमैन बनाने की बात है मैंने एक दफा पहले भी कहा था बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है, उसको चेयरमैन बनाने का इरादा नहीं है। और जहां तक कृषक समाज को निकालने की बात है अगर कोई और बाडी रिप्रजेंट करती होती तो हम उसको रख देते, लेकिन उनकी है इसलिये वह रखा गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(ग) दो फैकल्टियों के डीन जो कि क्रमानुसार नियत रीति से चुने जायं;

(घ) विद्वत् परिषद् के तीन प्रतिनिधि जो नियत विधि से चुने जायं;

(घघ) छात्र कल्याण का डीन"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब यह दूसरा संशोधन है, संख्या ९ पर।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, जो मैंने पेश किया है वह मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—क्या इसके आगे वाले भी आप वापस ले रहे हैं?

श्री नवलकिशोर—जी हां।

(सदन की अनुमति से श्री नवलकिशोर के तीनों संशोधन वापस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के अंश (छ) को निम्न प्रकार रख दिया जाय:

"(६) खेती करने वाले दो किसान जिन्हें कृषि विकास के उपलक्ष में सरकार सम्मानित कर चुकी हो। इन्हें कुलपति नाम निर्दिष्ट करेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ज) के अंश (१), (४) एवं (६) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के अन्त में भाग (झ) निम्न प्रकार बढ़ा दिया जाय:

"(झ) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कालेजों के प्रिंसिपल"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं बाकी संशोधनों के प्रस्तावकों का नाम पुकारता जाऊंगा। जो खड़े होंगे उनको समझूंगा कि वे पेश करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर सदन की राय ले लूंगा बाकी पर नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—हम गिलोटिन के विरोधस्वरूप सदन का त्याग करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं भी इस गिलोटिन के विरुद्ध सदन का त्याग करता हूं।

(इसके पश्चात् सर्वश्री रामस्वरूप वर्मा तथा मोतीलाल अवस्थी सदन के बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (७) में एक नया भाग (घघ) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय :

"(घघ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी प्रकार से संविदा तथा ठेकों (contracts) का अंगीकृत करना, परिवर्तित अथवा परिवर्धित करना, कार्यरूप में परिणत करना, सम्पन्न करना तथा निरस्त करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (७) में एक नया उपखंड (चच) इस प्रकार जोड़ दिया जाय :

"महिला छात्राओं के आवास, अनुशासन तथा अध्ययन के सम्बन्ध में विशेष प्रबन्ध करना"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उप-कुलपति

११--(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। प्रथम उप-कुलपति कुलपति द्वारा ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो कुलपति निर्धारित करें। अनुवर्ती उप-कुलपति बोर्ड द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उप-कुलपति की उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जांय और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(३) उप-कुलपति बोर्ड को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। साधारणतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब कि उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो कम से कम ६० दिन पूर्व बोर्ड को दिया जायगा।

(४) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त बोर्ड को देगा। ऐसी रिक्ति की पूर्ति यथासंभव उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

(५) जब तक कि उपधारा (४) के अधीन रिक्ति की पूर्ति न हो जाय या जब तक कि ऐसे समय के लिये बोर्ड कार्यवाहक (acting) उप-कुलपति नाम-निर्दिष्ट न करे, तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति नाम के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties)।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) में पंक्ति २ में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड १२–१५

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य

१२—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(२) उप-कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाय और, धारा २३ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वह अपने अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिहित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उप-कुलपति बोर्ड के समक्ष आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) किसी ऐसी आपातिक स्थित में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गई हो।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक के, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है।

(८) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों वृत्तिक कर्मचारिवर्ग (professional staff) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति के संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई आज्ञाओं को उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा।

(९) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हों किन्तु प्रतिबन्ध यह कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा।

(१०) उप-कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार के प्रगाढ़ समन्वय तथा एकीकरण के लिये उत्तरदायी होगा।

(११) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं।

लेखा-नियंत्रक

१३—(१) लेखा-नियंत्रक (Comptroller) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उप-कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, नियुक्त किया जायगा।

(२) वह बोर्ड का पदेन सचिव होगा तथा उसको देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं।

(३) धारा ११ की उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) में उल्लिखित त्यागपत्र, उपलब्धियों से भिन्न सेवा की शर्तें, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन की व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध आवश्यक परिवर्त्तनों सहित लेखा-नियंत्रक के पद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(४) लेखा-नियंत्रक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह उप-कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त आय-व्ययक तथा लेखा-विवरण तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) लेखा नियंत्रक का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न किसी रूप में) कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को अस्वीकृत करना जो किसी परिनियम के निर्बन्धनों का उल्लंघन करें, या जिसके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो।

रजिस्ट्रार

१४—(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा उप-कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये नियुक्त किया जायगा।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं।

(३) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विद्वत् परिषद् का पदेन सचिव होगा और उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्यसंपादन के लिये आवश्यक हो। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्रों को लेगा तथा समस्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्यों (curricula) और अन्य सूचना का, जिसे आवश्यक समझा जाय, स्थायी अभिलेख रखेगा।

(४) रजिस्ट्रार उन परीक्षाओं के, जो नियत की जायं, संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और उनके लिये आवश्यक अन्य समस्त प्रबन्ध करेगा और उनसे सम्बद्ध समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो समय-समय पर बोर्ड अथवा उप-कुलपति द्वारा नियत किये जायें अथवा अपेक्षित हों।

(६) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जायगा, न वह उसे स्वीकार करेगा, सिवाय उस पारिश्रमिक के जिसकी व्यवस्था परिनियमों द्वारा की गई हो ।

छात्र-कल्याण का डीन

१५—(१) छात्र-कल्याण का डीन (Dean of Student Welfare) विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये उप-कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(२) छात्र-कल्याण के डीन को देय वेतन तथा भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं ।

(३) छात्र-कल्याण के डीन के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(१) छात्रों के निवास के लिये प्रबन्ध करना ;

(२) छात्रों को परामर्श देने के कार्य-क्रम का संचालन करना ;

(३) उप-कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन (employment) का प्रबन्ध करना ;

(४) छात्रों के पाठ्यचर्चा के अतिरिक्त कार्यों तथा आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करना ;

(५) विश्वविद्यालय से जानेवाले स्नातकों को नियुक्ति पाने में सहायता देना; तथा

(६) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संघटित करना तथा उनसे संपर्क बनाये रखना ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२, १३, १४ और १५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६ व १७

विद्युत् परिषद्

१६—(१) विद्युत् परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा-संबंधी कार्यों की भार-साधक होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के स्तरों और उपाधियां (degrees) प्राप्त करने की अपेक्षाओं का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं या उस पर आरोपित किये जायं । उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर उपकुलपति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(२) विद्युत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों की पदावधि नियत की जायगी ।

फैकल्टियां

१७—(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं ।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं, तथा विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसके अधिकार नियत किये जायंगे ।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय ।

(५) डीन फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से संबद्ध परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा । वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार कार्य के संघटन और संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा ।

(६) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो विभाग के संघटन तथा संचालन के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(७) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति उसी प्रकार होगी तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य वही होंगे जो नियत किये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ में नया उपखंड (३) निम्न रूप में रख दिया जाय :

"(३) विद्वत् परिषद् की एक अस्थायी समिति (Standing Committee) होगी जिसका संघटन, पदावधि तथा कर्तव्य नियत किये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

कृषि प्रयोग केन्द्र

१८—(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि प्रयोग केन्द्र (Agricultural Experiment Station) स्थापित किया जायगा । इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह समस्त फैकल्टियों में मूल भूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के लिये उत्तरदायी होगा ।

(२) प्रयोग-केन्द्र का एक संचालक (Director) होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा । उसका नाम निर्देशन कृषि के डीन द्वारा किया जायगा तथा उसकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायगी ।

(३) प्रयोग-केन्द्र (Experiment Station) का संचालक कृषि की प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । वह परियोजनाओं (Projects) के अभिलेखों को उचित रूप से रखेगा तथा अनुसंधान की प्रगति के प्रतिवेदनों को नियत रीति से प्रकाशन के लिये लेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

कृषि तथा गृह विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service)

१९—(१) विश्वविद्यालय में एक कृषि तथा गृह-विज्ञान प्रसार सेवा (Agricultural and Home Science Extension Service) स्थापित की जायगी और वह, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए, कृषकों तथा गृहणियों को उनकी समस्याएं सुलझाने में सहायता देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलब्ध करायेगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरुचि का विकास करने के लिये उपाय करेगी, जैसे तरुण संघों की स्थापना ।

(२) एक प्रसार संचालक (Director of Extension) होगा जो कृषि के डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका नाम-निर्देशन कृषि के डीन द्वारा होगा तथा नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की जायेगी।

(३) प्रसार संचालक कृषि में प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्ण-कालिक पदाधिकारी होगा जो अनुसंधान के परिणामों के आधार पर प्रसार कार्य का कार्यक्रम बनायेगा तथा उसे निष्पादित करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०–२७

सदस्यता सम्बन्धी अनुपूरक उपबंध।

२०—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्त में नियुक्त, निर्वाचित अथवा आमेलित व्यक्ति उस पदावधि के शेष काल के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जिस तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त होता हो, उसका सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या न हो, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नाम निर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी।

२१—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह ज्ञात हुआ हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना।

२२—बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि वह व्यक्ति नैतिक पतन वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष (convicted) हुआ है।

सदस्यता और कार्यवाहियां।

२३—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं या विश्वविद्यालय का अथवा बोर्ड के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

समितियों का संघटन

२४--जब इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों में से बनेंगे ।

निवृत्ति वेतन अथवा भविष्य निधि

२५--(१) विश्वविद्यालय अपने पदाधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक-वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति वेतन, बीमा तथा भविष्य--निधियों (pension, insurance and provident funds) की स्थापना करेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(२) जब कोई ऐसी भविष्य निधि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन इस प्रकार स्थापित की गयी हो, तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबंध उस निधि पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो ।

वेतन—भोगी पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति

२६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्व-विद्यालय के कर्मचारिवर्ग (staff) के सदस्य बोर्ड द्वारा उपकुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किये जायेंगे ।

(२) उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गयी हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन-भोगी पदाधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा । संविदा उप-कुलपति के पास रक्खा जायगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध पदाधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी । संविदा इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के सेवा की शर्तों से सम्बन्धित उपबन्धों से असंगत न होगा ।

विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण

२७--विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से कोई विवाद उठने की दशा में, सम्बद्ध पदाधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर, वह विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें बोर्ड द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध पदाधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक (umpire) होंगे । इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा । ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुति (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६ और २७ इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २८

२८---इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिनियमों में किसी भी विसय की व्यवस्था की जा सकती है तथा उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी--- परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका पद पर बना रहना जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद बना रहना भी है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९---(१) धारा २८ के खंड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक रखी जायगी और तदन्तर्गत पहले से की गई किसी भी बात की वैधता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये वे ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्तनों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है।

(३) विद्वत् परिषद् बोर्ड के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी भी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड के आगामी अधिवेशन में विचार किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्वत् परिषद् ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की स्थिति (status) या उसके अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त किसी मत पर बोर्ड विचार करेगा।

(४) बोर्ड, उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी प्रारूप को अनुमोदित कर सकता है तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे विद्वत् परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित लौटा सकता है जिनका वह सुझाव दे।

(५) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है तथा बोर्ड उस प्रस्ताव को, यदि वह ऐसे विषय से सम्बन्धित है जो विद्वत् परिषद् के क्षेत्र में नहीं है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि ऐसा प्रारूप विद्वत् परिषद् के क्षेत्र के भीतर के किसी विषय से सम्बन्धित हो तो बोर्ड उसे विद्वत् परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट करेगा। विद्वत् परिषद्, बोर्ड को यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब वह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत समझा

जायगा, या वह उक्त प्रारूप को बोर्ड के पास उस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे विद्वत् परिषद् अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे विद्वत् परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तावित प्रारूप के विषय में प्रवृत्त होते हैं।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (२) के अन्त में विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और निम्न शब्द बढ़ा दिये जांय:

"पर प्रतिबन्ध यह है कि शिक्षा संम्बन्धी कार्यों एवं समस्त विषयों पर 'विद्वत् परिषद्' ही परिनियम तथा नियम बनायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ में नया उपखंड (२-क) इस प्रकार जोड़ दिया जाय:

"(२-क) इस धारा में आगे दी हुई रीति से विद्वद् परिषद् समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यों एवं समस्त विषयों पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है, तथा ऐसे परिनियमों पर की कोई धारा स्वीकृत या उसके सम्मुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ का उपखंड (६) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०--३५

विनियम

३०--(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत विनियम बना सकते हैं, जिनमें--

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य-संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; तथा

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों और जिनके लिये इस अधिनियम तथा परिनियमों में व्यवस्था न की गई हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा जिसमें उस प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों की, जिन पर अधिवेशन होंगे और ऐसे कार्य की जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, पूर्व सूचना देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) बोर्ड ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के रद्द किये जाने का आदेश दे सकता है।

(४) परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्वत् परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्सम्बन्धी प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है।

(५) विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त प्रारूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है या उसे, अपने सुझावों सहित और अधिक विचार करने के लिये फैकल्टी के बोर्ड को वापस कर सकती है।

छात्रों का निवास

३१—छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उपकुलपति द्वारा अनुमोदित निवासों में नियत शर्तों के अधीन रहते हुये, रहेंगे।

अधिकारों का प्रतिनिधान

३२—बोर्ड इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार को परिनियम द्वारा किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन, जो नियत किये जायं, प्रयोग करने के लिये दे सकता है।

वार्षिक प्रतिवेदन

३३—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन उपकुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायगा तथा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को उस वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा जिसमें उस पर विचार किया जायगा।

लेखे और लेखा परीक्षा

३४—(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और रोकड़-पत्र (balance sheet) उप-कुलपति के निदेशाधीन तैयार किये जायंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो लेखे में दर्ज की जायंगी।

(२) लेखा तथा रोकड़-पत्र बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे जो परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा (Examiner, Local Fund Accounts) उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा करायेगी।

(३) लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां, लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियों सहित, उपकुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायंगी जिन्हें वह राज्य सरकार को ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

कुछ अन्य उपबन्ध

३५—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यथाविधि संघटित न हो जायं, विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति उप-कुलपति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति तथा उसकी शर्तों के लिये कुलपति का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ और ३५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खं० ३६

कठिनाइयों का निवारण

३६--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा--

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हे वह आवश्यक और इष्टकर समझें, प्रभावी होंगे, अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्व-विद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सम्पादनीय या प्रयोक्तव्य अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी यथोचित रूप से नियुक्त या संघटित न हो जायं, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे , अथवा

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई, जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम , उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय अधि-नियम , १९५८ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "कृषि" के स्थान पर शब्द "ग्रामीण" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के लिये एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कृषि के विकास तथा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लाभ के लिय एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक की अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के शीर्षक में शब्द "कृषि" के स्थान पर शब्द "ग्रामीण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ ((The U. P. Agricultural University Bill, 1958) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। समय काफी हो गया है और सब बातें भी साफ हो गई हैं, इसलिये मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--(श्री गौरी शंकर राय के खड़े होने पर) आप संक्षेप में कहियेगा।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बार और जिन बातों को गई बार कहा गया उनको संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं और इस आदरणीय सदनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं और जिसको ऐसा सोचते हैं कि सारे भारत में अपने प्रकार का पहला विश्वविद्यालय है, उसको एक ऐसा विश्वविद्यालय न बनाएं जिसको लोग यह समझें कि वह विश्वविद्यालय मंत्री जी के विभाग या सरकारी अफसरों का कोई दफ्तर है, न उसको विभाग की एक शाखा समझें, ऊपर से नीचे तक कृषि संचालक, शिक्षा संचालक, पशु-पालन संचालक यह सभी सरकारी अधिकारी हैं। जहां तक विधान सभा के दो सदस्यों का संबंध है मुझे आप क्षमा करगे, ये जो भेजे जायेंगे, वे मंत्री जी के ही दल के भेजे जायंगे। जितना भी प्रतिनिधित्व है मंत्री जी के इशारे पर है। मैं समझता हूं कि यह शिक्षा के नाम पर कलंक है, विश्वविद्यालय के नाम पर कलंक है और प्रजातन्त्र का उपहास है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिसको खुद चुनना होगा वह अपने वोटरों की तरफ देखेगा। मैं समझता हूं कि यह बात इस सदन में आपके सामने कहने की नहीं है। आज हमारे कृषि मंत्री अपने वोटर्स में ही से चुनाव करते हैं अपने एम्प्लाइज का। इन सारे तर्कों को ले कर प्रजातन्त्र की जो आधारभूत कल्पनाएं हैं उनका मजाक बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र का उपहास है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी पुनः विचार करेंगे कि इसका अगला स्वरूप प्रजातांत्रिक हो, शैक्षणिक वातावरण हो, ऐसा वातावरण हो जिसमें यह न कहा जा सके कि यह एक विशेष व्यक्तियों का गुट है जो विश्वविद्यालय के नाम पर एक संस्था बनाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके प्रशासन के प्रारूप पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज का दिन इस सदन के लिये, हमारे देश के लिये और हमारे प्रदेश के लिये एक महत्त्वपूर्ण दिवस है जब कि हमने इस सदन द्वारा एक ऐसा विधेयक पास किया जैसा वर्तमान प्रस्तुत विधेयक है। मेरा निश्चित विश्वास है कि पिछले कई सालों में जो विधेयक इस सदन द्वारा पारित हुए हैं कई दिशा में उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह विधेयक है। इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करके यू० पी० की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सारे देश के लिये नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता और शक्ति रखता है। राधाकृष्णन् कमीशन के बाद से इसके लिये कल्पना की जा रही थी और स्वप्न देखा जा रहा था। उन स्वप्नों का जिनका समावेश उस रिपोर्ट में था। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस विधेयक में स्थान दे कर, पहली बार एक मूर्त रूप दिया। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और विशेषतया मंत्री जी को जिनके कार्य काल में यह सम्पन्न हो सका। श्रीमन्, मैं सदन के सारे सदस्यों को पहले ही बधाई दे चुका हूं। वास्तव में सदन ही बधाई का पात्र है और गर्व का पात्र है।

मैं इतना और निवेदन कर दूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा और सदन में कहा गया इस विधेयक में उस यूनिवर्सिटी की जिसको हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रूपरेखा मात्र है, उसका रूप कैसा होगा वह उन अधिकारों में निहित है जो इस विधेयक द्वारा हमने प्रदान किये हैं। अब वह स्वरूप कैसा होगा और वह किस हद तक सफल हो सकेगा यह सिर्फ अधिकारियों के प्रयास पर निश्चित होगा। मैं चाहता हूं कि जैसे सन् १९३७ में हमारे यहां लार्ड रसुसेल आये थे और उन्होंने सारे देश का दौरा करने के बाद यह कहा था कि हमारी जितनी (ऐग्रीकल्चर की शिक्षा हुई वह उस आदमी तक नहीं पहुंची जो खेत में काम करता है जिसके लिये इस शिक्षा की आवश्यकता है। तो यह शिक्षा उसके लिये हो। मैं चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय जो हम बनने जा रहे हैं उसके बाद यदि कोई विशेषज्ञ हमारे देश का दोबारा दौरा करे ..

श्री अध्यक्ष--आप बहुत संक्षेप में कहें क्योंकि इस विधेयक पर कोई महत्त्व का संशोधन स्वीकार नहीं हुआ है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--मैं तो केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक की सफलता इसी बात पर निश्चित करेगी कि हमारे अधिकारी किस सीमा तक प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम अवश्य ही उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे जिसको सामने रखकर हम इस विधेयक को आज पारित करने जा रहे हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि उसने भारतवर्ष के सब से पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये यह बिल पारित किया है। इसके लिये इस सदन को गर्व होना स्वाभाविक है। यह इस देश का सब से पहला कृषि विश्वविद्यालय होगा। मैं सारे देश का, सदस्यों का और सदस्यों के द्वारा इस सारे प्रदेश का आशीर्वाद चाहता हूं कि यह सफल हो और यह हमारा प्रयास देश और प्रदेश की भलाई के काम में आ सके।

जहां तक यह कहा गया कि यह विभाग का होगा या सरकार का होगा मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विभाग और यह सरकार जनता की सेवा के लिये और जनता की उन्नति के लिये है। अगर यह विभाग और यह सरकार उन्नति करती है तो इसमें किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी। जहां तक चुनाव का प्रश्न है माननीय मंत्री किसी भी कर्मचारी का चुनाव नहीं करते हैं। इसके लिये यह काम पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है। यदि उनको यह बात मालूम होती तो वह यह नहीं कहते और इस तरह की अज्ञानता की बात माननीय सदस्य को आगे नहीं कहनी चाहिये। माननीय मंत्री कोई भी चुनाव नहीं करते हैं ...

श्री गौरी शंकर राय--मैं अपना एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वह उन लोगों में से ही चुनाव करते हैं जो कि मंत्री लोगों का चुनाव अपनी वोट के द्वारा करते हैं। तो वह वोटर ही हुआ करते हैं।

श्री अध्यक्ष--बस आपका स्पष्टीकरण हो गया।

श्री गौरी शंकर राय--मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम--हम लोग उनका चुनाव नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल पर पूरा विचार किया। मैं आशा करता हूं कि यह बिल पास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ सितम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ व १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर।)

तालिका १

सन १९५७ में बस्ती जिले में जिन भट्ठे वालों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सहायतार्थ कोयले का अधिक कोटा दिया गया उसका विवरण (संख्या बैंगनों में)

	नाम	स्थान	कोयले का कोटा जो दिया गया
(अ)			
१	श्री केशामल ..	.. बस्ती	१
२	श्री जीवनमल ..	.. बस्ती	२
३	श्री लक्ष्मण दास ..	.. खलीलाबाद	३
४	श्री लालजी सिंह ..	.. बढ़नी	६
५	श्री बिहारी लाल ..	.. शोहरतगढ़	४
(ब)			
६	जिला सहकारी तथा विकास संघ, बस्ती (जिलों में सहकारी भट्ठों के वितरण के हेतु) ..	.. ..	६८
७	व्यक्तिगत कार्य हेतु ..	..	१६
			१०० बैंगन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका २

सन् १९५७ में प्रदेश के भट्ठे वालों के वितरित कोयले के कोटे का विवरण

क्रम संख्या	नाम जिला	पहली छःमाही (जनवरी–जून, १९५७)			दूसरी छःमाही (जुलाई–दिसम्बर, १९५७)		
		भट्ठे वालों की संख्या	कोयले की वैगन जो वितरित की गयी	कोयले का कोटा जो प्रत्येक भट्ठे वाले के हिस्से में पड़ा	भट्ठे वालों की संख्या	कोयले की वैगन जो वितरित की गयी	कोयले का कोटा जो प्रत्येक भट्ठे वाले के हिस्से में पड़ा
१	२	३	४	५	६	७	८
१	देहरादून ..	१२	६८	५.७	१२	१०२	८.५
२	सहारनपुर	९९	१३२	१.३	९४	१९६	२.९
३	मुजफ्फरनगर	५३	११८	२.२	५५	१७१	३.१
४	मेरठ ..	१९२	२४१	१.३	१९४	३९६	२.०४
५	बुलन्दशहर	७७	१३१	१.७	८०	१९२	२.४
६	अलीगढ़ ..	६९	१४७	२.१	६९	१९८	३
७	मथुरा ..	२६	६८	२.६	२९	१०२	३.५
८	आगरा ..	५४	१७९	३.१	५४	२८०	५.२
९	मैनपुरी ..	२९	५६	१.९	२९	८४	२.९
१०	एटा ..	३०	४४	१.५	३०	६६	२.२
११	बरेली ..	४६	१००	२.१७	४४	१४४	३.३
१२	बिजनौर	४१	९६	२.३	३९	१४४	१.७
१३	बदायूं ..	३१	६४	२.०६	३०	९६	३.२
१४	मुरादाबाद	५४	१७४	३.०३	५६	२६७	४.८
१५	शाहजहांपुर	१४	४४	३.१४	१४	६६	४.७
१६	पीलीभीत	१८	२८	१.६	१६	४२	२.६
१७	रामपुर ..	१४	५६	४	१५	९०	६
१८	फर्रुखाबाद ..	३३	६०	१.८	३४	९०	२.६
१९	इटावा ..	२२	६०	२.७	२	४८ इसके अतिरिक्त ७२ वैगन का परमिट जिलाधीश को दिया गया।	
२०	कानपुर ..	७६	४११	५.४	७७	५८८	७.६
२१	फतेहपुर ..	१२	३२	२.७	१२	४८	४
२२	इलाहाबाद	३८	१७५	४.६	३९	२५९	६.६

क्रम-संख्या	नाम जिला	पहली छःमाही (जनवरी–जून, १९५७)			दूसरी छःमाही (जुलाई–दिसम्बर, १९५७)		
		भट्ठे वालों की संख्या	कोयले की बंगान जो वितरित की गयी	कोयले का कोटा जो प्रत्येक भट्ठे वालों के हिस्से में पड़ा	भट्ठे वालों की संख्या	कोयले की बंगान जो वितरित की गयी	कोयले का कोटा जो प्रत्येक भट्ठे वाले के हिस्से में पड़ा
१	२	३	४	५	६	७	८
२३	बांदा ..	..	..	..	१	८	८
२४	हमीरपुर ..	१	१६	१६	४	४६	१०.१५
२५	झांसी ..	१	१६	१६	१	१६	१६
२६	जालौन ..	७	१०	१.४	१	३+२७* जिलाघोश के नाम ब्लाक परमिट।	
२७	वाराणसी ..	३९	१८४	४.७	३९	२७७	७.१
२८	मिर्जापुर ..	११	२४	२.२	११	३६	३.३
२९	जौनपुर ..	२८	५६	२	२७	८२	३
३०	गाजीपुर ..	१८	६०	३.३	१९	६०	३.२
३१	बलिया ..	१४	७६	५.४	१४	२२४	८.१
३२	गोरखपुर ..	३३	८८	२.७	३४	१३२	३.९
३३	बस्ती ..	११	६३	५.७	१०	९६	९.६
३४	आजमगढ़	५७	१०२	१.८	५७	१४३	२.५
३५	देवरिया ..	१६	६४	४	२०	९८	४.९
३६	नैनीताल ..	५	१०	२	४	१२	३
३७	गढ़वाल ..	१	१६	१६	१	२४	२४
३८	लखनऊ ..	६२	२३६	३.८	६५	३६५	५.६
३९	उन्नाव ..	८	२०	२.५	१०	३०	३
४०	रायबरेली	१५	३९	२.६	१३	६०	४.६
४१	सीतापुर ..	२०	५६	२.८	२०	८४	४.२
४२	हरदोई ..	७	३२	४.६	१२	४८	४
४३	खीरी ..	१६	४०	२.५	१६	६०	३.८
४४	फैजाबाद ..	३९	८४	२.२	३५	११३	४.७
४५	गोंडा ..	१९	६०	३.२	१९	९०	४
४६	बहराइच ..	१५	७५	५	१५	७२	४.८
४७	सुलतानपुर ..	८	२५	३.१	७	३६	५.१
४८	प्रतापगढ़ ..	८	२४	३	९	३६	४
४९	बाराबंकी	३९	६८	१.७	३९	९६	२५
	योग ..	१,५३८	४,०४४	..	१,५२७	५,९७१	..

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

श्री नजरअली प्रधान पंचायत रामपुर कटरा जिला बाराबंकी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची

१—गांव रामपुर के बाजार का ठेका श्री अहमद को २२५ रु० में नीलाम किया गया था। जिला पंचायत अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी आपने उनको परवाह न करके १११ रु० ८ आना कम कर दिया जिस से गांव पंचायत को ११३ रुपया ८ आने का नुकसान हुआ।

२—गांव पंचायत के सदस्यों को आपने लालटेनों के खरीद का न तो कोई हिसाब दिया और न सदस्यों को नियुक्ति के बाद आप ने इन्हें खरीदा।

३—आपने श्री मुहर्रम अली नाम के एक व्यक्ति से १४०) रिश्वत के रूप में लिया।

४—आप ने १९५१-५२, और १९५२-५३ के करों की सूची बिना पंचायत द्वारा आय-व्ययक पास किये ही तैयार की, जो नियम के विरुद्ध था।

आप ने श्री गौस मुहम्मद उप प्रधान को कार्यभार देते समय निम्नलिखित पत्र तथा सम्पत्ति हस्तान्तरित नहीं की।

(१) कैश बुक, १९४९ से
(२) स्थायी एडवान्स रजिस्टर
(३) प्रयोग की गयी रसीद बहियां।

६—करों के विरुद्ध १४ व्यक्तियों ने आप के सामने उज्रदारियां पेश कीं जिसे सेक्रेटरी श्री चौहान राम ने स्वीकार किया लेकिन आप ने उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार आप ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया।

७—आपने श्री सूरज भान शर्मा के सन् १९५०-५१, १९५१-५२ के लिए ६० रु० कर वसूली के शासकीय कोष में जमा नहीं किये।

८—आपने अपने उधर आने वाले करों का भुगतान नहीं किया, जैसा कि श्री सूरजभान के वक्तव्य से स्पष्ट है।

९—जिला पंचायत अधिकारी ने बार-बार आदेश देने पर भी आप ठीक हिसाब किताब रखने में असफल रहे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर।)

इलाहाबाद जिले के "ए" व "बी" श्रेणी के फैब्रीकेटर को सन १९५६-५७ तथा १ अप्रैल, १९५७ से जुलाई, १९५८ में दिये गये लोहे व इस्पात का विवरण (अंक टनों में)

क्रम-संख्या	फैब्रीकेटर का नाम	श्रेणी	१९५६-५७ में दिया गया			१ अप्रैल, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक दिया गया		
			जिलाधीश द्वारा	पी० आई० एस० सी० द्वारा (एड-हाक कोटा)	जोड़	जिलाधीश द्वारा	पी० आई० एस० सी० द्वारा (एड-हाक कोटा)	जोड़
१	श्री हाजी अब्दुल खलीक ..	ए	..	२२	२२	..	..	..
२	सर्वश्री एच० एस० मोहम्मद सिद्दीक ऐन्ड सन्स ..	ए	२१	२२	४३	२८	..	२८
३	,, आर० सी० ब्रदर्स ..	ए	१६	२२	३८	२३	..	२३
४	,, जहुर मोहम्मद ऐन्ड सन्स ..	ए	१४	२२	३६	८	..	८
५	,, मुरार स्टील वर्क्स	ए	११	२२	३३	१५	..	१५
६	,, अयोध्या आइरन फाउन्ड-री ..	ए	२४	..	२४	४६	..	४६
७	,, बेनी प्रसाद अयोध्या प्रसाद	ए	१	२२	२३	६५	..	६५
८	,, हलीम वर्क्स	ए	२२	२२	४५	२१	..	२१
९	,, स्वदेशी ट्रंक स्टोर्स ..	बी	२४	..	२४	१९	..	१९
१०	,, जैसवाल आइरन वर्क्स	बी	४६	..	४६	५४	..	५४
११	,, आगा फन्ड कम्पनी ..	बी	९	..	९	१७	..	१७
१२	,, मन्जूर अहमद अहमद	बी	२७	..	२७	२९	..	३९
१३	,, आर० के० स्टोर्स ..	बी	३	..	३	११	..	११
१४	,, अब्दुल लतीफ अब्दुल जलील	बी	..	..	..	७	..	७
१५	,, श्री प्यारे लाल	बी	..	..	..	२१	..	२१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८८ एल० ए०—१९५९—८४५।